इकाई -1 व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ , परिभाषा और क्षेत्र

Meaning , Definition and Scope of Vocational Education

1.1 प्रस्तावना
1.2 उद्देश्य
1.3 व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ
1.4 व्यावसायिक शिक्षा की परिभाषाएँ
1.5 व्यावसायिक शिक्षा का क्षेत्र
1.6 व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की विशेषताएँ
1.7 व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता/महत्व
1.8 व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की समस्यायें
1.9 व्यावसायिक शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए प्रमुख सुझाव
1.10 अपनी उन्नति जानिय Check Your Progress
1.11 सारांश
1.12 शब्दावली
1.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
1.14 सन्दर्भ
1.15 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1.1 प्रस्तावना-

भारतीय सविधान में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राम्भिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई ह□लेकिन केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2018 से सम्पूर्ण भारत में □र की कक्षाओं तक अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाने की बात की जा रही ह□□समे सामाजिक एकता हेतु शिक्षण व पोषण का सम्मिलित कार्यक्रम, मध्याहन भोजन योजना, नवाचार, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्यक्रम, श□िक ढांचागत विकास व निर्माण कार्य के द्वारा राज्यों में सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी ताकि सभी को शिक्षा सुलभ हो सकें। साथ ही शिक्षा के विकास के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा के विकास को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिय ताकि समाज का युवा वर्ग अपने लिय एक रोजगार प्राप्त कर सके| सामान्य विधार्थियों के साथ

दिव्यांग विधार्थियों के लिय व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिय, क्योकि उनके लिय व्यवासायिक शिक्षा प्रदान किया जाना अति आवश्यक है ताकि वे अपने को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके| आज भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिय अनेक व्यावसायिक कार्यक्रम व पाठ्यकम संचालित किये जा रहे है| दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिय पुरे देश में विशेष शिक्षा में निपुण शिक्षकों की माँग सभी राज्यों में हो रही है, इसके लिय राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के विशेष व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित कर रहे है जो विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर दिव्यांग बालकों की समस्याओं को अच्छी प्रकार से समझ कर उनको उचित शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर सकेगे| ये दिव्यांग बालक विशेष शिक्षा प्रणाली से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर सही रोजगार प्राप्त करेगे, क्योकि कोई भी बालक बड़ा होकर किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिय अन्यथा वह दूसरों के ऊपर रहने पर अपने व्यक्तिव का सही विकास नहीं कर पायेगा| यदि हमें समाज की सही सेवा करनी है तो दिव्यांग बालकों के लिय विशेष शिक्षा कार्यक्रमों में अपना समय व सही मार्गदर्शन प्रदान कर अमूल्य योगदान देना होगा| हमें तब तक अपने कर्तव्य का पालन करना होगा जब तक आपके आस-पास कोई भी दिव्यांग बालक शिक्षा प्राप्त कर रोजगार प्राप्त न कर ले| इसमे शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी जो समाज को एक सही दिशा प्रदान कर सकेगा । आज केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा भी विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है| जो व्यावसायिक शिक्षा के विकास में अपना योगदान दे रहे है|

1.2 उद्देश्य-

1. बालकों को व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान प्रदान कराना |
2. बालकों को व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ समझना |
3. बालकों को व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र का ज्ञान प्रदान कराना |

1.3 व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ –

व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को उसकी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार व्यवसाय चयन में सहायता देने वाली शिक्षा है| इस शिक्षा में एक ओर व्यक्ति की क्षमताओं,योग्यताओं तथा सीमाओं का मूल्याकन कर उचित शिक्षा प्रदान की जाती है| व्यावसायिक शिक्षा के अंतरगत किसी व्यवसाय विशेष की शिक्षा प्रदान की जाती है इसमे सामान्य शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा के सभी पक्ष आते है| इसमे प्रयोगात्मक कौशल अभिवृत्तियों का विकास किया जाता है एवं रोजगार के कौशल, आर्थिक व सामाजिक जीवन से सम्बंधित शिक्षा प्रदान की जाती है| इसका तात्पर्य यह कि व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा का वह सम्वान्वित रूप है जिसे सामान्य शिक्षा के साथ- साथ रोजगार की तैयारी सतत रूप से की जाती है | व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा को रोजगार परक बनाते हुय राष्ट्रीय उत्पादन के

विकास हेतु शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान करना है| इसमे सामान्य शिक्षा के एक समूह को व्यवसाय की और उन्मुख करके उन्हें रोजगार सूचनायँ उपलब्ध कराई जाती है| इसमे एक और विश्वाविद्यालयों की सामान्य शिक्षा की भीड़ कम की जाती है साथ ही दूसरी ओर शिक्षा को रोजगार परक बनाते हुय रोजगारपरक बनाते हुय विधार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न किया जाता है| विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक विषयों का इस तरह समावेश किया जाता है कि विधार्थी शिक्षा प्राप्त करने के साथ आत्मनिर्भर बन जाये|

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामान्य विषयों के साथ-साथ व्यावसायिक विषयों को पढाने का सुझाव दिया| कोठारी आयोग ने कार्य-अनुभव को बढ़ावा दिया| इनके अनुसार शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य विधार्थियों में रोजगार क्षमताओं का विकास करना है तथा उन्हें विशिष्ट रोजगार योजना के लिय तैयार करना है | इसके अतिरिक्त स्व-रोजगार, कृषि तथा कुटीर उद्योग पर भी बल दिया|

1.4 व्यावसायिक शिक्षा की परिभाषाएँ –

इनसाइक्लोपीड़िया अमेरिका के अनुसार- "किसी व्यावसाय के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल एवं अभिवृतियों की शिक्षा देना तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा है।"

व्यापक रुप में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत उन सभी प्रकार की शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होता है। तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा का ही अंग है।

व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा एक विशिष्ट प्रकार का शिक्षा रुप है जिनका व्यक्ति और समाज के साथ अभिन्न समन्वय है। दोनों के लिए यह शिक्षा आर्थिक संबंध है। यह शिक्षा विशेष प्रकार के वृत्तिमुखी एवं तकनीकी कार्य करने के लिए परिकल्पित मानव संपदा की सृष्टि में भाग लेती है, इसलिए इस शिक्षा को वृत्तिमुखी तथा तकनीकी शिक्षा कहा जाता है। अर्थात जो शिक्षा शिक्षार्थी को किसी विशेष वृत्ति के समन्वय में ज्ञान एवं कुशलता अर्जित करने में सहायक होती है और पूर्व एवं नव अर्जित दक्षता का प्रयोग कर उस वृत्ति को सुंदर ढंग से संपन्न करने में सक्षम होता है, उसे ही वृत्तिमूलक एवं तकनीकी शिक्षा कहते है।

नेशनल वोकेशनल गाईडेंस एसोसियेशन 1937 के अनुसार- "व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को व्यवसाय चुनने, उसके लिय आवश्यक तैयारी करने में सहायता देने की प्रक्रिया है| इसका प्रमुख उद्देश्य भविष्य की योजना में निहित निर्णय लेने एवं जीविका का चयन

करने में व्यक्ति की सहायता करना है और ये निर्णय एवं चयन संतोषजनक व्यावसायिक समायोजन के लिय आवश्यक है|"

अन्तराष्ट्रीय श्रम संघटन 1949 के अनुसार- " व्यक्ति के गुणों तथा उनका व्यावसायिक अवसरों के साथ सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुय व्यक्ति को व्यवसाय चयन में और उसमे प्रगति से सम्बंधित समस्यायों को हल करने में दी जानी वाली सहायता ही व्यावसायिक शिक्षा है|"

राबर्टस के अनुसार – " व्यावसायिक शिक्षा किसी व्यवसाय के चयन और उसमें समायोजन में भाग लेने वाली प्रविधियों और समस्यायों से सम्बंधित है|"

क्रो एवं क्रो के अनुसार - " व्यावसायिक शिक्षा की व्याख्या प्राय सीखने वाले को किसी व्यवसाय के चयन, उसमे तैयारी और उसमे प्रगति करने में सहायता के रूप में की जाती है|"

मायर्स के अनुसार - "व्यावसायिक शिक्षा किसी व्यक्ति को स्वमं के व्यवसाय से सम्बंधित कुछ निश्चित कार्य करने में सहायता देने की प्रक्रिया है |"

राबर्टस के अनुसार- व्यावसायिक शिक्षा किसी व्यवसाय के चयन ओर उसमें में भाग लेने वाली प्रविधियों ओर समस्यायों से सम्बंधित है|

1.5 व्यावसायिक शिक्षा का क्षेत्र -

वर्तमान समय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय विकल्प बन गया है, विद्यार्थी अपनी वारीयता अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रम का विकल्प चुन रहे हैं चूंकि वे निश्चित रूप से निर्धारित व्यवसाय को अपने जीवन में जल्द ही अपनाना चाहते हैं। जिस प्रकार के उद्योग के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, उसकी तर्ज पर ये पाठ्यक्रम कुछ व्यवसाय प्रदान करते हैं जैसे औषधि, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विधि, जन संचार, अतिथेय आदि। ऐसी उत्सुकता मन में रखते हुए सरकार ने विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए काफी प्रयास किया है।

शिक्षा में कौशल को जोड़ने और माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा पर नए सिरे से ध्यान केन्द्रित करने पर अधिक बल दिया गया है। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क (एनवीईक्यूएफ) को राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) से जोड़ा गया है। इस ग्रुप का उद्देश्य व्यावसायिक अर्हताओं की स्वीकार्यता को बढ़ाने, व्यावसायिक शिक्षा को कार्यान्वित करने में पेश आ रही कठिनाईयों, हॉरीज़ोन्टल और वर्टिकल मोबिलिटी सुनिश्चित करने, शिक्षकों की उपलब्धता संबंधी मुद्दों की जांच करना होगा। कुछ राज्य व्यावसायिक शिक्षा को कारगर तरीके से मुख्यधारा की शिक्षा में जोड़ रहे हैं। अन्य राज्यों में इसे कैसे अपनाया अथवा अनुकूल बनाया जा सकता है? व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण राष्ट्र के शिक्षा संबंधी प्रयास का एक महत्वपूर्ण तत्व है । राष्ट्र के बदलते परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक शिक्षा, और अधिक प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभा सके तथा भारत की बड़ी जनसंख्या/विशाल जन समूह इसका लाभ उठा सके, उसके लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण तत्वों को पुन: परिभाषित करने की अत्यधिक आवश्यकता है, जिससे वह इसे और अधिक सुविधापूर्ण, समकालीन, प्रासंगिक सम्मिलित और सृजनात्मक बन सकें । सरकार व्यावसायिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका से भली भांति अवगत है, इसीलिए सरकार इस क्षेत्र में पहले से ही बहुत से महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है । इस समय भारत स्कूल पर आधारित व्यावसायिक शिक्षा एक केंद्रीय प्रवर्तित योजना में शामिल है जिस पर 1988 में विचार विमर्श किया गया और जिसका उद्देश्य उच्चतर शैक्षिक शिक्षा का विकल्प प्रदान करना था । एनआईओएस के व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विकास के लिए व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों क्षेत्रों के लिए कुशल और मध्यमवर्गीय जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करना है । बाजार की मांग और शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों का क्षेत्र पिछले वर्षों में बढ़ता रहा है । एनआईओएस के वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से संबन्धित है

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)' भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रायोजित है। इसका उद्देश्य 15 साल से 35 साल तक के युवाओं को अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके स्वावलंबी बनाना है। इस संगठन का कार्य शहरी / ग्रामीण जनसंख्या, विशेषकर नए साक्षरों, अर्ध साक्षर, अनु. जाति, अनु. जनजाति, महिला और बालिकाओं, झुग्गी - झोंपडियों के निवासियों, प्रवासी कामगारों आदि के लिए सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े और शैक्षिक रूप से अलाभ प्राप्त समूहों के लिए शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यावसायिक विकास करना है। वर्तमान में देश में 221 जेएसएस हैं, जहां असंख्य व्यावसायिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए अलग-अलग अवधि होती है।

लगभग 380 व्यावसायिक पाठ्यक्रम इन संस्थानों द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं। ट्रेड/पाठ्यक्रम जिनके लिए प्रशिक्षण दिए जाते हैं, उनमें कटाई, सिलाई और परिधान बनाना, बुनाई और कढ़ाई, सौन्दर्य वर्द्धन और स्वास्थ्य देखभाल, हस्तशिल्प, कला, चित्रांकन और चित्रकारी, इलेक्ट्रोनिक, बेल्डिंग, मोबाइल फोन रिपेयरिंग, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, फूलों की खेती, कृमि खाद, आदि शामिल हैं। सालाना लगभग 17 लाख युवा विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। जन शिक्षण संस्थान बोकारो ने मिट्टी की डिजाइनर टाइल्स निर्माण का अपने किस्म का अनूठा कोर्स चला रखा है।

भारत सरकार की माध्यमिक शिक्षा की दूरदर्शिता से संबंधित व्यापक संभावना और सुलभता के क्षेत्र वाली इस योजना के लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि माध्यमिक स्तर पर अच्छी गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध, सुलभ और उसकी पहुंच में हो। इस संदर्भ में आरएमएसए सहित सभी पांच योजनाओं ने विशिष्ट ग्रेडों और आयु स्तरों पर व्यापक आयु वर्ग में लक्षित मध्यस्थता से सहायता की है। चारों योजनाओं पर आरएमएसए के मार्गदर्शी सिद्धांतों और उद्देश्यों के मान-चित्रण से प्राप्त निष्कर्ष दर्शाते हैं कि आरएमएसए के समग्र उद्देश्य की पूर्ति में ये सभी योगदान करते हैं। तथापि, आरएमएसए हालांकि, इस समय मुख्य रूप से सुलभता, साम्यता और समानता पर फोकस करता है, आईटीसी और व्यावसायिक शिक्षा जैसी योजनाओं का उद्देश्य शिक्षा की प्रासंगिकता में सुधार करना है।

माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना शैक्षिक अवसरों की विविधता प्रदान करती है ताकि व्यक्तिगत नियोज्यता में वृद्धि हो, कुशल जनशक्ति की मांग और पूर्ति के बीच अंतर को कम किया जाए और जो उच्चतर शिक्षा पाने के इच्छुक हों, उन्हें विकल्प प्रदान किया जा सके। +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण सन 1988 से कार्यान्वित किया जा रहा है जबकि संशोधित योजना 1992-93 से प्रचालन में है। यह योजना राज्यों को प्रशासनिक ढांचे स्थापित करने,

क्षेत्रवार व्यावसायिक सर्वेक्षण करने, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास-पुस्तिकाएं, पाठ्यचर्या गाइडें, प्रशिक्षण मेनुअल तैयार करने, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, अनुसंधान और विकास के लिए तकनीकी सहायता प्रणाली सुदृढ़ करने, प्रशिक्षण और मूल्यांकन इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, यह एनजीओ और स्वैच्छिक संगठनों को अल्पावधि पाठ्यक्रमों के लिए विशिष्ट नवाचारी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना में अब तक 9619 स्कूलों में 21000 सेक्शनों की अवसंरचना से +2 स्तर पर 10 लाख छात्रों का क्षमता निर्माण किया जा चुका है। व्यावसायिक शिक्षा योजना के कार्यान्वयन के लिए अब तक 755 करोड़ रूपए का अनुदान जारी किया जा चुका है।

1.6 व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की विशेषताएँ (Characteristics of Vocational and Technical Education) -

i) इस शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है। यह बालक की रुचि, प्रवृति एवं व्यक्तित्व का ध्यान रखती है। इस शिक्षा योजना में शिक्षक एवं पुस्तक के स्थान पर बालक को विशेष महत्व दिया जाता है।

ii) जीवन संबंधित-यह शिक्षा जीवन से संबंधित है। यह शिक्षा परिवार, श्रम तथा कार्य से संबंधित है।

iii) इस शिक्षा का आधार व्यक्तित्व का विकास करना है।

iv) व्यावसायिक शिक्षा एक विशिष्ट शिक्षा है।

v) व्यावसायिक शिक्षा का रुप स्थिर नहीं रहता है। समय की गति एवं सभ्यता के विकास के साथ इसके रुप में परिवर्तन आता है।

vi) व्यावहारिक शिक्षा-यह शिक्षा एक व्यावहारिक शिक्षा है। यह शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान न प्रदान कर जीवन के हर क्षेत्र के लिए उपयोगी होती है।

Objectives of Vocational and technical Education

i) इस शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक होना चाहिए- यह बालक की रुचि, प्रवृति एवं व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए शिक्षा योजना में शिक्षक एवं पुस्तक के स्थान पर बालक को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए।

ii) स्थायी ज्ञान की प्राप्ति-इस शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक कार्य को वैज्ञानिक ढ़ंग से सिखाया जाता है। विभिन्न क्रियाओं में सक्रिय भाग लेने तथा क्रियाओं के रुचि के अनुकूल होने से इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है।

iii) व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बन एवं आत्मनिर्भर बनाना- इस शिक्षा प्रणाली में स्वावलम्वन एवं आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त को अपनाया जाता है।

iv) सर्वांगीण विकास-यह शिक्षा बालक के सर्वागीण विकास पर बल देता है।

v) जीवन से संवंधित-यह शिक्षा जीवन से संबंधित है। यह शिक्षा परिवार,श्रम तथा कार्य से संबंधित है।

vi) देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना।

1.7 व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता/महत्व (Need/Importance and Utility of Vocational-technical Education) -

i) व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस शिक्षा के महत्व का आभास होता है। आधुनिक युग में तो किसी विशेषधर्मी शिक्षा के अभाव में जीवन-निर्वाह ही कठिन है।

ii) यातायात वाहनों के प्रयोग, विभिन्न वेश-भूषा की संरचना, रोगों के उपचार, रहन-सहन, सांस्कृतिक परिवेश का संरक्षण, मानसिक विकास, संगीत-नृत्य-नाट्य, चित्रांकन जैसे कार्य के लिए यह शिक्षा अनिर्वाय है।

iii) जीविकोपार्जन सम्बन्धी कार्य करने के लिए यह शिक्षा प्रशिक्षण देता है। कहा जाता है कि मनुष्य रोटी के बिना नहीं रह सकता। रोटी-कपड़ा और मकान अनिर्वाय है। इसके लिए मनुष्य को कार्य करना ही पड़ता है। किन्तु बिना समुचित प्रशिक्षण के यह कार्य कठिन है। व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रशिक्षण माध्यम से अपना आवश्यकता को पूर्ण कर सकती है।

iv) सांस्कृतिक अभिरुचि की पूर्ति के लिए यह शिक्षा आवश्यक है। संस्कृति ही उसे आत्मिक सौंदर्य एवं उल्लास प्रदान करती है। संगीत-साहित्य-कला के माध्यम से व्यक्ति सुसंस्कृत एवं सभ्य बनता है। उनका रचनात्मक प्रभाव मानवीय आचार-विचार पर पड़ता है।

v) इस शिक्षा का महत्व इसलिए भी है कि यह व्यक्ति की उन्नति का साधन मात्र न होकर समाज एवं राष्ट्र की उन्नती,राष्ट्रीय एकता,अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व जैसे कार्यों में भी योगदान देती है। समाज,जाति तथा राष्ट्र तभी विकास करती है जब उसमें दक्ष ड़ाक्टर,इंजीनियर,तकनीशियन,कारीगर आदि हों क्योंकि इन लोगों का विशेष ज्ञान ,दक्षता एवं अभिज्ञता ही समाज एवं जाति अथवा राष्ट्र की उन्नति के कारण बन जाते हैं। कला-कौशल, वाणिज्य-व्यवसाय तथा तकनीकी इंजीनियरिंग दृष्टि से विकसित राष्ट्र सहज ही आधुनिक विश्व मंच पर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं।

vi) विशेषधर्मी शिक्षा का प्रभाव घर के आंतरिक कक्ष से लेकर विशाल भू-क्षेत्र की सीमान्त रेखाओं के बीच तथा आकाश-मंड़ल के ग्रहों-नक्षतों के रहस्य-लोक तक व्याप्त हैं।

1.8 व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की समस्यायें (Problems of Vocational-technical Education) -

i) अनुचित दृष्टिकोण की समस्या- हमारे देश में इस शिक्षा के प्रति लोगों का दृष्टिकोण उचित नहीं है। यहाँ मानसिक श्रम की अपेक्षा शारीरिक श्रम को हेय दृष्टि से देखा जाता है।

ii) शिक्षा में अनुपयुक्त माध्यम की समस्या-व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। इससे छात्रों को विषय समझने में कठिनाई होती है।

iii) संकीर्ण पाठ्यक्रम की समस्या- इस तरह के विद्यालय का पाठ्यक्रम संकीर्ण होता है। ऐसी शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के दृष्टिकोण प्राय: भौतिकवादी हो जाता है और वे समाज की विभिन्न रुचियों, प्रवृतियों तथा आवश्यकताओं को नहीं समझ पाते हैं।

iv) विद्यालयों का अभाव- स्वतन्त्र भारत में अनेक तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थान स्थापित किये जा चुके हैं। फिर भी व्यापक माँग की अपेक्षा उनकी संख्या कम् है। शिक्षा प्राप्त नवयुवक तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में विशेष रुप से इच्छुक होते हैं, किन्तु विद्यालयों की कमी के कारण उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाता है।

v) प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव- तकनीकी शिक्षा संस्थाओं के लिए सुयोग्य प्रशिक्षित अध्यापक नहीं मिल पा रहे हैं जिससे इस शिक्षा के विस्तार-कार्य को काफी धक्का पहुँच रहा है।

तकनीकी शिक्षा में जिन विद्यार्थीयों को अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, वे आर्थिक कारणों से अन्य संस्थाओं में चले जाते हैं। जिसके कारण औसत मान के विद्यार्थी ही शिक्षकीय पेशा को अपनाते हैं।

vi) प्रायोगिक शिक्षा की उपेक्षा- तकनीकी शिक्षा में प्रयोगों का विशेष महत्व है, किन्तु विद्यालयों में सैद्धांतिक शिक्षा पर ही विशेष बल दिया जाता है। तकनीकी विषयों को श्यामपट पर ही समझा दिया जाता है। प्रायोगिक शिक्षा के अभाव में विद्यार्थी विषय को

अच्छी तरह नहीं समझ पाते और शिक्षा समाप्ति के पश्चात् उन्हें व्यावहारिक क्षेत्र में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। **vii)** व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य की सुविधाओं का अभाव है।

1.9 व्यावसायिक शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए प्रमुख सुझाव (Main Solution the problems of Vocational Education)-

व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए प्रमुख सुझाव निम्नलिखित है-

i) Change in attitude (दृष्टिकोण में परिवर्तन)-शारीरिक श्रम के प्रति जनता का दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है। इसके लिए सरकार एवं समाज-संस्थाओं का कर्तव्य है कि वे जनता को शारीरिक श्रम के महत्व से अवगत कराएं।

ii) Increase in the number of Technical and Vocational schools (पर्याप्त संख्या में विद्यालयों की स्थापना)-सरकार को विभिन्न स्तर की तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं का स्थापना करनी चाहिए।

iii) Encouragement to the teachers for teaching in Technical schools (विद्यालयों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों का प्रोत्साहन)-तकनीकी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस शिक्षा के अभाव की समस्या तभी हल की जा सकती है, जब सरकार इन विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन में सुधार लाकर उनके समस्याओं का समाधान करे।

iv) General Education in curriculum (पाठ्यचर्या में सामान्य शिक्षा का स्थान)- व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के पाठ्यचर्या में सामान्य शिक्षा को भी उचित स्थान देना चाहिए। पाठ्यचर्या का जीवन के साथ सामंजस्य होना आवश्यक है।

v) National language or Mother tongue is the medium of the instruction (राष्ट्रीय भाषा एवं मातृभाषा शिक्षा का माध्यम)-हिन्दी को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा

का माध्यम बनाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि हिन्दी भाषा में समस्त व्यावसायिक एवं तकनीकी पुस्तकों का अनुवाद कराया जाय।

vi) Importance place of Technical education in technical school (प्रायोगिक शिक्षा का तकनीकी विद्यालयों में महत्वपूर्ण स्थान)-व्यावसायिक एवं तकनीकी विद्यालयों में प्रायोगिक शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए।

vii) अनुसंधान कार्य के प्रोत्साहन के लिए अनुसंधानकर्ताओं को हर सम्भव आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

1.10 अपनी उन्नति जानिए Check Your Progress

प्रश्न 1.व्यावसायिक शिक्षा किससे सम्बंधित है ?

A . स्कूल शिक्षा B. अनौपचारिक शिक्षा

C. कौशल शिक्षा D. उच्च शिक्षा

प्रश्न 2. व्यावसायिक शिक्षा किस स्तर पर प्रदान की जाती है ?

A. प्री. प्राथमिक स्तर B. प्राथमिक स्तर

C. उच्च स्तर D. माध्यमिक स्तर

प्रश्न 3. व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है|

A. दिवयागों के लिय B. सामान्य बच्चों के लिय

C. मुस्लिमों के लिय D. सभी के लिय

1.11 सारांश –

प्रत्येक व्यवसाय के विभिन्न पक्ष (aspect) होते है या उनसे सम्बंधित कुछ विचारणीय तथ्य होते है किसी भी व्यवसाय का अध्ययन करने से पहले उसके बारे में बहुत सोचना पड़ता है | व्यासायिक शिक्षा या व्यावसायिक निर्देशन के लिय भी यह जरुरी हो जाता है कि प्रत्येक व्यवसाय का उसके विचारणीय तथ्य या पक्षों का विश्लेषण करके यह पता लगाया जा सके कि कौन सा व्यक्ति

व्यवसाय के विभिन्न पक्षों के अनुकूल है अथवा नहीं | क्या व्यक्ति व्यवसाय के विभिन्न पक्षों के अनुसार योग्यता रखता है, उसने उससे सम्बंधित व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त की है, साथ ही वह उस संस्थान को लाभ पहुँचा सकता है | व्यासायिक शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व यह जान लेना अति आवश्यक है कि आज के समय व आने वाले समय में रोजगार कि सम्भानाएँ कितनी दिखाई पड़ रही है क्योकि रोजगार के अभाव में व्यावसायिक शिक्षा का कोई महत्व नही रह जाता है | आधुनिक समय में चारों ओर व्यावसायिक शिक्षा के केन्द्र स्थापति हो गये है जिनका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है लेकिन यदि गहराई से देखा जाये तो एन संस्थानों में शिक्षा के साथ छात्रों से धन को लूटना है , ये व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर छात्रों से मोटी रकम लुट रहे है | सरकार व जागरूक नागरिकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि इन संस्थानों पर गहरी निगरानी रखे क्योकि यह भी देखा जाना चाहिय कि दिव्यांग बालको के लिय इन संस्थानों में क्या सुविधायँ पप्रदान की जा रही है, उनके लिय रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध कराये जाते है ? आज के समय में रोजगार परक शिक्षा की अति आवश्यकता है, यह कार्य व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से सम्भव हो सकता है जिससे दिव्यांग बालकों को अधिक से अधिक रोजगार प्रदान कर वे अपने पैरों पर खड़े होकर समाज के आर्दश नागरिक बन कर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका मिल सके| रोजगार परक शिक्षा के इन संस्थानों में अच्छी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिय| साथ ही शिक्षकों का भी यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि वे उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हुय रोजगार के मार्ग आने वाली परिस्थितियों को दिखाएँ|

1.12 शब्दावली Glossary-

Change in attitude (दृष्टिकोण में परिवर्तन)-शारीरिक श्रम के प्रति जनता का दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है। इसके लिए सरकार एवं समाज-संस्थाओं का कर्तव्य है कि वे जनता को शारीरिक श्रम के महत्व से अवगत कराएं।

ii) Increase in the number of Technical and Vocational schools (पर्याप्त संख्या में विद्यालयों की स्थापना)-सरकार को विभिन्न स्तर की तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं का स्थापना करनी चाहिए।

iii) Encouragement to the teachers for teaching in Technical schools (विद्यालयों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों का प्रोत्साहन)-तकनीकी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस शिक्षा के अभाव की समस्या तभी हल की जा सकती है, जब सरकार इन विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन में सुधार लाकर उनके समस्याओं का समाधान करे।

1.13अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Check Your Progress

उत्तर 1. C. कौशल शिक्षा उत्तर 2. D. माध्यमिक स्तर उत्तर 3. D. सभी के लिय

1.14 सन्दर्भ पुस्तकें –

रावत, (डॉ) □शा. (2007) *वृतिक निर्देशन तथा रोजगार सूचना*. मेरठ: □र.लाल. बुक डिपो.

ओबराय, (डॉ) एस.सी. (2008) *शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श*. मेरठ: इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस.

भाटिया, (डॉ) □र. सी. (2009) *व्यावसायिक संघटन एवं प्रबन्ध*. बम्बई: हिमालय पब्लिशिंग हाउस.

नोलखा, (डॉ) □र.एल. (2010) *व्यावसायिक संघटन*. नई दिल्ली: रमेश बुक डिपो.

भाटिया, (डॉ) □र. सी. (2008) *कार्यालय प्रबन्ध,* नई दिल्ली: एटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स.

1.15 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

प्रश्न 1 व्यावसायिक शिक्षा से □प क्या समझते हो ? व्यावसायिक शिक्षा □ज के समय में कितनी उपयोगी है ? विस्तार से लिखिय |

प्रश्न 2 व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ लिखिय, एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिय|

प्रश्न 3 व्यावसायिक शिक्षा की परिभाषाएँ लिखिय | व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश एवं निराकरण के उपायों को विस्तार से लिखिय|

प्रश्न 4 व्यावसायिक शिक्षा से आपका क्या सम्प्रत्य है ? व्यावसायिक शिक्षा दिव्यांगो के लिय कितनी महत्वपूर्ण है? विस्तार से वर्णन कीजिय |

प्रश्न 5 व्यावसायिक शिक्षा जीवन की आधारशिला है इसके प्रमुख विशेषताओं को विस्तार से लिखिय|

इकाई -2 कानून, नीति, एजेंसी, योजनाएं रियायतें और लाभ पीडब्ल्यूडीएस रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण

Legislation, Policy, Agency, Schemes Concessions & Benefits For PWDs Employment and Vocational Training

2.1 प्रस्तावना
2.2 उद्देश्य
2.3 व्यवसाय का अर्थ
2.4 व्यवसाय के चयन में ध्यान रखने योग्य तथ्य
2.5 रोजगार चयन को प्रभावित करने वाले कारक
2.6 रोजगार सूचना के स्त्रोत
2.7 व्यवसायों का वगीकरण
2.8 राष्ट्रीय नीतियाँ और कानून
2. 9 विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति (PWDs)

2.11 सारांश Summary
2.12 शव्दावली Glossary
2.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
2.14 सन्दर्भ पुस्तकें
2.15 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

2.1 प्रस्तावना (Introduction)-

भारत सरकार द्वारा सभी वर्गों के बालकों के लिय रोजगार के द्वार खोले गये है | भारत सरकार संविधान में निर्मित विभिन्न धाराओं के माध्यम से रोजगार की व्यवस्था की गयी है, क्योकि मानव को अपने जीवनयापन के लिय किसी न किसी व्यवसाय को अपनाना पड़ता है, उसके लिय उसे विभिन्न प्रकार के कौशल व प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है | यह प्रशिक्षण सरकार व व्यक्तिगत संस्थाओं के द्वारा भी प्रदान किये जाते है| कुछ व्यक्ति सरकारी नौकरी करते है तो कुछ प्राइवेट नौकरी

प्राप्त करते है लेकिन अपने जीवन यापन व परिवार कि जिम्मेदारी को उठाने के लिय वे रोजगार को अवश्य ही अपनाते है| रोजगार के लिय समय-समय पर केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा व अनेक संस्थाओं द्वारा विभिन्न पदों की विज्ञाप्ति निकाली जाती है जिनके आधार पर योग्य व प्रशिक्षित व्यक्तियों को नौकरी प्रदान की जाती है| इनमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों व प्रमोशन में उनकी जनसंख्या के आधार पर भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है| यह आरक्षण उनकों निरन्तर प्राप्त होता रहेगा, इसके लिय संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है| आज आरक्षण इसलिय भी आवश्यक है क्योकि 4000 हजार वर्षों से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को शिक्षा व सरकारी नौकरियों से दूर रखा गया है| आज भी इनके प्रति सरकार संवेदनशील दिखाई नहीं दे रही है क्योकि भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर आज तक इन वर्गों से सिर्फ 5% को ही सरकारी नौकरी प्राप्त हो पायी है| 95 % पदों को अभी तक सरकार ने भरा ही नहीं है| इसकी भरपाई हेतु केन्द्र सरकार व राज्य सरकार को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों न केवल सरकारी नौकरी में बल्कि प्राइवेट संस्थानों/ कार्यालयों में आरक्षण व प्रमोशन में आरक्षण को लागू किया जाना चाहिय| आज सरकार का ध्यान समाज के उन दिव्यांग बच्चों कि ओर भी जा रहा है जो अपनी विकलांगता के कारण सामान्य बच्चों से पिछड़े रहे है उनकों न केवल प्रशिक्षित किया जाये बल्कि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाये | दिव्यांगो को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर सरकार द्वारा उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाये, रोजगार के लिय तैयार करने से पूर्व उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाये| सभी देशों ने दिव्यांगो की शिक्षा व रोजगार के लिय आपने स्तर से व सामूहिक रूप से कदम उठायें है जिनके कारण उन्हें रोजगार प्राप्त हो रहे है| आज उनको प्रशिक्षण व कौशल क्षमता का विकास करने के लिय विशेष शिक्षक तैयार किये जा रहे है जो इन बालको कि समस्याओं को पहचान कर स्वमं व अभिभावकों के साथ मिलकर उनकों उचित शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान कर रहे है| आज देश में रोजगार कि कमी नहीं है बल्कि उनके लिय स्वमं को तैयार करना है, अपने अन्दर हमें विशेष योग्यता, विशेष कौशल, विशेष प्रशिक्षण व नवीनता से अपडेट होकर रहना होगा| समाज में हो रहे बदलाव के साथ अपने को तैयार करके उसके साथ तारमयता बैठानी होगी, तभी समाज को एक सही दिशा प्रदान कि जा सकती है|

2.2 उद्देश्य Objectives-

i. व्यवसाय के संप्रत्यय को समझ सकेगें|

ii. व्यवसाय के चयन में ध्यान रखने योग्य तथ्य को समझ सकेगें

iii. रोजगार चयन को प्रभावित करने वाले कारक को समझ सकेगें

iv. रोजगार सूचना के स्त्रोत को जान सकेगें

v. विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति को समझ सकेगें

2.3 व्यवसाय का अर्थ (Meaning of Occupation)-

व्यावसाय अनेक कार्यों का एक समूह है। एक व्यवसाय में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं। शार्टले ने अनेक समान स्थितियों वाले कार्यों को एक व्यवसाय का नाम दिया है। व्यक्ति रोजगार का चयन जीविकोपार्जन के लिए करता है, किन्तु रोजगार उसके जीवन के विभिन्न पक्षों पर अपना प्रभाव डालता है। यह सत्य है कि किसी रोजगार का चयन करना इतना आसान नहीं है। यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि लम्बी प्रक्रिया है अतः इसका जीवन में बहुत महत्वपुर्ण स्थान है।

रोजगार के प्रति अभिरूचि का पता आरम्भ में नहीं लगता, बल्कि यह विकास की प्रक्रिया है। इस सन्दर्भ में मनोवैज्ञानिकों तथा रोजगार विशेषज्ञों ने अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। जिजंबर्ग ने रोजगार चयन के विषय में कहा है कि व्यक्ति वर्षों में अनेक निर्णय लेता है व बदलता रहता है। उन्होंने रोजगार-चयन को निम्नलिखित तीन अवस्थाओं में रखा है-

1 प्रथम निर्णय की अवस्था- काल्पनिक वृत्तिक निर्णय

2 द्वितीय निर्णय की अवस्था- सम्भावित रोजगार निर्णय

3 तृतीय निर्णय की अवस्था- वास्तविक वृत्तिक निर्णय

प्रथम निर्णय की अवस्था किशोरावस्था से पूर्व, द्वितीय की किशोरावस्था में तथा अन्तिम युवावस्था में होती है।

2.4 व्यवसाय के चयन में ध्यान रखने योग्य तथ्य -

यह आवश्यक है कि व्यवसाय का चयन करते समय कुछ बातों पर गम्भीरता से ध्यान दिया जाये ताकि आगे चल कर गलत निर्णय पर पछताना न पड़े। कुछ मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं-

1. अपनी रूचियों व क्षमताओुं का आकलन - विद्यार्थी के लिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि उसकी रूचि व क्षमता के अनरूप किस प्रकार की व्यवसायका चयन करना उपयुक्त रहेगा। प्रत्येक व्यवसायके लिए अलग- अलग क्षमता तथा योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी छात्र की रूचि सेना में जाने की है तो इसके लिए उसमें अपेक्षित शारीरिक मानसिक क्षमता भी होनी चाहिए । आवश्यक है कि अपनी रूचि , क्षमता तथा योग्यता का सम्पुर्ण आकलन करने के बाद किसी व्यवसायका चयन किया जाये।

2 व्यवसाय के सूक्ष्म विश्लेषण- जिस व्यवसाय में जाना है, उसके सारे पहलुओं का विश्लेषण कर लेना आवश्यक है। कार्य की प्रकृति अपनी प्रकृति से मेल खाती है या नहीं ! यह देखना अनिवार्य है। उस व्यवसायका समाज में क्या स्थान है और उसका भविष्य क्या है !इन तथ्यों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना चाहिए-

I. कार्य की प्रकृति
II. समय या अवधि
III. व्यवसायका भविष्य
IV. भौगोलिक वातावरण
V. वेतन व अन्य सुविधायें
VI. विकास के अवसर

3 व्यवसाय की तैयारी तथा अध्ययन- व्यवसायका चयन करने के बाद उसके लिए पूरी तैयारी कर ली जानी चाहिए।इसके लिए संबधित साहित्य का अध्ययन करना आवश्यक है। साथ ही उस व्यवसायसे जुड़े लोंगो के अनुभव बहुत उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि ये अनुभव व्यावहारिक होते है। आधुनिक समय में नये-नये कार्य अस्तित्व में आ रहे हैं।यदि उनमें जाने के इच्छुक हों तों उनका बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। नये कार्यो को समाज में जगह बनानें में समय लगता है, अतः उनका आकलन ठीक प्रकार से होना चाहिए। इसके साथ ही स्वयं की अपेक्षित सामान्य व विशिष्ट योग्यताओं की परख भी करनी चाहिए।

4 लक्ष्य हेतु लगन व संकल्प- किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुर्ण लगन तथा दृढ़ संलल्प का होना परम आवश्यक है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन-कौन से प्रयास किये जायें, यह जानना आवश्यक है। अपना काम पूरी लगन से करने के बाद व्यक्ति को आत्म-संतोष मिलता है और यही लगन उसे ऊँचाईयों तक ले जाती है। व्यवसायमें विकास भी तभी किया जा सकता है, जब नियत कर्म को पुरी गम्भीरता तथा रूचि से किया जाये।

2.5 रोजगार चयन को प्रभावित करने वाले कारक (Facture Affecting Occupational Choice) –

रोजगार चयन निश्चित रूप से एक लम्बी प्रक्रिया है और इसके विकास में एक नहीं बल्कि अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि कोई व्यक्ति अपना रोजगार सिर्फ अपनी इच्छा या रूचि से प्रेरित होकर चुनता है। सच तो यह है कि जाने अनजाने अनेक कारक

मिल कर व्यक्ति पर जो छाप छोड़ते हैं उनके प्रभावस्वरूप ही वह किसी एक रोजगार का चयन करता है। अतः कहा जा सकता है कि रोजगार चयन या वृत्तिक विकास के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं-

(1) व्यक्तित्व सम्बन्धी कारक- इन कारकों मे व्यक्ति की रूचि ,क्षमता तथा योग्यता आती है। व्यक्ति को जिस कार्य में रूचि होती है, उसी में वह सन्तोष का अनुभव करता है और वैसा ही व्यवसाय ढूँढ़ता है। यदि किसी की रूचि चित्रकला में है तो वह उसी से मिलते जुलते व्यवसाय जैसे- डिजाइनिंग , पेंटिंग, फाइन आर्ट्स आदि में जाने का प्रयत्न करेगा, रूचि के साथ ही उसकी क्षमता तथा योग्यता भी उसके व्यवसाय को प्रभावित करती है।

व्यक्तित्व में स्वभाव का भी गुण आता है। अन्तर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति अध्ययन, अध्यापन, निरीक्षण, नियोजन आदि कार्यो में रूचि लेते हैं, तो बहिर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति सामाजिक कार्यों ,एजेन्ट, रिसेप्शनिस्ट जन- सम्पर्क व सम्बन्ध में अधिक रूचि लेते है। शारिरिक मानसिक स्वास्थ्य का भी विशेष महत्व है। सेना व सुरक्षा की सेवाओं में उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य का होना बहुत आवश्यक है जबकि मानसिक कार्यों में लम्बाई, वजन, दृष्टि आदि का उत्तम होना आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति का आत्मविश्वास ,नेतृत्व, क्षमता, कार्यकुशलता, समायोजन क्षमता आदि भी रोजगार- चयन के प्रभावी कारक हो सकते हैं।

(2) पारिवारिक कारक- स्वभावतः बच्चे के विकास पर उसके पारिवारिक वातावरण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवार की आदतें ,विचार तथा संस्कार उसके साथ जीवन पर्यन्त रहते हैं। पारिवारिक व्यवसाय का बच्चे के मन पर प्रभाव पड़ता है। बाल्यावस्था में वह पिता का अनुकरण करता हुआ उसी के जैसा बनना चाहता है, किन्तु धीरे-धीरे वह अन्य व्यक्तियों के सम्पर्क में आता है और कभी -कभी उनके कार्य या व्यवसाय उसे प्रभावित करने लगते हैं। यही नहीं, परिवार की शैक्षिक व आर्थिक स्थिति भी व्यवसाय को प्रभावित करती है। शिक्षित और जागरूक अभिभावक आरम्भ से ही बच्चे की शिक्षा-दीक्षा पर उचित ध्यान देते हुए उसे उच्च व्यवसाय की ओर उन्मुख करते है।दुसरी ओर अशिक्षित व निर्धन अभिभावक न तो बच्चे का उचित मार्गदर्शन कर पाते हैं और न ही उनकी शिक्षा के स्तर पर ध्यान दे पाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कैसा भी व्यवसाय अपना लेता है चाहे उसमें आगे बढ़ने की अधिक संभावना हो या नहीं।

परिवार की धार्मिक तथा सांस्कृतिक विचारधारा का भी व्यक्ति के व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। भारत में पहले व्यवसाय जाति से जुड़ा था। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार व्यक्ति अपना पैतृक कार्य ही अपनाता था। आधुनिक युग में जातीय बन्धन शिथिल होने के कारण पुरानी व्यवस्था नहीं रहीं, फिर भी व्यवसाय पर जाति का प्रभाव आज भी है। अधिकांशतः वैश्य जाति के व्यक्ति व्यापार करते है और शूद्र जाति के व्यक्ति सफाई आदि के कार्यों से जुड़े हैं।

(3)आर्थिक कारक- आर्थिक कारक में एक ओर परिवार की आर्थिक स्थिति आती है दूसरी ओर व्यक्ति का आर्थिक दृष्टिकोण। सभी जानते हैं कि आज के युग में स्तरीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण कितने मंहगें है। यदि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो महंगी शिक्षा ले कर ऊँची नौकरी प्राप्त की जा सकती है, किन्तु विपन्न आर्थिक स्थिति के चलते साधारण शिक्षा में ही सन्तोष करना करना पड़ता है और परिणामस्वरूप नौकरी भी साधारण ही मिलती है। व्यक्ति के आर्थिक दृष्टिकोण का भी उसके व्यवसाय- चयन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुुछ व्यक्ति जीवन में अधिकाधिक धन कमाना चाहते हैं और इसी के अनुरूप जीविका की तलाश करते हैं, किन्तु कुछ लोगों की आवश्यकताएँ सीमित होती हैं और वे व्यवसाय- चयन के समय आर्थिक पहलू पर अधिक ध्यान नहीं देते।

इसके अतिरिक्त आर्थिक कारणों में व्यवसायों की आर्थिक स्थिति ,व्यापार- चक्र, मांग व आपुर्ति आदि भी शामिलन हैं। यह सूचना तकनीकी (Information Technology) का दौर है और कम्प्यूटर के क्षेत्र में प्रशिक्षकों की भारी मांग है, इसीलिए विद्यार्थी शिक्षा के साथ-साथ कम्प्यूटर से जुड़े प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ताकि उन्हें शिक्षा प्राप्त करते ही नौकरी मिल जाये।

(4) सामाजिक कारक- किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति , सम्पर्क तथा जीवन-स्तर का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। जिन परिवारों का रहन-सहन का स्तर ऊँचा होता है और जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा व पहुँच ऊँचे स्थानों में होती है, उन परिवारों के बच्चे स्वाभाविक रूप से शिक्षा- दीक्षा में आगे रह कर आसानी से नौकरी प्राप्त कर लेते है। इसके विपरीत जो परिवार मुश्किल से गुजर बसर करता है और जिसका सामाजिक दायरा अधिक विस्तुत नहीं होता उन परिवारों के बच्चे को अपनी जीविका के लिए स्वयं संघर्ष करना पड़ता है।

(5) शैक्षिक कारक- रोजगार चयन में शैक्षिक पृष्ठभूमि की भूमिका बहुत उल्लेखनीय है। इसमें रोजगार का चयन करने वाले व्यक्ति की अर्हता तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ ही यह भी मायने रखता है कि उसने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है - पब्लिक स्कूल से, व्यक्तिगत या सरकारी विद्यालय से । एकेडमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर का बहुत महत्व होता है। किस महाविद्यालय से कौन-सी डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया है और शिक्षा संस्थागत रूप से प्राप्त की है या व्यक्तिगत रूप से इसका भी बहुत महत्व होता है। श्रेष्ठ संस्थानों से शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का स्थानापन्न आसानी से हो जाता है। इसी तरह नौकरी में आवेदन करने पर व्यक्तिगत की अपेक्षा संस्थागत विद्यार्थियों को वरीयता दी जाती है।

(6) रोजगार सम्बन्धी कारक- प्रत्येक रोजगार या कार्य की अपनी प्रकृति होती है। कोई व्यक्ति रोजगार का चयन करते समय उस कार्य के स्वभाव , प्रकार तथा कार्य दशाओं पर अवश्य ध्यान देता है। अपनी प्रकृति से मेल खाने के बाद ही वह उसका चयन करता है। इसके अन्तर्गत ये कारक आते है कि कार्य किस प्रकार का है। पूरे दिन बैठ कर या खड़े होकर किये जाने वाला कार्य है या बाहर भाग-दौड़ का ! उस कार्य के तरीके में कितनी स्वतंत्रता मिलेगी! कार्य की स्थितियाँ कैसी है!

कार्यालय में हवा,पानी, प्रकाश, बिजली आदि की क्या व्यवस्था है! व्यवसाय में आगे कितना लाभ है! वेतन, प्रमोशन, पेंशन व अन्य सुविधाओं की स्थिति है आदि। किसी रोजगार में प्रवेश की क्या प्रक्रिया है यह भी रोजगार चयन का एक प्रभावी कारक है। सभी रोजगारों में चयन की प्रक्रिया एक-सी नहीं होती । किसी व्यवसाय में रोजगार सेवा (Employment Exchange) के द्वारा प्रवेश होता है तो कहीं प्रतियोगिता के माध्यम से। कहीं स्थानप्रत्र सेवा (Placement Service) के द्वारा नौकरी दी जाती है तो कहीं आवेदन पत्र के द्वारा शिक्षा व प्रतिशक्षण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपनी सुविधा तथा उलब्धता के आधार पर व्यवसाय का चयन करता है।

(7) औद्योगीकरण - आधुनिक युग में रोज नये वैज्ञानिक आविष्कार तथा अनुसन्धान हो रहे है। कुछ पुराने उद्योग व कार्य समाप्त हो रहे हैं तो कुछ नये उत्पन्न हो रहे हैं। एक ओर सूचना क्रान्ति ने विभिन्न शाखाओं के नये-नये द्वार खोल दिये हैं तो दूसरी ओर समुद[a] की खोजें, अन्तरिक्ष विज्ञान , भौगिलिक पर्यावरण आदि क्षेत्रों से सम्बन्धित नये व्यवसाय अस्तित्व में आ रहे हैं। वैज्ञानिक खोजों , नये-नये कार्यो , रोमांचों में रूचि लेने वाले व्यक्ति सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त कर इन रोजगारों को अपना रहे हैं।

2.6 रोजगार सूचना के स्त्रोत (Source of occupational Information) -

विभिन्न व्यवसायों से सम्बन्धित रोजगार सूचना एक्रत्र करना कठिन कार्य है, फिर भी अनेक स्त्रोतों के माध्यम से यह कार्य संभव होता है। यह अवश्य है कि रोजगार सूचना यथासंभव मूल स्त्रोतों से प्राप्त की जानी चाहिए ताकि वह विश्वसनीय व प्रामाणिक हो। मुख्यतः रोजगार सूचना के निम्नलिखित दो स्त्रोत हैं यानी यह दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है-

(क) प्रत्यक्ष स्त्रोत

(ख) परोक्ष स्त्रोत

(क) प्रत्यक्ष स्त्रोत (Direct Sources) - इस स्त्रोत के अन्तर्गत विद्यार्थी, अध्यापक तथा परामर्शदाता स्वयं विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं में जा कर रोजगार से सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्र करते है। इस स्त्रोत का उपयोग सीमित रूप से किया जा सकता है और इस पर पूर्णतया निर्भर नही रहा जा सकता है। यह अवश्य है कि विभिन्न कम्पनियों तथा कारखानों में जा कर प्रत्यक्ष रूप से रोजगार की परिस्थितियों को देखा जा सकता है।

(ख) परोक्ष स्त्रोत (Indirect Sources) - इसमें वे स्त्रोत आते है जो विभिन्न सरकारी व निजी संस्थाओं तथा संगठनों की ओर से प्रकाशित साहित्य से संबंधित होते है। बहुधा इसी स्त्रोत का उपयोग किया जाता है।

इसके अन्तर्गत आने वाले प्रमुख स्त्रोत निम्नलिखित है-

(1) समाचार पत्र - रोजगार सूचना के परोक्ष स़्त्रोत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान समाचार पत्रों का है। विभिन्न समाचार पत्र न केवल नौकरियों के लिए रिक्त स्थानों की सूचना देते है, बल्कि रोजगार नीतियों, तकनीकी विकास कार्यक्रमों , शौक्षिक पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षणों , छात्रवृतियों आदि से सम्बन्धित अनेक प्रकार की जानकारियों हमें प्रदान करते है।

(2) प्रकाशिक सूचना साहित्य - इसके अन्तर्गत रोजगार सूचना के साहित्य को प्रकाशित करने वाली पत्र-पत्रिकाओं आती है। एक ओर रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाएँ अपने पाठ्यक्रम , उनकी उपयोगिता , महत्व आदि विवरण प्रकाशित करती हैं तो दूसरी ओर औद्योगिक संस्थान अपने व्यवसाय से सम्बन्धित विश्लेषण सामग्री प्रस्तुत करते रहते है । इस प्रकार का प्रकाशित सूचना साहित्य दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है।

(3) रोजगार विनिमय केन्द तथा रोजगार ब्यूरो - रोजगार विनिमय तथा रोजगार ब्यूरो भी रोजगार से संबंधित सूचनाएँ प्रदान करते है। अनेक सरकारी व निजी तौर पर नियुक्तियाँ व निजी तौर पर नियुक्तियाँ भी इन केन्द्रों के माध्यम से की जाती है। जिला स्तर पर बने रोजगार विनिमय केन्द रोजगार के विभिन्न अवसरों तथा उन्नित के अवसरों से भी परिचित कराते है।

(4) रोजगार वर्गीकरण कोश एंव औद्योगिक सूचीपत्र - रोजगार वर्गीकरण कोश विभिन्न रोजगार की पृथक्- पृथक् सूचनाएँ प्रदान करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते है। इसी प्रकार अनेक उद्योगों की ओर से प्रकाशित होने वाली औद्योगिक सूची विस्तार से संबंधित सूचनाएँ प्रदान करती है। विकसित देशेां में इस प्रकार के कोश बनाये जाते हैं।

(5) संचार के साधन - संचार के साधन रोजगार सूचना प्रदान करने के रोचक तथा तार्किक स्त्रोत हैं। इनमें फिल्म, दूरदर्शन, रेडियो आदि श्रव्य दृश्य-साधन आते है। इनका निर्माण सरकार व निजी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है।

(6) प्रदर्शनी - आजकल विभिन्न संस्थाओं के द्वारा प्रदर्शनियों का चलन बढ़ता जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाने वाली इन प्रदर्शनियों में बच्चे तथा अभिभावक भाग लेते हैं और विभिन्न रोजगार से परिचित होते है। रोजगार सूचना सम्बन्धी सामग्री का वितरण भी इनमें किया जाता है।

(7) वृत्तिक परामर्श - विभिन्न परामर्शदाताओं के अपने केन्द्र होते है और ये विभिन्न रोजगारों से सम्बन्धित सूचनाएँ उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्थानापत्र की भी व्यवस्था करते है। इन केन्द में जाने से एक लाभ यह होता है कि एक ही स्थान पर सभी सम्बन्ध सूचनाएँ प्राप्त हो जाती है।

(8) विभिन्न रिपोर्ट्स - विभिन्न सरकारी तथा निजी संस्थाओं की ओर से जारी रिपोटर्स भी रोजगार सूचना का महत्वपूर्ण स्त्रोत है। योजना आयोग, समाचार बुलेटिन , सेंसस रिपोर्ट , विभिन्न उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण आदि इस स्त्रोत के अन्तर्गत आते है।

(9) रोजगार प्रदाता - अनेक रोजगार प्रदान संस्थान अपने रोजगार सूचना के बुलेटिन निकालते है। जो हमें न सिर्फ रोजगार की सूचना देते है, बल्कि रोजगार की भावी योजनाओं व कार्यक्रमों से भी परिचित कराते है।

(10) विशेषज्ञों के विचार - समय-समय पर विभिन्न विशिषयों के विचार भी रोजगार सूचना की जानकारी देने का काम करते है। वे विभिन्न व्यवसायों के भविष्य , विकास तथा मानव-शक्ति की मांग के विषय में हमें बातते है।

(11) वेबसाइड - यह सूचना तकनीकी का युग है। वेबसाइड तथा इंटरनेट रोजगार सूचना देने का महत्त्वपूर्ण स्त्रोत बन गये है। नौकरी डॉट कॉम जैसी किसी भी वेबसाइड को खेाल कर रोजगार संबधी वांछित सूचना प्राप्त की जा सकती है और इस तरह घर बैठे रोजगार सूचना ही नहीं वरन् रोजगार भी प्राप्त किया जा सकता है।

(12) रोजगार सर्वेक्षण - विभिन्न संस्थाएँ समय-समय पर रोजगार सर्वेक्षण के द्वारा सूचना उपलब्ध कराती है। इस स्त्रोत के निम्नलिखित तीन प्रकार हैं-

(i) रोजगार निष्कर्ष (Occupational Abstracts) - इसमें किसी व्यवसाय का लगभग 1500 शब्दों मे संक्षिप्त ब्योरो दिया जाता है, जैसे-प्रवेश प्रक्रिया, अर्हता ,रोजगार दृष्टि , उपार्जित लाभ, तथा हानियाँ या प्रतिकूलताएँ आदि।

(ii) रोजगार विवरण (Occupational Breefs) - इसमें थेाड़े विस्तार के साथ विवरण दिया जाता है। चित्रों के साथ 3000 शब्दों में व्याख्या होती है।

(iii) रोजगार लेख (Occupational Monographs) - इसमें किसी व्यवसाय का 4000 से लेकर 8000 शब्दों तक विस्तृत ब्योरा दिया जाता है। चित्रों के भी विवरण होते है और किसी व्यवसाय की स्थूल जानकारियों के अतिरिक्त उसके इतिहास , महत्व , कार्यक्षमता , कार्यकताओं के दायित्व , योग्यता , प्राप्तियाँ व जोखिम का भी वर्णन होता है।

(13) मिश्रित स्त्रोत - रोजगार सूचना के कुछ अन्य स्त्रोत भी हो सकते है, जैसे - विज्ञापन, किसी कम्पनी में जा कर एकत्र किया गया अनुभव , दूसरों के द्वारा दिया गया निर्देशन या परामर्श आदि।

2.7 व्यवसायों का वगीकरण (Classification of Occupation) -

विभिन्न व्यवसायों को निम्नलिखित ढ़ंग से वगीकृत किया जा सकता है-

(अ)

1 शिक्षा , प्रशिक्षण एंव स्तर के आधार पर (On the basis of Education, Training & Status) - बैकमैन (Mackmen) ने शैक्षिक स्तर , मानसिक योग्यता या कुशलता , प्रशिक्षण तथा सामाजिक स्तर के आधार पर व्यवसायायों का निम्नलिखित ढ़ंग से वगीकृत किया है-

A. कार्यकारी , प्रबन्धकीय एंव व्यावसायिक (Executive, Managerial and Professional) इस वर्ग में निम्नलिखित प्रकार के व्यवसाय शमिल है-

(i) मौखिक(verbal)- जैसे वकील, न्यायाधीश, सम्पादक, लेखा निरीक्षक, प्रोफेसर इत्यादि।

(ii) वैज्ञानिक(Scientific) - जैसे डाक्टर, इंजीनियर, लेखाकार इत्यादि।

(iii) कार्यकारी अथवा प्रबन्धकीय (Executive or Managerial) - जैसे विभिन्न प्रबन्धक और प्रशासनिक अधिकारी।

B. व्यापार एवं उप-व्यावसायिक व्यवसाय (Business and sub professional) - इस वर्ग में निम्नलिखित व्यवसाय शामिल किये गए हैं-

(i) व्यापार (Bussiness)- जैसे व्यापारी, सेल्समैन, एजैन्ट आदि।

(ii) उप-व्यावसायिक व्यवसाय (Skill occupational) - जैसे अभिनेता, फोटोग्राफर, डिजाइनर आदि।

C. कौशल पूर्ण व्यवसाय (Skill occupational) - कौशल पूर्ण व्यवसायों के वर्ग में निम्नलिखित व्यवसाय सम्मिलित किये गये हैं-

(i) शारीरिक क्रम - जेसे बिजली का कार्य करने वाले, रगने वाले, मशीनमैन, मकैनिक आदि।

(ii) बौद्धिक(Intellectual) - जैसे क्लर्क, निरीक्षक, स्टैनोग्राफर, खजांची आदि।

(iii) अर्द्ध-कुशलतायुक्त व्यवसाय (Semi skilled occupation) - जैसे सिपाही, बस-कंडक्टर, ड्राइवर, गार्ड आदि।

D. कुशलता-विहीन व्यवसाय (Unskilled occupation) - जैसे मजदूर, चपरासी, चौकीदार इत्यादि।

(ब) कार्य-स्वरूप के आधार पर (On the basic of form or nature of the work) - कार्य की प्रकृति और स्वरूप के आधार पर व्यवसायों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है-

A. सामाजिक व्यवसाय (Social Occupation) - इन व्यवसायों में सामाजिक गुणों तथा उच्च स्तर के सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। इस वर्ग में ये व्यवसाय शामिल किये गये हैं- वकील, सेल्समैन, प्रशासक, प्रबन्धक, अध्यापक आदि।

B. हस्त कौशलयुक्त व्यवसाय (Occupation with Manual Skill) -इस वर्ग के व्यवसायों में औजारों का प्रयोग किया जाता है तथा उच्च-स्तर के हस्त-कौशल की आवश्यकता होती है, जैसे- बढ़ई, पेंटर, जिल्दसाज, मकैनिक, इंजीनियर आदि।

C. बौद्धिक एवं विद्वतापूर्ण व्यवसाय (Intellectual and Scholarly Occupation) - इस वर्ग के व्यवसायों में बौद्धिक योग्यताओं की आवश्यकता रहती है जैसे-लेखक, कवि, वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ता इत्यादि।

D. कार्यालय सम्बन्धी व्यवसाय (Occupation Relating to Office Work) - जैसे खजांची, क्लर्क, सुपरिन्टैण्डैंट, चपरासी इत्यादि

(स) रूचियों एवं अभिरूचियों के आधार पर (On the basis of Interest & Aptitudes) - रूचियों और अभिरूचियों के आधार पर व्यवसायों का वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से किया गया है-

I. मकैनिकल व्यवसाय (Mechanical Occupation)

II. क्लकी का व्यवसाय (Clerical Occupation)

III. संगीतात्मक व्यवसाय (Musical Occupation)

IV. वैज्ञानिक व्यवसाय (Scientific Occupation)

V. कलात्मक व्यवसाय (Artistic Occupation)

VI. समाज-सेवा सम्बन्धी व्यवसाय (Social Service Occupation)

VII. साहित्यिक व्यवसाय (Literary Occupation)

VIII. गणनात्मक व्यवसाय (Computational Occupation)

2.8 राष्ट्रीय नीतियाँ और कानून

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के कार्यों का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने भी इनके लिए कुछ नीतियाँ एवं कानून बनाये जिसका वर्णन हम इस खण्ड में करेंगे।

A. संवैधानिक प्रावधान -

भारतीय संवधिान के अनु. 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक एक समान हैं। तथा अनु. 15 में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

अनु. 41 जहाँ कार्य करने की अधिकार की बात करता हैं वहीं अनु. 45 कहता है कि राज्य 6 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों को प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा देने का प्रयास करे।

भारतीय संविधान के 86 संशोधन (2002) के द्वारा अनु. 21। में 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात की है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जो कि 1 अप्रैल, 2010 से लागू हो गया है, यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है तथा राज्य को अनिवार्य रूप से उसको ये अधिकार प्रदान करने होंगे तथा उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

B. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम सन् 1987 में लागू हुआ जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मानसिक रोगी व्यक्तियों की शीघ्र पहचान करके उनका अच्छा उपचार हो सके।

इस अधिनियम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं

i. मानसिक रोगी समाज के अंग हैं तथा राज्य उन सभी बाधाओं को दूर करके उन्हें उपचार पाने, देखभाल व सहारा पाने तथा सम्मानजनक जीवन जीने के समान अवसर प्रदान करेगी।
ii. मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को मनोचिकित्सा, अस्पतालों या नर्सिंग होम में उपचार हेतु समय पर प्रवेश मिले।

iii. मानसिक रोगियों को किसी का दुर्व्यवहार न सहना पड़े, न ही वे किसी से दुर्व्यवहार करें।
iv. यदि मानसिक रोगी अपने मामलों की देखभाल व प्रबंधन के लिए किसी अभिभावक की माँग करें तो उन्हें उपलब्ध कराया जाए।

C. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम जिसे संक्षेप में हम आर.सी.आइ.एक्ट कहते हैं, सन् 1992 में पारित हुआ तथा 22 जून, 1993 से लागू हुआ। सन् 2000 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया।

भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम की आवश्यकता इसलिए महसूस की गयी क्योंकि विकलांगता के क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण इत्यादि के लिए कोई अधिनियम एवं संस्था नहीं थी।

भारतीय पुनर्वास परिषद के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं

i. विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षण नीतियों व कार्यक्रमों को नियमित करना।
ii. विकलांग व्यक्तियों के साथ काम करने वाले विभिन्न श्रेणी के व्यावसायिकों की शिक्षा व प्रशिक्षण हेतु एक न्यूनतम मानक प्रस्तावित करना।
iii. पूरे देश में एकरूपता लाने हेतु सभी प्रशिक्षण संस्थानों में इन मानकों का नियमितीकरण करना।
iv. उन सभी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना जो विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास विषय पर डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाता है।
v. मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की सूची केन्द्रीय पुनर्वास पंजीकरण में रखना।
vi. पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।

भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त विभिन्न विश्व विद्यालय, प्रषिक्षण संस्थान व गैर सरकारी संगठन प्रषिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। ये प्रषिक्षण बुनियादी पाठ्यक्रम और प्रमाणपत्र से डिप्लोमा, डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा तक सभी प्रकार के होते हैं। पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले विद्यार्थी भारतीय पुनर्वास परिषद पंजी में पंजीकरण पाठ्यक्रम की अर्हता पा लेते हैं सफल विद्यार्थी अपने प्रषिक्षण के अनुरूप अधिकारी या व्यावसायिक की श्रेणी में पंजीकृत होते हैं। भारत में विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में काम करने वाले किसी पुनर्वास विशेष ज्ञ के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् में पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा प्रत्येक 5 वर्ष बाद पंजीकरण का नवीनीकरण कराना पड़ता है जिसके लिए उन्हें समय-समय पर परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त सेमिनार, वर्कषाप इत्यादि में भाग लेना होता है।

D. विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम (PWD)

विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम सन् 1995 में पारित हुआ तथा इसका पूरा नाम है - ‘‘विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995।

यह अधिनियम 7 फरवरी 1996 ई. से लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत सात विकलांगताएं आती हैं, जो हैं:

i. अंधत्व (Blindness)
ii. अल्पदृष्टि (Low Vision)
iii. श्रवण बाधा (Hearing Impairment)
iv. मानसिक विकलांगता (Mental Retardation)
v. मानसिक रोग (Mental Illness)
vi. गामक बाधा(Locomotors Impairment)
vii. कोढ़ उपचरित (Leprosy Cured)

भारत में इस समय विकलांग व्यक्तियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, उसके लिए जरूरी है कि वह विकलांग व्यक्ति उपर्युक्त सात विकलांगता में से किस�एक श्रेण�में हो तथा उसके विकलांगता का प्रतिशत कम से कम 40 हो।

पी.डब्लू.डी. एक्ट, 1995 का सरकार द्वारा संशोधन का कार्य चल रहा है तथा इसका ड्राफ्ट बिल तैयार हो चुका है। जिसमें उपर्युक्त सात विकलांगता के अलावा ग्यारह और विकलांगता को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इस बिल का नाम है ‘‘विकलांग व्यक्तियों के अधिकार बिल, 2012’’।

पी.डब्लूडी. एक्ट 1995 में कुल 14 अध्याय हैं जिसमें से अध्याय-4: विकलांगता का शीघ्र निदान व रोकथाम के बारे में बताता है, अध्याय-5: विकलांग बच्चों के शिक्षा के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक विकलांग बच्चे को उचित व समावेशित वातावरण में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा मिले। अध्याय-6: विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के बारे में है, जिसमें इन व्यक्तियों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में 3 प्रतिशत नौकरियों के आरक्षण की बात कही गयी है तथा ये 3 प्रतिशत दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं गामक बाधित व्यक्तियों के लिए है (प्रत्येक के लिए 1 प्रतिशत)।

इस अधिनियम के अध्याय-8 में विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधारहित वातावरण का भी प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि विकलांग व्यक्ति अस्पताल, रेलवे स्टेशन, प्रशिक्षण केन्द्र, मनोरंजन स्थल, निर्वाचन बूथ, कार्यक्षेत्र और सभी सार्वजनिक स्थलों की समस्त सुविधाओं का प्रभावशाली ढंग से उपयोग कर सके, इसके लिए सरकार इस बात की स्पष्ट घोषणा करती है कि इन सब सार्वजनिक स्थलों का बाधारहित होना अनिवार्य, इसके लिए इन सार्वजनिक इमारतों में रैंप, पहियेवाली

कुर्सीवालों के लिए शौचालयों में अनुकूल सुविधा; लिफ्ट आदि में ब्रेक चिन्ह व श्रव्य संकेत; अस्पतलों में रैंप व ऐसे ही अनुकूली साधन होने चाहिए।

E. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम-

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम सन् 1999 में पारित हुआ तथा इसका पूरा नाम है- ''राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (स्वलीनता, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक विकलांगता और बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु) 1999''। इसको संक्षेप में एन.टी. एक्ट, 1999 भी कहते हैं।

जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह अधिनियम चार विकलांगताओं के लिए है जो है:

i. स्वलीनता (Autism)
ii. प्रमस्तिष्क पक्षाघात (सेरेबरल पॉलसी)
iii. मानसिक विकलांगता (Mental Retardation)
iv. बहु विकलांगता (Multiple Disabilities)

इस अधिनियम के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- विकलांग व्यक्ति जिस समुदाय के हैं, उसमें यथा संभव पास रह सकें, स्वतत्रता व पूर्णता के साथ जी सकें। इतना उन्हें समर्थ व सशक्त किया जाए।
- विकलांग व्यक्तियों को सहारा देने योग्य सुविधाओं का प्रबलीकरण हो।
- विकलांग व्यक्तियों के अभिभावक या संरक्षक की मृत्यु हो जाने पर उनकी देखभाल व संरक्षण की व्यवस्था करना।
- विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, उनके अधिकारों की सुरक्षा एवं उनकी पूर्ण भागीदारी को साकार करने की सुविधाएँ प्रदान करना।

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

- संगठनों का पंजीकरण (अभिभावकों एवं गैर सरकारी संगठनों का)।
- स्थानीय स्तर की समितियों का गठन।
- अभिभावकों की नियुक्ति।
- आवासीय सुविधाओं सहित अन्य अनेक प्रकार की सेवाओं को समर्थन देना।

- होम विजिट/अभिरक्षक के कार्यक्रम
- जागरूकता एवं प्रशिक्षण सामग्री का विकास
- लोगों तक पहुँचने एवं राहत के लिए सामुदायिक कार्यक्रम।

2.9 विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति (PWDs) -

विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 10 जनवरी, 2006 को पारित हुआ। इस नीति का निर्माण विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर, उनके अधिकारों के संरक्षक और समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से हुआ। इस राष्ट्रीय नीति की कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:

- विकलांगता की रोकथाम: विकलांगता की रोकथाम के लिए कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया है।
- पुनर्वास कार्रवाई: इस नीति में कहा गया है कि पुनर्वास कार्यवाही तीन ग्रुप में होगी।
    i. शारीरिक पुनर्वास
    ii. शैक्षिक पुनर्वास
    iii. आर्थिक पुनर्वास
- विकलांग औरतों के बारे में इस नीति में कहा गया है कि इन औरतों को अपने बच्चों की देखभाल करने में परेशानी होती है अतः सरकार इनको आर्थिक मदद करे ताकि ये अपने बच्चों को देखने के लिए किसी को किराये पर रख सके। इस तरह की आर्थिक सुविधा केवल दो बच्चों के लिए तथा अधिकतम दो साल के लिए दिया जाएगा।
- विकलांग बच्चों के बारे में इस नीति में कहा गया है कि सरकार इन बच्चों की देखभाल व सुरक्षा सुनिश्चित करें तथा ये लोग समान अवसर एवं पूर्ण सहभागिता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थलों पर अवरोध मुक्त वातावरण बनाना।
- विकलांग व्यक्तियों को बिना किसी परेशानी के विकलांगता सर्टीफिकेट प्रदान करना।
- विकलांगता के क्षेत्र में काम करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करने की बात भी इस नीति में कही गयी है।
- विकलांग व्यक्तियों के बारे में नियमित रूप से आँकड़े इकट्ठा करना।
- इस नीति में एक महत्वपूर्ण बात कही गयी है कि विकलांग व्यक्तियों से जुड़े हुए अधिनियमों जैसे आर.सी.आई. एक्ट, 1992, पी.डब्लू.डी. एक्ट 1995 तथा एन.टी. एक्ट

1999 में समय-समय पर संशोधन होते रहना चाहिए। इसी नीति के फलस्वरूप ही पी.डब्लू.डी. एक्ट 1995 में

- संशोधन हो रहा है, जो 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार बिल, 2012'' के रूप में ड्राफ्ट हो चुका है।

2.10 अपनी उन्नति जानिए Check Your Progress-

प्रश्न 1. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कब पारित हुआ ?

प्रश्न 2. विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम कब पारित हुआ

प्रश्न 3. विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति कब पारित हुआ ?

प्रश्न 4. 4000 हजार वर्षों से किस वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षा व सरकारी नौकरियों से दूर रखा गया है?

प्रश्न 5. रोजगार सूचना के परोक्ष स्त्रोत में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान किसका है ?

2.11सारांश Summary-

विशिष्ट शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए उसे समाज का एक उत्तरदायी, स्वतंत्र एवं सक्रीय सदस्य बनाने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया स्वतः ही एक लक्ष्य का निर्धारण करती हैं तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इस प्रक्रिया के उद्देश्यों का निर्धारण आवश्यक हो जाता हैं अन्यथा तूफान में बिन पतवार की नाव की भांति अथाह समुद्र में मात्र लहरों के थपेड़े खाने जैसा ही होगा। वैसे तो विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य नियमित शिक्षा के उद्देश्यों- बालकों को उपयुक्त शिक्षा प्रदान कर मानव संसाधन का विकास, राष्ट्रीय विकास, सामाजिक पुनर्रचना, नागरिक विकास, व्यावसायिक क्षमता का विकास आदि, से कदापि भिन्न नहीं हैं परन्तु विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं के चलते थोड़े व्यापक जरूर हो जाते हैं। पुनर्वास कर्मी सर्वप्रथम इन विशेष आवश्यकता के बालकों की पहचान करते हैं, अक्षमता का मूल्यांकन करते हैं फिर उनकी क्षमता एवं अक्षमता के अनुसार उपयुक्त सेवा के लिए अनुशंसा करते हैं। यह क्रिया एक विशिष्ट शिक्षक के लिए अति संवेदनशील एवं जिम्मेदारीपूर्ण है। शिक्षकों को इन सेवाओं का सम्पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है तथा इन सेवाओं के चयन से क्या-क्या लाभ या क्या-क्या हानियाँ हो सकती हैं? पर विश्लेषण कर लेने के बाद ही किसी सेवा के लिए अनुशंसा करनी चाहिए।

2.12 शव्दावली Glossary-

प्रत्यक्ष स्त्रोत (Direct Sources) - इस स्त्रोत के अन्तर्गत विद्यार्थी, अध्यापक तथा परामर्शदाता स्वयं विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं में जा कर रोजगार से सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्र करते है। इस स्त्रोत का उपयोग सीमित रूप से किया जा सकता है और इस पर पूर्णतया निर्भर नही रहा जा सकता है। यह अवश्य है कि विभिन्न कम्पनियों तथा कारखानों में जा कर प्रत्यक्ष रूप से रोजगार की परिस्थितियों को देखा जा सकता है।

परोक्ष स्त्रोत (Indirect Sources) - इसमें वे स्त्रोत आते है जो विभिन्न सरकारी व निजी संस्थाओं तथा संगठनों की ओर से प्रकाशित साहित्य से संबंधित होते है। बहुधा इसी स्त्रोत का उपयोग किया जाता है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम (PWD)

विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम सन् 1995 में पारित हुआ तथा इसका पूरा नाम है - ''विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995।

यह अधिनियम 7 फरवरी 1996 ई. से लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत सात विकलांगताएं आती हैं, जो हैं:

viii. अंधत्व (Blindness)
ix. अल्पदृष्टि (Low Vision)
x. श्रवण बाधा (Hearing Impairment)
xi. मानसिक विकलांगता (Mental Retardation)
xii. मानसिक रोग (Mental Illness)
xiii. गामक बाधा(Locomotors Impairment)
xiv. कोढ़ उपचरित (Leprosy Cured)

भारत में इस समय विकलांग व्यक्तियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, उसके लिए जरूरी है कि वह विकलांग व्यक्ति उपर्युक्त सात विकलांगता में से किसी एक श्रेणी में हो तथा उसके विकलांगता का प्रतिशत कम से कम 40 हो।

पी.डब्लू.डी. एक्ट, 1995 का सरकार द्वारा संशोधन का कार्य चल रहा है तथा इसका ड्राफ्ट बिल तैयार हो चुका है। जिसमें उपर्युक्त सात विकलांगता के अलावा ग्यारह और विकलांगता को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इस बिल का नाम है ''विकलांग व्यक्तियों के अधिकार बिल, 2012''

2.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Practice Question)-

उत्तर 1. सन् 1999 में

उत्तर 2. सन् 1995 में

उत्तर 3. 10 जनवरी, 2006 को

उत्तर 4. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को

उत्तर 5. समाचार पत्रों का

2.14 सन्दर्भ पुस्तकें –

रावत, (डॉ) आशा. (2007) *वृतिक निर्देशन तथा रोजगार सूचना*. मेरठ: आर.लाल. बुक डिपो.

ओबराय, (डॉ) एस.सी. (2008) *शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श*. मेरठ: इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस.

भाटिया, (डॉ) आर. सी. (2009) *व्यावसायिक संघटन एवं प्रबन्ध*. बम्बई: हिमालय पब्लिशिंग हाउस.

नोलखा, (डॉ) आर.एल. (2010) *व्यावसायिक संघटन*. नई दिल्ली: रमेश बुक डिपो.

भाटिया, (डॉ) आर. सी. (2008) *कार्यालय प्रबन्ध,* नई दिल्ली: एटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स.

2.15 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न –

प्रश्न 1. व्यवसाय से आप क्या समझतें हो? व्यवसाय के चयन में ध्यान रखने योग्य प्रमुख तथ्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिय|

प्रश्न 2. रोजगार चयन को प्रभावित करने वाले कारक का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिय|

प्रश्न 3. रोजगार सूचना के स्रोत क्या है? उनका विस्तार से वर्णन कीजिय|

प्रश्न 4. विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम (PWD) को विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिय|

प्रश्न 5. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम ने दिव्यांग बालको के लिय किस प्रकार लाभदायक है? विस्तार से वर्णन कीजिय|

इकाई -3 व्यावसायिक आकलन, दृष्टिकोण, सामान्य कौशल और विशिष्ट रोजगार कौशल के विभिन्न उपकररणों का प्रयोग व मूल्यांकन Vocational Assessment, Approaches, evaluation of Generic & Specific Job Skills Using Various Tools

3.1 प्रस्तावना (Introduction)
3.2 उद्देश्य (Objectives)
3.3 व्यवसाय सूचना संग्रह की पद्धतियाँ (Techniques of Collecting Vocational Information)
3.4 प्रमापीकृत विधियाँ (Standardized Method)
3.5 व्यावसायिक विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण उपकरण (Vocational Specific Aptitude Test Tool)
3.6 व्यावसायिक उपलब्धि परीक्षण उपकरण (Vocational Achievement Test Tools)
3.7 व्यावसायिक व्यक्तित्व परीक्षण उपकरण ((Vocational Personality Test Tools)
3.8 अप्रमापीकृत विधियाँ (Non Standardized Method)
3.9 व्यावसायिक आंकन एवं मूल्याकंन उपकरण
3.10 अपनी उन्नति जानिए Check Your Progress
3.11 सारांश Summary
3.12 शव्दावली Glossary –
3.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Questions
3.14 सन्दर्भ पुस्तकें –
3.15 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

3.1 प्रस्तावना (Introduction)

विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु सर्वप्रथम प्रयास इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय ने 12वीं सदी में मानसिक मंद बालकों के लिए कानून बना कर किया गया था। इसके बाद अलग-अलग देशों के द्वारा इनकी शिक्षा के लिए अनेक प्रयास किए गए । इसी क्रम में बहुत से प्रतिदर्शों एवं विधियों आदि का विकास हुआ। विशिष्ट शिक्षा के जन्म से ही इस बात पर विचार एवं मंथन जारी रहा कि इसे कैसे उत्कृष्ट, बोधगम्य एवं रोजगारपरक बनाया जाय? विशिष्ट बालकों को अल्पतम सीमित वातावरण (Least Restrictive Environment) में अत्यधिक प्रभावी (Most Effective), सामान्य पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के क्रम में बहुत सारे सिद्धांत एवं उपागम अस्तित्व में आए। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु दी जाने वाली सेवाएं विशिष्ट शिक्षा सेवाएं कही जाती हैं। विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भूत में उपलब्ध सेवाओं को देखा जाय तो वे अधिक सीमित वातावरण में कम प्रभावी सेवाए थीं। परन्तु समय एवं विचार के साथ वर्तमान समय में उपलब्ध सेवाएं विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार कई स्तरों पर एक संतात्यक के रूप में उपलब्ध हैं जो कि एक-दूसरे से अपेक्षाकृत अल्पतम सीमित वातावरण में अधिक प्रभावशाली हैं। विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के क्रम में उनकी क्षमताओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध विशिष्ट शिक्षा सेवाएं या व्यावसायिक कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्य पर अधिक बल दिया जाता है |

परम्परागत रूप से विशेष शिक्षको द्वारा दी गयी सरकारी एवं विद्यालयी नीतियों के आधार पर ही अधिगम अक्षम बालकों के लिए विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। अभिभावक एवं शिक्षक दोनों को व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से बालकों में हो रहे अपेक्षित परिवर्तन के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। अधिगम अक्षम बालकों की समस्याओं से सम्बन्धित सुचनाएँ प्रदान करने के लिए शिक्षकों के पास उसकी सम्पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। इस प्रकार अभिभावको एवं शिक्षकों के द्वारा बालको की योग्यताओं के सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा ही उनके भीतर नवीन कौशलों का विकास सम्भव है। जब किसी बालक का अपेक्षित विकास नहीं होता है तब इन सूचनाओ और आँकड़ों के आधार पर ही नई युक्तिओं का प्रयोग कर प्रभावशाली ढंग से उन्हें प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। बालकों के मूल्यांकन की सूचनाएँ शिक्षकों को भविष्य में प्रभावी एवं उत्तम योजनाओं के निर्माण में मार्गदर्शन का कार्य करती है। विशेष शिक्षक शिक्षण पाठ्यक्रम के प्रमुख लक्ष्यों, कौशल एवं उद्देश्यों को चिन्हित कर, बालकों की रूचि, योग्यता एवं आवश्यकतानुसार विषयवस्तु को सुबोध, उचित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त होता है|

3.2 उद्देश्य (Objectives)

i. व्यवसाय सूचना संग्रह की पद्धतियाँ के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगें|

ii. व्यावसायिक विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगें|

iii. व्यावसायिक उपलब्धि परीक्षण के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगें|

iv. व्यावसायिक व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगें|

v. अप्रमापीकृत विधियाँ के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगें|

vi. व्यावसायिक आंकन एवं मूल्यांकन उपकरण के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगें|

3.3 व्यवसाय सूचना संग्रह की पद्धतियाँ (Techniques of Collecting Vocational Information) -

व्यावसायिक सेवाओं के अन्तर्गत सूचनाओं का विशेष महत्व होता है। हमने यह अनुभव करते है कि किसी व्यक्ति का अध्ययन करने के लिए किन-किन सूचनाओं का संग्रह करना आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे कि किन तकनीकों का प्रयोग करते हुए व्यक्ति से संबंधित सूचनायें प्राप्त की जा सकती हैं। इस जानकारी के अभाव में व्यवसाय निर्देशन नहीं दिया जा सकता। यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि सभी सूचनायें प्रमाणिक तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से प्राप्त की जायें।

व्यवसाय सूचना संग्रह की पद्धतियों को इन दो भागों में बाँटा गया है-

A. प्रमापीकृत विधियाँ

B. अप्रमापीकृत विधियाँ

3.4 A. प्रमापीकृत विधियाँ (Standardized Techniques)-

प्रमापीकृत विधियों का निर्माण वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। ये वैध तथ विश्वसनीय होती है और इनमें समय तथा धन की भी बचत होती है। इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण आते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं-

(1) बुद्धि परीक्षण (Intelligence Techniques) - बुद्धि का तात्पर्य है समस्या समाधान की क्षमता तथा नवीन ज्ञान को ग्रहण करने की योग्यता। बुद्धि को जन्मजात माना गया है और बुद्धि -

लब्धि को ज्ञात करना व्यवसाय निर्देशन के लिए अत्यावश्यक है। यह इसलिए क्योंकि विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने के लिए विभिन्न बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।

डगलस फ्रॉयर ने ऐसे पाँच प्रकार के व्यावसायिक स्तरों का उल्लेख किया है जिनके लिए विशिष्ट बौद्धिक योग्यता अपेक्षित हैं। ये निम्नलिखित है-

(1) व्यवसाय स्तर- श्रेष्ठ बौद्धिक योग्यता

(2) तकनीकी व्यवसाय स्तर- उच्च सामान्य बौद्धिक योग्यता

(3) कुशल व्यवसाय स्तर - सामान्य बौद्धिक योग्यता

(4) अर्द्धकुशल व्यवसाय स्तर- निम्न सामान्य बौद्धिक योग्यता

(5) अकुशल व्यवसाय स्तर'- निम्न बौद्धिक योग्यता

डगलस फ्रायर ने 96 ऐसे व्यवसायों की सूची बनाई है, जिनके लिए अपेक्षित बौद्धिक स्तर को ज्ञात किया जा सकता है। अब तक बनाये गये बुद्धि परीक्षण इन बौद्धिक स्तरों को ज्ञात करने में सहायक हो सकते हैं।

बुद्धि परीक्षण के निम्नलिखित प्रकार हैं-

(i) व्यक्तिगत तथा सामूहिक परीक्षण- व्यक्तिगत परीखा एक समय पर एक व्यक्ति की ली जाती है। बिने स्टेनफ्रोर्ड ने इन परीक्षणों को तैयार किया है। कार्यक्षमता का परीक्षण करने वाले सभी परीक्षण इसके अन्तर्गत आते हैं।

सामूहिक परीक्षण एक समय में एक समूह का किया जा सकता है। ये अधिकतर मौखिक होते हैं और भाषा के ज्ञान पर आधारित होते हैं। ये निम्नलिखित हैं-

(क) आर्मी अल्फा परीक्षण

(ख) आर्मी बीटा परीक्षण

(ग) आर्मी जनरल क्लासीफिकेशन

(घ) हरमन ग्रुप टेस्ट्स ऑफ मेन्टल मेच्योरिटी

(ड़) डॉ सोहनलाल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्टस

(च) प्रयाग मेहता का जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट

(ii) शाब्दिक तथा अशाब्दिक कुशलता परीक्षण- इन परीक्षाओं में कुछ शब्दों या भाषा के माध्यम से समस्या सुलझाई जाती है। अशाब्दिक परीक्षा में क्रिया द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है, जैसे चित्र प्रबंधन, चित्र में कमियों की खोज आदि। इसमें निम्नलिखित परीक्षण है-

(क) पोर्टन का मेज टेस्ट्स

(ख) क्यूब कन्सट्रक्शन टेस्ट्स

(ग) अलेंक्जेंडर पास अलौग टैस्ट्स

(घ) पील ब्लॉक टेस्ट्स

(ड़) भाटिया बैटरी ऑफ परफॉरमेंट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस

(iii) गति तथा शक्ति परीक्षा- गति परीक्षा में कुछ कठिन प्रश्न हल करने के लिए दिये जाते हैं और उन्हें एक निश्चित समय में पूरा करना होता है। शक्ति परीक्षा में किसी विशिष्ट क्षेत्र की परीक्षा ली जाती है। आरम्भ में सरल प्रश्न रखे जाते हैं, बाद में कठिन इसमें कोई समय सीमा नहीं होती।

(2) अभिरूचि परीक्षण (Measurement of Interests) - रूचि या अभिरूचि का अर्थ है- किसी वस्तु या कार्य को पसन्द या नापसन्द करना। रूचि में व्यक्ति की इच्छा शामिल होती है। रूचि पर अभिक्षमता का दबाव तो होता है किन्तु वह प्रेवणता की तरह स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी होती है और उम्र व उसम के साथ बदलती रहती है। यह कहा जा सकता है कि रूचि जन्मजात भी होती है और इसे जाग्रत या विकसित भी किया जा सकता है।

व्यवसाय सूचना एकत्र करने की विधियाँ

वास्तव में रूचि वह प्रेरक तत्व है जो किसी कार्य को पूर्ण क्षमता व कुशलता से करने के लिए प्रेरित करती है। रूचि हो तो अत्यन्त कठिन कार्य भी सरल महसूस होती है। व्यवसाय निर्देशन के क्षेत्र में रूचियों के मापन का विशेष महत्व है, क्योंकि कार्यकुशलता तथा कार्य-सन्तोष पर रूचि का विशेष प्रभाव पड़ता है। रूचि परीक्षण की उल्लेखनीय मापनियाँ निम्नलिखित हैं-

(क) कूडर्स प्रेफरेन्स रिकॉर्ड

(ख) स्टैग्ग वोकेशनल इन्टरेस्ट बैंक

(ग) क्लीटन वोकेशनल इन्टरेसट इन्वेंटरी

(घ) हैपनर वोकेशनल इन्टरेस्ट

(ड़) स्टीवर्ट ऐंड ब्र्रेनर्ड स्पेसिफिक इन्टरेस्ट इन्वेंटरी

(च) थर्स्टर्न इन्टरेस्ट शेड्यूल

(छ) गिलफोर्ड शेडमैन जिमरमैन इन्टरेस्ट सर्वे

(ज) ली थार्प इन्वेन्टरी

(झ) गैरेस्टन ऐंड सायमंड इन्टरेस्ट क्वशचनरी

(त्र) चटर्जी नॉन वर्बल प्रेफरेंस रिपोर्ट

(ट) डॉ0 आर0पी0 सिंह इन्टरेस्ट रिपोर्ट

(3) अभिक्षमता परीक्षण (Aptitude Test) - अभिक्षमता का अर्थ जन्मजात योग्यता है। अक्सर लोगों को यह कहते सुना जाता है कि अमुक जन्मजात कवि हैं या उसमें कलात्मक प्रतिभा है। किसी व्यक्ति में जो विशेष गुण होता है, जो अन्य में नहीं होता, उसे अभिक्षमता कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का एक प्रमुख कारण उनकी अभिक्षमता में अन्तर होना है। अभिक्षमता को अभियोग्यता भी कहते हैं।

टेª क्सलर के अनुसार- ''अभिक्षमता वर्तमान स्थिति है, जो व्यक्ति के भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करती है।''

सुपर ने अभिक्षमता की चार विशेषताएँ बतायी हैं-

I. विशिष्टता Specificity
II. एकात्मकता रचना Unitary Composition
III. सीखने की सुविधा Facilitation of Learning
IV. अचल Constancy

जोन्स ने अभिक्षमता को स्पष्ट अर्थ इस प्रकार बताया है कि ''अभिक्षमता योग्यता नहीं है, किन्तु यह अनेक योग्यताओं के संभावित विकास में सहायता करती है। ''

व्यवसाय निर्देशन की दृष्टि से अभिक्षमता का आकलन बहुत महत्वपूर्ण है। निर्देशन का मुख्य उद्वेश्य व्यक्ति की योग्यताओं तथा क्षमताओं का रोजगार विवरण से मिलान करना होता है, जिससे विभिन्न व्यवसायों में कुशल व्यक्तियों का चयन हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति की भावी कुशलताओं का पूर्वानुमान किया जाये। यह पूर्वानुमान उसकी वर्तमान क्षमताओं के आधार पर

किया जाता है। यदि किसी विद्यार्थी में संगीत की जन्मजात प्रतिभा है तो उसे विज्ञान की अपेक्षा कला विषयों की शिक्षा प्रदान करता अधिक उपयोगी रहेगा।

3.5 व्यावसायिक विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण उपकरण (Vocational Specific Aptitude Test Tool) - ये परीक्षण रोजगार संबंधी विशिष्ट क्षमताओं का परीक्षण करते है। ये कुछ परीक्षण निम्नलिखित है-

1. लिपिक व्यवसाय अभिक्षमता परीक्षा (Clerical Aptitude Test) - व्यवसाय के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को चुनने के लिए कुछ विशेष परीक्षाएँ होती है। लिपिक का कार्य आँकड़े एकत्र करने से लेकर उनका वर्गीकरण करने, उन्हें प्रस्तुत करने तथा किसी योजना में उपयोग करने तक होती है। सुपर ने लिपिक के लिए दो मुख्य गुणां े का वर्णन किया है- गति तथा शुद्धता जो व्यक्ति सांख्यिकी तथा शाब्दिक चिह्नों की गणना गति व शुद्धता से कर सकता है वही दक्ष लिपिक बन सकता है। इस अभिक्षमता की कुछ परीक्षायें ये हैं-

(अ) मिनिसोटा वोकशनल टेस्ट फॉर क्लेरिकल वर्क

(आ) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल सैकोलोजी क्लेरिकल टेस्ट

(इ) थर्स्टन एक्जामिनेशन इन क्लेरिकल वर्क

(ई) डेट्रोट क्लेरिकल एप्टीट्यूड एकजामिनेशन

2. यान्त्रिक अभिक्षमता परीक्षण (Mechanical Aptitude Test) - इस परीक्षण में व्यक्ति की यान्त्रिक बुद्धि तथा कुशलता की परीक्षा की जाती है। हाथों की कार्यकुशलता, गति, शक्ति तथा धैर्य का मापन किया जाता है। इसके कुछ परीक्षण निम्नलिखित है-

(अ) मिनेसोटा मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट्स

(आ) जॉनसन ओ कैनर्स बिगली ब्लाक टेस्ट्स

(इ) और रूरके मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट्स

(ई) स्टेक्विस्ट टेस्ट्स फॉर मैकेनिकल एप्टीट्यूड

3. संगीत अभिक्षमता परीक्षण (Musical Aptitude Test) - इसमें संगीत की विभिन्न अनुभूतियों की परीक्षा की जाती है। संगीत के विभिन्न अवयवों के मापन हेतु सन् 1916 में सीशोर में परीक्षण तैयार किया गया था। सीशोर संगीत परीक्षण के निम्नलिखित मुख्य आधार है-

(क) संगीत की संवेदना- इसमें स्वर की ऊँचाई, तीव्रता, समय तथ विस्तार के ज्ञान की क्षमता आती है इसके अलावा लक्ष्य, ध्वनि, व्यंजन तथा स्वर की मात्रा शामिल होती है।

(ख) संगीतात्मक क्रियाएँ - इसमें स्वर की ऊँचाई पर नियन्त्रण, समय व ध्वनि की मात्रा पर नियंत्रण का कौशल शामिल है।

(ग) संगीतात्मक स्मृति- इसमें यान्त्रिक कल्पना, सीखने की शक्ति व सीखने का विस्तार आता है।

(घ) संगीतात्मक बुद्धि - इसमं स्वतंत्र संगीतात्मक साहचर्य तथा सामान्य बुद्धि शामिल है।

(ड़) संगीतात्मक भावना - इसके अन्तर्गत संगीतात्मक रूचि तथा संवेगात्मक आत्म प्रदर्शन आते हैं।

3.6 उपलब्धि परीक्षण उपकरण Achievement Test Tools -

परीक्षण का अर्थ है प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन। जब कोई विद्यार्थी किसी विषय का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब उसका मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। रोजगार की दृष्टि से भी इस प्रकार का परीक्षण करना पड़ता है।

बिंघम के अनुसार पूर्व या अतीत में प्राप्त किये गये ज्ञान या प्रशिक्षण को उपलब्धि परीक्षण कहते हैं।

इन परीक्षणों में भाषा, विषय, लेखन-क्षमता का आकलन अनेक परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है। इनमें मौखिक, निबन्धात्मक, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण होते है।

3.7 व्यावसायिक व्यक्तित्व परीक्षण उपकरण (Vocational Personality Test Tools) –

शैक्षिक तथा व्यवसाय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की बहुत महत्ता है। कुछ व्यवसाय ऐसे होते है, जिनमें व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पड़ता है, अतः व्यक्तित्व का परीक्षण निर्देशन की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तित्व का अर्थ किसी के बाह्य व्यक्तित्व मात्र से नहीं बल्कि उसकी वेशभूषा हाव-भाव, भावनाएँव, व्यवहार, बुद्धि, आदत, स्वभाव, स्मृति, कल्पना, अनुभव आदि अनेक बातों से सम्बन्धित है। जब किसी के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है तो उसके अनेक पहलुओं का मापन किया जाता है।

व्यक्तित्व परीक्षण की अनेक मापनियां बनी है। इनमें आत्मनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ रूप से परीक्षाएँ ली जाती है। आत्मनिष्ठ में आत्मकथा, लेखन, साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर, व्यक्ति इतिहास, आदि पद्धतियां प्रचलित हैं तो वस्तुनिष्ठ में निरीक्षण, सामाजमितिण् प्रश्नावली तथा योजना आदि विधियाँ आती है।

3.8 (B) अप्रमापीकृत विधियाँ (Non Standardized Method) -

निर्देशन कार्यकर्त्ताओं तथा परामर्शदाताओं के लिए अप्रमापीकृत विषयों व उनके उपयोग के बारे में जानना आवश्यक है। इन विधियों का निर्माण व्यक्तिनिष्ठ तरीके से किया जाता है। और इनमें अधिक समय तथा धन की आवश्यकता होती है। यह अवश्य है कि इन पद्धतियों की न तो कोई निश्चित सीमा होती है न मापनी। इनमें व्यक्तित्व के अनेक पहलू खुल कर स्वतंत्र रूप से सामने आते हैं।

कुछ प्रमुख अप्रमापीकृत विधियाँ निम्नलिखित हैं-

1. प्रश्नावली (Quaestionanarie) - प्रश्नावली विधि कुछ प्रश्नों की सूची होती है और प्रार्थी को उनका उत्तर देना होता है। इन उत्तरों के आधार पर उसके व्यक्तित्व की समीक्षा होती है और उसी के अनुसार उसे निर्देशन दिया जाता है। निर्देशन के अलावा अनुसन्धान कार्य में भी प्रश्नावली महत्वपूर्ण होती है।

गुड तथा हॉट के अनुसार- ''सामान्यतः प्रश्नावली शब्द प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने को योजना की ओर संकेत करता है जिन्हें व्यक्ति स्वयं अपने दायित्व पर पूयर्ण करता है।'' बॅर, डेविस और जॉनसन ने भी प्रश्नावली को प्रश्नों का ऐसा सुव्यवस्थित संकलन बताया है, जिससे अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा सके।

जार्ज लिंडबर्ग ने प्रश्नावली के दो प्रकार बताये हैं-

1. तथ्य से संबंधित

2. दृष्टिकोण से संबंधित

पहली प्रश्नावली में सिर्फ तथ्य तथा सूचना संबंधी प्रश्न होते है और दूसरी प्रश्नावली में व्यक्ति के विचार व दृष्टिकोण को जानने के लिए उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।

जान बेस्ट ने प्रश्नावली को दो भागों में बाँटा है-

1. प्रतिबन्धित

2. मुक्त

पहले प्रकार में ‘हाँ’ या ‘नहीं’ के ही प्रश्न होते हैं और दूसरे प्रकार में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न होते हैं।

जे0एस0 वालिया ने प्रशनावली की तीन श्रेणियां बताई हैं-

1. प्रश्नात्मक

2. अनुसन्धात्मक

3. परीक्षणत्मक

पहले प्रश्न में ‘हाँ’ या ‘नहीं’ के उत्तर देने होते हैं, दूसरे में रिक्त स्थान की पूर्ति और तीसरे में अनेक संभावित प्रश्नों में से किसी एक को चुनना होता है, जैसे-

आप खाली समय का उपयोग कैसे कना चाहेंगे।

क) फिल्म देखने में ख) खेलकर

ग) भ्रमण द्वारा घ) पुस्तक पढ़ने में

2. आकस्मिक निरीक्षण आलेख (Anecdotal Record) - इसमें विद्यार्थियों के द्वारा लिखित डायरी, शिक्षकों के द्वारा तैयार किये गये घटना वृत्त तथा संचित अभिलेख पत्र इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। शिक्षक के द्वारा छात्रों का प्रतिदिन किया गया निरीक्षण छात्रों के व्यवहार को स्पष्ट करता है।

जन0डी0 विलार्ड के अनुसार, ‘‘किसी विद्यार्थी के जीवन की घटना का जो कि निरीक्षक के द्वारा महत्वपूर्ण समझी जाती है, सरल वर्णन ही आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख है।’’

जोन्स ने स्पष्ट किया है, ‘‘कुछ घटनाओं का (घटना स्थान पर होने वाला) विवरण और सम्भावित महत्व के कारण उनका अभिलेख आकस्मिक निरीक्षण है। जब ये प्रतिवेदन एक साथ एकत्रित कर दिये जाते हैं तो वे आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख के नाम से जाने जाते हैं।’’

विद्यालयों में अनेक प्रकार के आकस्मिक निरीक्षण अभिलेखों का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः ये चार प्रकार के होते हैं-

1. इसमें विद्यार्थी के व्यवहार का वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है।

2. विद्यार्थी के व्यवहार के वर्णन के साथ-साथ उनकी संक्षिप्त टीका-टिप्पणी भी लिखी होती है।

3. इस अभिलेख में व्यवहार का विवरण तथा समीक्षा के साथ-साथ उसके उपचार का भी उल्लेख होता हैं

4. इसमें व्यवहार के गुण दोषों का वर्णन होता है और भावी जीवन में उपचार के सुझावों का भी उल्लेख होता है।

आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख का यह लाभ है कि विद्यार्थी के व्यक्तित्व का समुचित उल्लेख प्राप्त होता है इससे उसके पाठ्यक्रम चयन तथा भविष्य में व्यवसाय चयन के लिए सुविधा मिलती है।

(3) आत्मकथा (Autobiography) - आत्मकथा से अर्थ है- किसी व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन वृतांत का लेखन। यह एक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, जिसमें विद्यार्थी या व्यक्ति अपने अतीत तथा वर्तमान के अनुभवों को लिखता है। वह अपने जीवन के लक्ष्य, रूचियों, इच्छाओं घटनाओं, उपलब्धियों तथा व्यवहारों के विषय में स्वतंत्र रूप से लिख सकता है।

मुख्य रूप से आत्मकथा लेखन के ये तीन प्रकार है-

I. व्यक्तिक
II. निदेशित
III. मिश्रित

व्यक्तिक आत्मकथा में विद्यार्थी या व्यक्ति लिखने के लिए स्वतंत्र होता हैं उसे किसी प्रकार का निर्देश नहीं दिया जाता। वह जो चाहे लिख सकता है।

निर्देशित आत्मकथा में व्यक्ति अपने विषय में कुछ भी लिखने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। प्रश्नावली के रूप में उसे स्पस्ट निर्देश दिया जाता है कि कैसे क्या लिखना है। इसका प्रारूप निम्नलिखत है-

1. परिवार के अनुभव

I. परिवार
II. परिवार की आर्थिक् स्थिति
III. धर्म

2. सामाजिक परिवेश- स्थान (जहां पहले रहते थे व जहां अब रहते हैं)

3. विद्यालय के अनुभव

I. आरंभिक अनुभव
II. प्राथमिक विद्यालय के अनुभव
III. किन विद्यालयों में अध्ययन किया्

IV. विद्यालय के मित्र

V. शिक्षक

VI. पाठ्य सहगामी क्रियाएँ, शौक, रूचिकर विषय

4. वैयक्तिक विचार, रूचियां, अभिक्षमता

5. राष्ट्रीय समस्याओं से सम्बन्ध

6. परिवार से सम्बन्ध

(4) निर्धारण मापनी (Rating Scale) - निर्देशन कार्यक्रमों में निर्धारण मापनी काफी लोकप्रिय है। इस विधि में किसी व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया जाता है।

ए0एस0बर के अनुसार, ''निर्धारण मापनी कुछ स्थितियों, वस्तुओं या चरित्रों से सम्बन्धित दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है।''

रूथ स्ट्रांग ने निर्धारण मापनी के विषय में स्पष्ट करते हुए लिखा है, ''निर्धारण मापनी में कुछ शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों अथवा अनुच्छेदों की सूची होती है, जिसके समक्ष निर्धारण करने वाला मूल्यों के किसी वस्तुनिष्ठ मापनी के आधार पर कोई क्रम अथवा मूल्य अंकित करता है।''

3.9 व्यावसायिक आंकन एवं मूल्याकंन उपकरण

i. **ब्रेल** (Braille) – ब्रेल पढ़ने लिखने की ऐसी व्यवस्था है जिसमे दो कालम में तीन तीन की संख्या में बंटे हुये छ: उभरे हुये बिन्दु होते है, जिसमें एक नुकीली पिन अर्थात स्टाइलस की सहायता से दबाकर ब्रेल के बिन्दु उभारे जाते है।

ii. **ब्रेलर (Brailler)-** ब्रेलर ब्रेल लिखने की एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा एक बार में ब्रेल के एक अक्षर के सभी बिन्दुओं को उभारे जा सकते हैं।

iii. **पाकेट फ्रेम (pocket frame)-** यह ब्रेल स्लेट का छोटा रूप होता है जिसको जेब में रखकर आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा सकता है।

iv. **टेलर फ्रेम (Tailor Frame)-** यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अंकगणित तथा बीजगणित में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह या संख्याओं को प्रकट करते हैं या लिखते हैं।

v. **अबेकस (abacus)-** अबेकस एक ऐसा यंत्र है जिसके सहायता से विभिन्न गणितीय संक्रियाएँ की जाती है, जिसमें गिनती, गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना शामिल है।

vi. **ज्यामितीय किट-** यह उपकरण रेखागणित में उपयोगी होता है।

vii. **इलेक्ट्रोनिक नोट टेकर** – यह एक कम क्षमता वाला कम्प्युटर होता है। इसका आकार एक वीडियो कैसेट के जितना होता है। साधारणत: इस उपकरण में एक ब्रेलर की तरह 7 कुंजियाँ लगी होती है जिसका प्रयोग करके ब्रेल के अक्षरों को टाइप किया जाता है।

viii. **टाकिंग कैलकुलेटर-** इसकी सहायता से पूर्ण अंधे बच्चे गणित संबंधी कार्य आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो बटन दबाये जाते है, वही अंक सुनाई देती है।

ix. **लेजर छड़ी (Laser Cane)-** यह लंबी छड़ी जैसा ही साधन है। इससे इंफ्रारेड प्रकाश की तीन किरणें निकलती है। एक ऊपर, एक नीचे और एक सीधे दिशा में निकलता है। प्रकाश की ये किरणें जब किसी बस्तु से टकराती है तो वह ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है और इसी ध्वनि की आवाज से दृष्टि अक्षमताग्रस्त बच्चे सचेत हो जाते है।

x. **श्रवण यंत्र (Hearing aids)-** श्रवण वाधित बालकों को स्पष्ट रूप से सुनाई देने के लिए श्रवण यंत्र का उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसी मशीन है जो वातावरण की आवाज को ग्रहण कर उसे कई गुणा बढ़ा कर सीधे कान में पहुंचाता है। इसकी सहायता से कम सुनने बाला बच्चा भी उस आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकता है।

xi. **बैसाखी(Crunch)-** कमजोर पैरों वाले बच्चों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। बैसाखी बच्चों को सहायता प्रदान करती है।

xii. **कैलीपर्स (Callipers)-** यह जूतों के साथ लगा पैरों को सहारा प्रदान करने वाला साधन है, जो कमजोर पैरों को सहारा प्रदान करता है।

3.10 अपनी उन्नति जानिए Check Your Progress

प्रश्न1. व्यवसाय सूचना संग्रह की पद्धतियों को कितने भागों में बाँटा गया है?

प्रश्न 2. डगलस फ्रॉयर ने कितने प्रकार के व्यावसायिक स्तरों का उल्लेख किया है?

प्रश्न 3. अपने जीवन के लक्ष्य, रूचियों, इच्छाओं घटनाओं, उपलब्धियों तथा व्यवहारों के विषय में स्वतंत्र रूप से लिखने को क्या कहते है?

प्रश्न 4. अंकगणित तथा बीजगणित में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह या संख्याओं को प्रकट करने वाले उपकरण को क्या कहते है ?

प्रश्न 5. विभिन्न गणितीय संक्रियाएँ गिनती, गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना करने वाले यंत्र को कहा जाता है?

3.11 सारांश Summary

''विकलांग व्यक्तियों को, उनके 'आत्म सम्मान' के लिए आदर पाने का प्राकृतिक अधिकार है। विकलांग व्यक्तियों को भी उनके हम उम्र व्यक्तियों के समान सभी मूल अधिकार, जिसमें जिन्दगी

को पूर्णता एवं सम्मान से जीना शामिल है, प्राप्त है चाहे उनका मूल (जाति/वंश) प्रकृति अथवा उनकी विकलांगता एवं अक्षमता की गंभीरता कुछ भी क्यों न हो।'' (Article 3)

संयुक्त राष्ट्र संघ की इस घोषण के पश्चात सभी सदस्य राष्ट्रों ने सहमति जतायी कि अक्षमता/वातावरण के ख्याल किये बिना, विकलांग व्यक्तियों को भी वे सारे मूल अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो एक सामान्य नागरिक को उपलब्ध होते हैं। मानवधिकारों और तत्पष्चात् विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की इस घोषणा को आगे 'बालको के अधिकार' पर हुए संयुक्त राष्ट्र के अन्वेंषन (1989) में 'समावेशी शिक्षा ' की जड़े छुपी हैं।

बालकों के वैष्विक अधिकारेां की इस घोषणा के अनुसार ''एक विकलांग बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करते हुए, उन्हें उपयुक्त सहायता प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें प्रभावी शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, और बच्चे के अनुकूल, उसका पूर्ण सामाजिक एकीकरण एवं पूर्ण विकास संभव हो। (Article 23)

बालकों के शिक्षा अधिकार प्रदान करने के लिए शिक्षा के लक्ष्य प्राप्ति हेतु वर्ष 2002 में सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) लाया गया। क्रेन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित यह योजना राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में पूरे देश में चलाया जा रहा है। स्त्री-पुरूष असमानता तथा सामाजिक विभेद को समाप्त कर के शिक्षा को लोक आधारित बनाना ही इस कार्यक्रम का मिशन है। इस कार्यक्रम में विशेष बच्चों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शामिल करने के लिए प्रति बालक की दर से सलाना 1200 रू तक की राशि खर्च किए जाने का प्रावधान है। साथ ही संसाधनों की भागीदारी तथा शिक्षक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करने का भी प्रावधान है।

माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा योजना वर्ष 2009 में लाई गई, जिसका विशेष उद्देश्य दृष्टिबाधित बालकों सहित सभी विकलांग बालकों की पहचान कर माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुनिश्चित करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना है। यह योजना क्रेन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसमें राज्यों को शत-प्रतिशत सहायता देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत माध्यमिक स्तर दृष्टिबाधित बालकों की पहचान, उपयुक्त अनुदेशन, सहायक उपकरण आदि का प्रावधान है। वर्ष 2009 में ही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी लागू किया गया। यह राष्ट्रीय अभियान सर्व शिक्षा अभियान के तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा के लिए तैयार किया गया। इस अभियान का उद्देश्य समाज में अर्थिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े एवं विकलांग बालकों तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना है।

3.12 शब्दावली Glossary –

बुद्धि परीक्षण (Intelligence Techniques) - बुद्धि का तात्पर्य है समस्या समाधान की क्षमता तथा नवीन ज्ञान को ग्रहण करने की योग्यता। बुद्धि को जन्मजात माना गया है और बुद्धि - लब्धि को

ज्ञात करना व्यवसाय निर्देशन के लिए अत्यावश्यक है। यह इसलिए क्योंकि विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने के लिए विभिन्न बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।

अभिक्षमता परीक्षण (Aptitude Test) - अभिक्षमता का अर्थ जन्मजात योग्यता है। अक्सर लोगों को यह कहते सुना जाता है कि अमुक जन्मजात कवि हैं या उसमें कलात्मक प्रतिभा है। किसी व्यक्ति में जो विशेष गुण होता है, जो अन्य में नहीं होता, उसे अभिक्षमता कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का एक प्रमुख कारण उनकी अभिक्षमता में अन्तर होना है। अभिक्षमता को अभियोग्यता भी कहते हैं।

प्रमुख उपकरण (Main Tools) -

i. **ब्रेल** (Braille) – ब्रेल पढ़ने लिखने की ऐसी व्यवस्था है जिसमे दो कालम में तीन तीन की संख्या में बंटे हुये छ: उभरे हुये बिन्दु होते है, जिसमें एक नुकीली पिन अर्थात स्टाइलस की सहायता से दबाकर ब्रेल के बिन्दु उभारे जाते है।
ii. **ब्रेलर (Brailler)-** ब्रेलर ब्रेल लिखने की एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा एक बार में ब्रेल के एक अक्षर के सभी बिन्दुओं को उभारे जा सकते हैं।
iii. **पाकेट फ्रेम (pocket frame)-** यह ब्रेल स्लेट का छोटा रूप होता है जिसको जेब में रखकर आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा सकता है।
iv. **टेलर फ्रेम (Tailor Frame)-** यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अंकगणित तथा बीजगणित में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह या संख्याओं को प्रकट करते हैं या लिखते हैं।
v. **अबेकस (abacus)-** अबेकस एक ऐसा यंत्र है जिसके सहायता से विभिन्न गणितीय संक्रियाएँ की जाती है, जिसमें गिनती, गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना शामिल है।
vi. **ज्यामितीय किट-** यह उपकरण रेखागणित में उपयोगी होता है।

3.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Questions-

उत्तर1. दो भागों में   उत्तर 2. पाँच प्रकार के   उत्तर 3. आत्मकथा
उत्तर 4. टेलर फ्रेम (Tailor Frame)   उत्तर 5. अबेकस (abacus)

3.14 सन्दर्भ पुस्तकें –

रावत, (डॉ) आशा. (2007) *वृतिक निर्देशन तथा रोजगार सूचना*. मेरठ: आर.लाल. बुक डिपो.

ओबराय, (डॉ) एस.सी. (2008) *शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श*. मेरठ: इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस.

भाटिया, (डॉ) आर. सी. (2009) *व्यावसायिक संघटन एवं प्रबन्ध*. बम्बई: हिमालय पब्लिशिंग हाउस.

नोलखा, (डॉ) आर.एल. (2010) *व्यावसायिक संघटन*. नई दिल्ली: रमेश बुक डिपो.

भाटिया, (डॉ) आर. सी. (2008) *कार्यालय प्रबन्ध,* नई दिल्ली: एटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स.

3.15 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

प्रश्न 1. व्यवसाय से आप क्या समझते हो? व्यवसाय सूचना संग्रह की विभिन्न पद्धतियाँ की विस्तार से वर्णन कीजिय|

प्रश्न 2. व्यावसाय चयन में अपनाई जाने वाली प्रमुख प्रमापीकृत विधियाँ (Standardized Techniques) को विस्तार से लिखिय|

प्रश्न 3. व्यावसाय चयन में अपनाई जाने वाली प्रमुख अप्रमापीकृत विधियाँ (Non-Standardized Techniques) को विस्तार से लिखिय|

प्रश्न 4. दिव्यांगो के लिय अपनाए जाने वाली व्यावसायिक आंकन एवं मूल्यांकन उपकरणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिय?

प्रश्न 5. दिव्यांगो के लिय प्रदान की जाने वाली शैक्षिक व व्यावसायिक सुविधाओं से आप क्या समझते हो? आप इनको किस प्रकार रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते है| अपने सुझाव विस्तारपूर्वक लिखिय |

Unit- 4 Concept, Meaning, Importance of transition and models of transition (अवधारणा ,अर्थ एवं अंतरण का महत्व और अंतरण के प्रतिमान)

4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्देश्य

4.3अंतरण की अवधारणा

4.4 अंतरण का अर्थ एवं महत्व

4.5 अंतरण के प्रतिमान

4.5.1 अंतरण प्रतिमान के प्रकार

4.6 सारांश

4.7 निबंधात्मक प्रश्न

4.8 संदर्भ सूची

4.1 प्रस्तावना :

जीवन कभी स्थिर नहीं रहता । जीवन का प्रत्येक पक्ष धीरे –धीरे अन्तरित होता रहता है । वर्तमान पल पल भविष्य की ओर गतिमान है ।

भविष्य निर्माण की तैयारी किसी भी बच्चे को दी जाने वाली शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है । अक्षमतओं से ग्रसित बच्चों के लिए यह प्रक्रिया सामान्य बच्चे से काफी जटिल होती है । इन जटिलताओं को सरलीकृत करने में अन्तरण सेवाएं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को वयस्क जीवन में प्रवेश करने में सहायता करती है । ये सेवाएं बच्चे की आवश्यकताओं एवं रूचियों पर निर्भरकरती हैं । ये अक्षम बच्चों को कार्य करने, स्कूल एवं जीवन का आनन्द लेने में सहायक होती हैं । बच्चा स्कूल स्तर से क्रमशः उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में अन्तरण सेवाओं की सहायता से जीवन को सहज तरीके से जीने के तरीके सीख सकता है । ये सेवाएं बच्चे को रोजगार प्राप्त करने, जीवन को कुशलापूर्वक जीने तथा समुदाय का उपयोगी सदस्य बनने में सहायता करतीहै।

4.2 उद्देश्य :

इस ईकाई का अध्ययन करने के बाद आप

1- अन्तरण को समझ सकेंगे
2- अन्तरण को परिभाषित कर सकेंगे।
3- अन्तरण की अवधारणा को समझ सकेंगें।
4- व्यवसायिक अन्तरण मॉडल की अवधारण को समझ सकेंगे।
5- व्यवसायिक अन्तरण मॉडल के अर्थ से परिचित हो सकेंगे।
6- व्यावसायिक अन्तरण मॉडल के महत्व को समझ सकेंगे।

4.3 अंतरण की अवधारणा;

सामान्य भाषा मै अवस्था परिवर्तन को अंतरण कहा जाता है .एक अवस्था से दुसरी अवस्था मैं रूपान्तरण के लिये विशिस्ट शर्तें होती है, विशिस्ट दशाओं को पूर्ण करने पर ही एक अवस्था दुसरी मै अन्तरित होती है .जब बात बच्चे कि हो रही हो तब हम देख्रते है की किस प्रकार बच्चा शैवावस्था से बाल्यावस्था फिर किशोरावस्था से युवावस्था मै प्रवेश करता है

अवस्था परिवर्तन

शैशवावस्था

↓

शैशवावस्था

↓

बाल्यावस्था

↓

किशोरावस्था

↓

युवावस्था

↓

पौढ़ावस्था

अन्तरण (Transition) इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक अवस्था का दूसरी अवस्था साथ संयोजन कड़ी का काम करता है। एक अवस्था धीरे-धीरे दूसरी अवस्था में अन्तररित होती है।

4.4 अंतरण का अर्थ एवं महत्व

अन्तरण की प्रक्रिया जितनी सहजता के साथ होती है जीवन में सफलता की दर उसी अनुपात में बढ़ जाती है। यहां पर ध्यान देना इसलिए भी आवश्यक है कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा अर्थात जीवन की तैयारी की बात कर रहे हैं। क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे के पास सभी अवस्थाओं की तुलना में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। भावी जीवन हेतु वह विभिन्न क्रियाकलापों, व्यवसायों का चयन की स्थिति में आने लगता है। तब उसे सही चयन हेतु निर्देशन की विशेष आवश्यकता होती है। व्यैक्तिक शिक्षा योजना (IEP) टीम के लिए अन्तरण सेवाओंका निर्धारा करती है। इस योजना का केन्द्र बिन्दु विशेष आवश्यकता वाला बच्चा होता है।

व्यैक्तिक शिक्षा योजना में बच्चे की आवश्यकताओं एवं रूचियों को ध्यान में रखा जाता है तथा बच्चे से पूछकर विभिन्न जानकारीयां प्राप्त करना सबसे अच्छा तरीका है। यदि विशेष कारण से बच्चा सीधे अपनी बात नहीं रख सकता तब IEP टीम की विभिन्न तरीकों से उसकी रूचियों एवं आवश्यकताओं का पता लगाना महत्वपूर्ण होता है।

व्यैक्तिक शिक्षा योजना टीम को जब बच्चा 14 वर्ष की आयु या 9th कक्षा में हो, तब योजना बनाया प्रारम्भ कर देना चाहिए। टीम यह कार्य पहले भी कर सकती है पर दे स्वीकार्य नहीं हो। यदि विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है उसे स्कूल स्तर से कॉलेज स्तर पर अध्ययन की तैयारी हेतु सहायता एवं निर्देशन दिए जाने आवश्यक है। अन्यथा उसे क्षमता एवं रूचि के अनुसार कौशल विकास हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है।

व्यैक्तिक शिक्षा योजना के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि किस प्रकार विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी की सहायता की जा सकती है। यह सूचना फिर अन्तरण प्रकोष्ट को दे दी जाती है एवं विद्यार्थी 16 वर्ष की अवस्था में पहुंचने तक IEP द्वारा बच्चे की स्कूली शिक्षा के पश्चात् उपलब्ध विकल्पों की सूची तैयार की जाती है कि उसकी रूचियों एवं

क्षमताओं के अनुसार उसे किस प्रकार शैक्षिक या व्यवसायिक कौशलों के विकास हेतु अवसर, सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं।

स्कूली शिक्षा के उपरान्त व्यस्क जीवन की शुरूआत होने लगती है। जिसका केन्द्र बिन्दु व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कार्य होता है। दैनिक जीवन में जाग्रत अवस्था का आधा भाग जीवन निर्वहन हेतु किए जाने वाले कार्य में व्यतीत होता है। लोगों की पहचान उनके द्वारा किए जा रहे कार्य से निर्धारित होती है। जीवन सन्तुष्टि में व्यक्ति द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उचित व्यवसाय न मिलना जीवन में हताशा एवं असन्तोष का बहुत बड़ा कारण बन जाताहै। विद्यार्थियों में जीविकोपार्जन हेतु व्यवसायिक कौशलों का विकास एवं तैयारी शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग हैं।

सामान्य बच्चों की तुलना में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बेरोजगारी या रूचि एवं क्षमता के अनुसार रोजगार न मिलना, कम वेतन में कार्य करना तथा व्यवसायिक असन्तोष जैसी समस्याओं का अधिक सामना करना पड़ता है।(Dunn 1966)

अभ्यास प्रश्न :

1. व्यावसायिक अन्तरण सेवाएं मुख्य से किन बातों पर निर्भर करती है।
2. सामान्य तौर पर अन्तरण का क्या अर्थ है।

4.5 अंतरण के प्रतिमान

युवावस्था का केन्द्र बिन्दु व्यक्ति द्वारा जीविकोपार्जन हेतु किया जाने वाले कार्य है। हमारी जाग्रत अवस्था का आधा भाग जीविकोपार्जन हेतु किए जाने वाले कार्यों में निष्पादन में व्यतीत होता है। व्यक्ति की पहचान होती है। जीवन सन्तुष्टि में व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय का महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। रूचि एवं क्षमतानुसार व्यवसाय न मिलने पर व्यक्ति हताशा एवं असन्तोष से ग्रसित हो जाता है।

सामान्य बच्चों की तुलना में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बेरोजगारी, रूचि एवं क्षमतानुसार रोजगार न मिलना, कम वेतन पर कार्य करना तथा असन्तोष आदि समस्याओं का अधिक सामना करना पड़ता है। (Dunn 1966)

अक्षमताओं से ग्रसित अधिकांश बच्चे हाईस्कूल स्तर पर है। विद्यालयी परम्परगत शिक्षा को छोड़ देते हैं। (14 से 16 वय वर्ग के बच्चे)। इस अवस्था में बच्चों को उनकी रूचि एवं क्षमता और अवसरों की उपलब्धता के अनुसार किसी भी व्यवसाय हेतु तैयार करना तथा व्यवसाय उपलब्ध

कराकर उन्हें समाज का उपयोगी सदस्य बनाया जा सकता है। यह भी देखा गया है यदि विशेष आवश्यकता बाले बच्चो का स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययन करते है तो तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है।

युवावस्था में व्यवसायिक जीवन हेतु तैयारी का दबाव सामान्य एवं विशिष्ट बच्चे के लिए समान रहता है। परन्तु विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रूचियों एवं अभिरूचियों के प्रति जागरूकता दक्षताओं के विकास हेतु पहुंच एवं अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने से व्यैक्तिक सहायता एवं व्यस्कों के समर्थनन को अतिरिक्त आवश्यकता होती है।

जैसा कि स्पष्ट ही है अवस्था परिर्वन का व्यक्ति के व्यवसाय पर प्रभाव रहता है। RTE के तहत 06-14 वय वर्ग से प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का प्रावधान है। चाहे बच्चा सामान्य हो या विशिष्ट बच्चे को शिक्षा उपलब्ध करवाना राज्य का दायित्व है। 14 वर्ष के उपरान्त बच्चा धीरे-धीरे व्यवसायिक जीवन की ओर अग्रसर होने लगता है

यहां पर विशिष्ट बच्चे को उचित निर्देशन एवं सहायता अधिक आवश्यकता होती है जो उसे समाज का एक उपयोगी सदस्य बनने में सहायक हो जैसे –

1. व्यैक्तिक योजना एवं सामंजस्य
2. व्यवसायिक तैयारी
3. शैक्षिक सहयोग एवं उपचार
4. शैक्षिक, व्यवसायिक, सामाजिक निर्देशन
5. सहयोगी तन्त्र एवं सेवाएं
6. नौकरी पाना
7. फालोअप

ये प्रतिमान विद्यार्थी जीवन से व्यावसायिक जीवन में अन्तरण में महत्वपूर्ण है। व्यस्क् जीवन की सफलता का पैमाना मुख्य रूप से व्यवसाय को माना जाता है। (गोल्डस्टीन 1986)

।

4.5.1 अंतरण प्रतिमान के प्रकार –मुख्य रुप से निम्लिखित अंतरण प्रतिमान होते है

1. *OSERS (WILL1984) Transition Model* के अनुसार विद्यालय से कार्यस्थल तक अंतरण एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है,इसमें मुख्य रुप से तीन बाते शामिल रहती है

1. Regular job with no special service
2. Regular job with time limited service
3. Regular service with ongoing services

2. *Wehman, kregal and Barcus (1985)Transition model-इसमें तीन चरण होते हैं |*

1. Input and Foundation
2. Process
3. Employment outcome

3. Pathway Model

4 Halpers revised transition model

5 NIMH Transition model

4.6 सारांश

स्कूली शिक्षा के उपरान्त व्यस्क जीवन की शुरूआत होने लगती है। जिसका केन्द्र बिन्दु व्यक्ति द्वारा

किया जाने वाला कार्य होता है । दैनिक जीवन में जाग्रत अवस्था का आधा भाग जीवन निर्वहन हेतु किए जाने वाले कार्य में व्यतीत होता है । लोगों की पहचान उनके द्वारा किए जा रहे कार्य से निर्धारित होती है । जीवन सन्तुष्टि में व्यक्ति द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है । उचित व्यवसाय न मिलना जीवन में हताशा एवं असन्तोष का बहुत बड़ा कारण बन जाताहै। विद्यार्थियों में जीविकोपार्जन हेतु व्यवसायिक कौशलों का विकास एवं तैयारी शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण भा युवावस्था में व्यवसायिक जीवन हेतु तैयारी का दबाव सामान्य एवं विशिष्ट बच्चे के लिए समान रहता है । परन्तु विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रूचियों एवं अभिरूचियों के प्रति जागरूकता दक्षताओं के विकास हेतु पहुंच एवं अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने से व्यैक्तिक सहायता एवं व्यस्कों के समर्थन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है ।।

4.7 निबंधात्मक प्रश्न

1 व्यावसायिक अन्तरण सेवाएं मुख्यतया किन बातों पर निर्भर करती है

2 अंतरण के प्रतिमानों से आप क्या समझते है ,इनका विशेष आवश्यकता वाले बच्चो के लिये क्या महत्व है

4.8 संदर्भ सूची

1. Transition Planning disabilities.org/transition-planning-for Individuals with Learning Disabilites | Council ...://council-for-learning- -individuals-with-le...
2. www.cpacinc.org/hot.../transition.../what-is-transition-planning-and-why-is-it-importa...
3. ERIC - Transitional Vocational Assessment: A Model for Students with

https://eric.ed.gov/?id=EJ346595

Unit- 5

पूर्व व्यावसायिक तथा पश्च व्यावसायिक स्तर पर अन्तरण योजना

Transitional Planning at Prevocational & Post Vocational Level

5.1 प्रस्तावना

5.2 उद्देश्य

5.3 अंतरण योजना पूर्व व्यवशायिक स्तर पर

5.4 पश्च व्यावसायिक अंतरण योजना

5.5 सारांश

5. 6 निबंधात्मक प्रश्न

5.7 संदर्भ सूची

5.1 प्रस्तावना-

आधुनिक मानव जीवन मे विभिन्न अवस्थाओं पर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों मे प्रायः सभी व्यक्तियों की अपने लिये जीवन क्षेत्र में विद्यमान अनेक विकल्पों में से कुछ एक का सोच समझकर चयन करने की आवश्यकता का अनुभाव होता है, विकल्प का चयन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि चयनित मार्ग जीवन में सन्तुष्टि समायोजन विकास एवं स्वाथ्य अर्जित करने की दिशा में सहायक सिद्ध हो ऐसा करते समय व्यक्ति को अन्य लोगों से सहयोग लेने की आवश्यकता का अनुभव होता है। ऐसी आवश्यकता सभी लोगों के साथ होती है किन्तु यदि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की बात करें तो सहयोग की आवश्यकता और ज्यादा होती है, जो कि बुद्धिमत्तापूर्ण चयन करने एवं उपयुक्त आत्मनिर्णय विकसित करने हेतु व्यक्ति को समर्थ बनाये।

विशिष्ट शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य विशिष्ट बालकों की भाविष्य में अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य बनाना है। विभिन्न व्यवसायों एवं अवसर की जानकारी व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय संसाधनों की अधिकतम उपयोगिता के लिये अत्यन्त आवश्यक है।

प्रत्येक विकलांग बच्चा हर प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, उसे अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार काम चुनने के लिये उचित मार्गनिर्देशन की आवश्यकता है। इन बच्चों के जीवन की सफलता एवं राष्ट्रीय विकास के लिये व्यावसायिक समायोजन अत्यन्त आवश्यक है शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक मानव का अधिकार है। विशिष्ट बालक भी सर्वप्रथम एक मानव है तब उसकी आवश्यकता भिन्न है।

अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति समुदाय का एक सदस्य है। अतः उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति समुदाय के मानक के अनुरूप हो इसके लिये उसे व्यावसायिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम बच्चों की क्षमताओं कामजोरियों तथा समुदाय में उपलब्ध अवसरों के अनुसार विकसित होना जरूरी है प्रशिक्षण की भूमिका अहम है।

5.2 उद्देश्य –

इस ईकाई का अध्ययन करने के बाद आप-

1. व्यावसायपूर्व अन्तरण योजना को समझ सकेगे।
2. व्यावसाय पश्चात अन्तरण योजना की अवधारणा से परिचित हो सकेगे।
3. व्यावसाय अन्तरण योजनाओं के अन्तर को समझ सकेगे।

5.3 व्यवसाय पूर्व अन्तरण योजनाएं-

अन्तरण योजनाए व्यैक्तिक शिक्षा योजना के लक्ष्यों (Individual education plan) के लक्ष्यों एवं सेवाओं की निर्धारित करती है। ये व्यक्तियों की आवश्यकताओं क्षमताओं, दक्षताओं और रूचियों पर आधारित होती है। व्यावसायिक अन्तरण योजनाओं का उपयोग चल रहे शिक्षण सत्र पर बच्चों की सहायता तथा सत्रोंपरान्त बच्चों का प्राप्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सहायता करना है।

IDEA & Individual with disability act के अनुसार अपनी व्यैक्तिक शिक्षा योजना बच्चे के 16 वर्ष की आयु के लिये प्रभावी होनी चाहिए। इसमे निम्नलिखित कारक समाहित होते है।

शैक्षिक तैयारी

सामुदायिक अनुभव

व्यावसायिक एवं स्वतन्त्रापूर्वक जीवन र्निवहन हेतु दक्षताओं का विकास

Transition planning Domains को इस प्रकार समझ सकते है

-सामुदायिक सहभागिता

दैनिक जीवन

-रोजगार

-आर्थिक प्रबन्धन

-स्वास्थ्य

-स्वतन्त्र जीवनयापन

-स्कूल स्तर के बाद शिक्षा

- संबंध/ सामाजिक दक्षताऐ।

-व्यावसायिक प्रशिक्षण

पूर्व व्यावसायिक योजना मै निन्मलिखित बिंदु समाहित होते है

-अर्थपूर्ण एवं यथार्थवादी उद्देश्यों का विकास

-कार्य ,शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता के कौशलों का विकास

-अक्षमता (Disability) प्रोद्योगिकी का उपयोग एवं सुविधा हेतु साधनों का उपयोग

स्कूल से व्यवसाय में अन्तरण एक स्तरीय (One Step) प्रक्रिया नहीं है। इससे मुख्य रूप से चार अवस्थाएं सम्मिलित होती है।

1 विद्यालयी अनुदेशन (School Instructions)

2 अन्तरण प्रक्रिया हेतु योजना बनाना

3 सही व्यवसाय मे प्रतिस्थापना

4 -फोलो अप

5.4 पश्य व्यावसायिक अंतरण योजना

किसी विशेष व्यवसाय हेतु ऐसा प्रशिक्षण जो व्यवसाय हेतु व्यक्ति को कार्यदायी दक्षताओं एवं उचित व्यवहार के तरीकों को सिखाता है।

व्यक्ति की कार्य आधारित योजनाओं हेतु तैयार किया जाता है तथा ज्यादा से ज्यादा समय व्यावसायिक शिक्षा के विकास हेतु दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण देना,अवसर उपलब्ध करवाना तथा शैक्षिक व्यैक्तिक सामाजिक कौशल,अस्तित्व एवं सुरक्षा तथा कार्य हेतु तैयारी करवाना है।

एक प्रभावशाली विशेष शिक्षा योजना अक्षमताओं से प्रभावित बच्चों को सहज अन्तरण उपलब्ध करवाती है। इस प्रकार की योजना के मुख्य तत्व निम्नलिखित है-

-औपचारिक अन्तरण योजना व्यैक्तिक विकास योजना का एक भाग है जो जब बच्चे 16 वर्ष की आयु मे पहुंच जाते है,से प्रभावी होती है

-पाठ्यक्रम समुदाय द्वारा ग्राहय होना चाहिए।

-जैसे-जैसे बच्चे की वास्तविक आयु बढ़ती है विशेष शिक्षा के लिये दिया गया समय घटता है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम बच्चों की क्षमताओं कमजोरियों तथा समुदाय में उपलब्ध अवसरों के अनुसार विकसित होना जरूरी है।

विद्यालय के बाद Post School Programme आवश्यकता है साथ ही Transaction core team भी इस कार्य में सहायक होती है जिसके निम्न सदस्य होते है।

1 विशिष्ट शिक्षा का प्रतिनिधित्व कर रहे नौकरशाह

2 व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े लोग

3 सामाजिक सेवाएं

4 चिकित्सकीय सेवाएं

5 अभिवावक

6 स्थानीय व्यावसायी

व्यावसायिक अन्तरण योजना के कारक;व्यावसायिक अंतरण योजना को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते है

1 अन्तरण कोर टीम का गठन

2 रोजगार अवसरों का समुदाय द्वारा आंकलन

3 र्निदिष्ट जनसँख्या का चयन

4 विद्यार्थी का कार्यात्मक आकलन

5 व्यैक्तिक अन्तरण योजना का निर्धारण

6 उपयुक्त प्रशिक्षण साइट का चयन

7 भू समय समय पर मूल्यांकन एवं सुधार

8 धीरे-धीरे स्कूल से कार्यक्षेत्र में अन्तरण की रणनीति बनाना।

5.7 सारांश

व्यावसायिक अन्तरण योजनाओं का उपयोग चल रहे शिक्षण सत्र पर बच्चों की सहायता तथा सत्रोंपरान्त बच्चों का प्राप्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सहायता करना है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम बच्चों की क्षमताओं कामजोरियों तथा समुदाय में उपलब्ध अवसरों के अनुसार विकसित होना जरूरी है विशिष्ट शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य विशिष्ट बालकों की भाविष्य में अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य

बनाना है। विभिन्न व्यवसायों एवं अवसर की जानकारी व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय संसाधनों की अधिकतम उपयोगिता के लिये अत्यन्त आवश्यक है

निबंधात्मक प्रश्न :

1. पूर्व व्यावसायिक अंतरण योजना का क्या महत्व है |

सन्दर्भ सूची

1- Bremer. D(2007). Enhancing transaction for students with disabilities across New York state, 2008.

2- Transctions & vocational planning, Programme guide for staff, students & families.

3- Transforming the lives of people wilh disabilities the Henry Viscard School.

4- अमरनाथ राय, मधु अस्थाना (2012), निर्देशन एवं परामर्शन, संप्रत्यय क्षेत्र एवं उपागम

ईकाई-6 व्यैक्तिक व्यावसायिक अन्तरण योजना एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम का विकास (Development of Individualized vocational transitional plan and Development of Vocational curriculum)

6.1 प्रस्तावना

6.2 उद्देश्य

6.3 व्यैक्तिक व्यावसायिक अन्तरण योजना

6.4 व्यावसायिक योजना का अर्थ एवं महत्व

6.5 व्यावसायिक पाठ्यक्रम का विकास

6.6 सारांश

6.7निबंधात्मक प्रश्न

6 8 संदर्भ सूची

6.1 प्रस्तावना

विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विशिष्ट बालकों को भविष्य मे अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य बनाना है। विभिन्न व्यवसायों एवं अवसर की जानकारी व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय संसाधनों की अधिकतम उपयोगिता के लिये अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक विकलांग बालक हर प्रकार का कार्य नही कर सकता। उसे अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य चुनने के लिये उचित मार्गदर्शन आवश्यक है।

6.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप

i. व्यैक्तिक व्यावसायिक अन्तरण योजना की अवधारणा को समझ सकेंगे।

ii. व्यैक्तिक व्यावसायिक अन्तरण योजना का अर्थ समझ सकेगे।

iii. व्यावसायिक पाठ्यक्रम को समझ सकेगे।

iv. व्यावसायिक कौशलों को समझ सकेगे।

6.3 व्यैक्तिक व्यावसायिक अन्तरण योजना अवधारणा

अन्तरण प्रक्रिया को बढावा देने के लिये परामर्शदाता को निम्नलिखित अधिनियमों की जानकारी होना आवश्यक है।

1. *Individual with disability act (IDEA 2008)*
2. *NCLB (NO Child lift behind) 2001*

IDEA के अनुसार अक्षमताओं के प्रकार

- मानसिक अवरोध
- श्रवण वाधिता
- भाषायी अक्षमता
- आर्थोपेडिक वाधिता
- दृष्टि बाधिता
- अन्य स्वास्थ्य संबंधी अक्षमता
- सीखने संबंधी अक्षमता
- आटिज्म आदि

IDEA अक्षमता से प्रभावित बच्चों को रोजगार एवं स्वतन्त्र जीवनयापन सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश देता है। इसके अनुसार प्रत्येक बच्चे को अन्तरण सेवाऐ निर्धारित है इसके अनुसार परामर्शदाता को विकासात्मक एवं प्रकार्यात्मक रूप से अक्षमताओं से ग्रसित बच्चों के सफल अन्तरण में सहायक होना आवश्यक है। व्यैक्तिक शिक्षा योजना बच्चे की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को ध्यान मे रखती है। सम्बन्धित जानकारियां बच्चे से ही प्राप्त करना बहुत अच्छा तरीका है यदि बच्चे से जानकारियां नही मिल सकती तो उसकी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं का पता लगाना अति महत्वपूर्ण है।

यदि बच्चा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उसे उच्च स्तर में अध्ययन के लिये तैयार किया जाये। यदि वह कोई व्यवसाय सीखना चाहता है तो उसे व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिसे उचित निर्देशन एवं सहायता प्रदान की जाये।

6.4 व्यावसायिक योजना का अर्थ एवं महत्व

विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के रूचियों अभिरूचियों, क्षमताओं एवं अवसरों की उपलब्धता हेतु आकडे, मुद्रित परीक्षणों, सर्वेक्षणों के साथ-साथ साक्षात्कार एवं बच्चें के अवलोकन द्वारा एकल किये जाते है। आकलन के निम्नलिखित बिन्दु समाहित होने चाहिए।

- शैक्षिक कौशल

-दैन्दनीय कौशल

-व्यैक्तिक एवं सामाजिक कौशल

-व्यवसायिक एवं रोजगारपरक कौशल

-कैरियर परिपक्वता

-व्यवसायिक रूचि एवं अभिरूचि

व्यैक्तिक व्यावसायिक अन्तरण योजना के मुख्य दो भाग है।

i. अपने व्यावसायिक लक्ष्यों का निर्धारण एवं पहचान

ii. व्यावसायिक लक्ष्यों पहचान एवं निर्धारण हेतु व्यावसायिक पुर्नस्थापना सेवाओं की उपलब्धता एवं सहायता जो कि लक्ष्य तक पहुचने में सहायक हो ।

युवावस्था में अन्तरण सभी के लिये चुनौतियां लेकर आता है। जब हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की बात करते है तो यह अवस्था और जटिल हो जाती है। जब वह स्वतन्त्र रूप से जीवन जीने के लिये तथा समाज में एक व्यस्क की तरह व्यवहार करने के लिये अन्तरित हो रहा होता है।

यहां पर बच्चे के सबल पक्षों के साथ-साथ दुर्बल पक्षों की विस्तृत जानकारी अतिमहत्वपूर्ण है

अन्तरण प्रक्रिया विद्यार्थी

↓

विशेष शिक्षा अध्यापक

↓

नियमित अध्यापक

↓

स्थानीय शिक्षा व्यवस्था

↓

व्यावसायिक पुर्नस्थापना परामर्शदाता

↓

अन्य सहयोगी

6.5 Development of vocational Curriculum (व्यासायिक पाठ्यक्रम का विकास)

शिक्षा का उद्देश्य बच्चे की जीवन निर्वहन की तैयारी भी है। जब बात विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की हो रही हो तब यह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस प्रकार के बच्चे को कैसे किसी व्यवसाय के लिये तैयार किया जाये । किसी भी व्यवसाय को करने के लिये विषयगत ज्ञान और कौशल के साथ- साथ कार्यस्थल पर अपने स्थान को बनाये रखने के लिये कुछ विशिष्ट कौशलों को भी सिखाये जाने की आवश्यता है।

i. शैक्षिक कौशल

ii. संप्रेषण संबंधी कौशल

iii. सामाजिक एवं अन्तर्व्यैक्तिक कौशल

iv. व्यवसायिक कौशल

1) **<u>शैक्षिक कौशल</u>**

पढना लिखना, जैसे साइट बर्डस, शब्दकोष, स्पेलिग, हस्तलेखन, टाइपिंग आदि।

-गणित सामान्य गणनाऐ- रूपया, पैसा, मापन

- समस्या समाधान
- सुनकर समझना
-समझकर बोलना
-कम्प्यूटर
-कला और संगीत

2) **<u>संप्रेषण कौशल</u>**

-निर्देशों का पालन
-सूचना संप्रेषण
-सूचनाओं को समझना एवं क्रियान्वयन
-सहायता प्राप्त करना और सहायता देना

3) **<u>सामाजिक और अन्तरवैयक्तिक कौशल</u>**

-फोन का जबाव देना तथा संदेश प्राप्त करना
- नियोक्ता को आवश्यक फोन करना
-कार्यस्थल पर उचित व्यवहार एवं शालीनता बनाये रखना
- कार्यस्थल पर प्रसांगिक मुद्दो पर चर्चा करना

4) **<u>व्यवसायिक कौशल</u>**

कार्यस्थल पर समय में पहुंचना
- समय कार्ड पंच क्लाउ का उपयोग
- बीमार होने पर सूचना देना
- छूट्टी हेतु आवेदन करना

- निर्देशों का पालन
- सहकर्मियों के साथ उचित व्यवहार

इसके अतिरिक्त भविष्य में व्यवसाय चयन हेतु निम्न कौशलों के विकास पर ध्यान देना आवश्यक है।

विभिन्न स्त्रोंतो जैसे दैनिक समाचार पत्र ऑनलाइन तथा स्थानीय स्त्रोतो से रिक्तियों की जानकारी हेतु विज्ञापनों को देख पाना।

1. योग्यता एवं रूचि के अनुसार आवेदन पत्र भर पाना।
2. बायोडाटा तैयार करना।
3. आवश्यक पहचान स्त्रोतो को इक्ट्ठा करना- फोटों पहचान पत्र आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र
4. साक्षात्कार की दक्षताओं का विकास

अभ्यास प्रश्न

1 IDEA से आप क्या समझते है

2. व्यवसायिक अन्तरण योजना में मुख्य रूप से कौन-कौन सम्मिलित होते है।

6.6 सारांश

Individual with disability act 2004 में यह नयी बात शामिल की गयी है कि अन्तरण सेवाएं व्यक्ति की क्षमताओं के साथ- साथ उसकी प्राथमिकताओं एवं रूचियों पर आधारित होनी चाहिए, व्यक्ति क्या कर सकता है, के निर्धारण हेतु प् टीम में कई लोग जैसे मनोवैज्ञानिक, शिक्षा विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यर्त्ता तथा शिक्षक शामिल होने चाहिए। (**Mauro 2006 P.I.**) यह महत्वपूर्ण है कि निर्धारित लक्ष्य में बच्चे की क्षमताओं वरीयताएं तथा रूचिया परिलक्षित हो।

व्यावसायिक प्रशिक्षण वह प्रशिक्षण है जो व्यक्ति को विभिन्न व्यवसायों मे कार्य करने के लिए तैयार करता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिये 16 वर्ष की आयु मे व्यवसायिक अंतरण की महत्वपूर्ण भूमिका है।

भारत में पूर्व में व्यावसायिक प्रशिक्षण श्रम मंत्रालय तथा विभिन्न राज्य स्तरीय संगठनों निर्धारित एवं संचालित होता था। दिसम्बर **2013 में National Skill qualification framework** विभिन्न स्तरों पर सांमजस्य एवं गुणवत्ता के लिये लागू किया गया।

आज सभी कौशल संवर्धन कार्यक्रम **Skill India Mission** के तहत कार्य करते है

भविष्य हेतु व्यवसाय चयन की तैयारी किसी भी बच्चे को दी जाने वाली शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। सामान्य बच्चों की तुलना में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की तुलना में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बेरोजगारी या रूचि एवं क्षमतानुसार कार्य न मिलना व्यवसायिक असन्तोष जैसी समस्याओं का अधिक सामना करना पडता है।

6.7 निबंन्धात्मक प्रश्न

1. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किस प्रकार व्यावसायिक पाठ्यक्रम का विकास किया जा सकता है।

6.8 सन्दर्भ सूची

1- Mangal S.K (2007), educating exceptional children, In Introduction to special education. Prentue Hall of India Pvt Ltd., New Delhi.

2- UNESCO (2001). Understanding to responding to child needs in inclusive classroom, UNESCO

इकाई 7 - रोजगार परिवेशों के प्रकार, समान अवसर तथा दिव्यांगों के प्रति अभिवृतियां Types of Employment Settings, Equal Opportunities and attitudes towards Person with Disabilities

7.1 प्रस्तावना
7.2 उद्देश्य
7.3 रोजगार परिवेशों के प्रकार
  7.3.1 केवल शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों हेतु रोजगार परिवेशों के प्रकार
  7.3.2 केवल मानसिक अक्षमता वाले व्यक्तियों हेतु रोजगार परिवेशों के प्रकार
7.4 समान अवसर तथा दिव्यांगों के प्रति अभिवृत्तियां
  7.4.1 दिव्यांगों के लिए समान अवसर
  7.4.2 दिव्यांगों के प्रति अभिवृत्तियां
7.5 सारांश
7.6 निबंधात्मक प्रश्न

7.1 प्रस्तावना

भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय व गरिमा सुनिश्चित करता है और स्पष्ट रूप से यह दिव्यांग व्यक्तियों को मुख्यधारा से जोड़ते हुए एक संयुक्त समाज बनाने पर बल देता है। पिछले कुछ दशकों में शारीरिक रूप से अक्षम एवं विभिन्न प्रकार से अक्षम बच्चों के प्रति समाज में व्याप्त धारणाओं में कुछ परिवर्तन आया है । परम्परागत रूप से समाज में अनेक भ्रामक धारणाएं एवं मान्यताएं प्रचलित रही हैं , इस कारण से जन्मजात शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं को प्रारब्ध, भाग्य तथा दैवीय अभिशापों के रूप में लिया जाता था । वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकसित होने तथा शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति ने इस प्रकार की धारणाओं को परिवर्तित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया है । यदि विभिन्न प्रकार से अक्षम बच्चों की अक्षमता की सही समय पर पहचान कर ली जाए तथा उसके बचाव हेतु सहायता दी जाए जैसे - उपकरणों की सुविधा , उचित शिक्षा व्यवस्था, व्यावसायिक प्रशिक्षण , रोजगार के अवसरों की सुविधाएँ आदि उपलब्ध कराई जाएं तो उनमें से बहुसंख्य लोग एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हम सभी को इन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त एक नागरिक के रूप में अपनाने की दृढ इच्छा दिखानी होगी । इससे पहले की इकाईयों में आप विभिन्न रूप से अक्षम बालकों- बालिकाओं के व्यवसायिक पाठ्यक्रम के विभिन्न

पहलुओं के विषय में अध्ययन कर चुके हैं तथा इस इकाई में आप विभिन्न रूप से अक्षम बालकों-बालिकाओं हेतु रोजगार परिवेशों के विषय में अध्ययन करेंगे।

7.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप :-

1. रोजगार परिवेशों के प्रकारों से परिचित हो सकेंगे।
2. केवल शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों हेतु रोजगार परिवेशों के प्रकारों को जान सकेंगे।
3. केवल मानसिक अक्षमता वाले व्यक्तियों हेतु रोजगार परिवेशों के प्रकारों से अवगत हो सकेंगे।
4. दिव्यांगों के लिए समान अवसर के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
5. दिव्यांगों के प्रति अभिवृत्तियों का वर्णन कर सकेंगे।

7.3 रोजगार परिवेशों के प्रकार (Types of Employment Settings)

सभ्यता तथा संस्कृति के विकास के साथ साथ जीवन यापन के लिए रोजगारों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई है। कृषि तथा पशुपालन आधारित ग्राम्य संस्कृति से प्रारम्भ हुई सभ्यता की विकास यात्रा के नगरीय रूप लेने तक अनेकानेक नए रोजगार सृजित होते रहे हैं। सामान्य धारणा यही है कि शारीरिक रूप से सक्षम एवं उपयुक्त मानसिक योग्यता से सम्पन्न व्यक्ति जीवनयापन के लिए उपलब्ध विभिन्न कार्यों में से किसी एक या एक से अधिक कार्यों में संलग्न हो सकता है। यह धारणा निर्विवाद है तथापि यह भी सत्य है कि शारीरिक रूप से भिन्न-भिन्न प्रकार से सक्षम होने वाले व्यक्ति भी विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न होने में सफल हो सकते हैं। वास्तव में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति कहे जाने वाले व्यक्ति शारीरिक रूप से विभिन्न प्रकार से सक्षम होते हैं। इन्हें 'अक्षम'(Disabled) कहने के स्थान पर 'भिन्न प्रकार से सक्षम' (differently abled) कहना अधिक उचित तथा उपयुक्त है। वर्तमान में यही धारणा सर्वमान्य व सर्वस्वीकृत है। इस दृष्टिकोण के आधार पर विचार करने के लिए अगले पृष्ठों में 'भिन्न प्रकार से सक्षम व्यक्तियों' के संदर्भ में रोजगार परिवेशों के प्रकारों पर चर्चा की गई है।

अंग्रेजी भाषा के शब्द 'Settings' के पर्यायवाची शब्द Location, Surroundings, Scenery, Situation तथा Background हैं। (Microsoft Encarta Thesaurus, Bloomsbury Publishing Plc 2002, p.458).

हिन्दी भाषा में वातावरण, पर्यावरण, प्रतिवेश तथा अड़ौस-पड़ौस शब्द इस सन्दर्भ में प्रयुक्त किए जाते हैं। (अंग्रेजी- हिन्दी कोश, फ़ादर कामिल बुल्के, 2004, एस.चन्द एण्ड कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली, पृष्ठ 475)। इस प्रकार की चर्चा में दिव्यांगों के लिए उपलब्ध विभिनन रोजगारों के चंहु ओर विद्यमान वातावरणोंकीविशेषताओं का वर्णन किया गया है।

इस वर्णन के अन्तर्गत 'दिव्यांगों 'के विभिनन प्रकारों को ध्यान में रखते हुए पाठ्य सामग्री प्रस्तुत की गई है।

सर्वप्रथम 'दिव्यांगों ' को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित कर चर्चा की गई है –

1. शारीरिक रूप से विभिन्न प्रकार से सक्षम विद्यार्थी (Physically differently abled students)
2. मानसिक रूप से विभिन्न प्रकार से सक्षम विद्यार्थी (Mentally differently abled students)

शारीरकि क्षमता के आधार पर विद्यार्थियों के निम्न वर्ग होते हैं –

जन सामान्य में प्रचलित शब्दों का उपयोग कर शारीरिक विवशता या अक्षमता के आधार पर बच्चों को गूंगा, बहरा, अंधा या लूला-लंगड़ा कहा जाता रहा है। बोलने, सुनने, देखने या हाथ-पैरों का सम्यक उपयोग न कर सकने की क्षमता से वंचित व्यक्ति/बच्चे इसी प्रकार से सम्बोधित किए जाते रहे हैं।

ये विकलांग बच्चे शारीरिक विवशता के कारण सामान्य कार्यों को करने में असफल होते हैं। अपने इन सामर्थ्य हीनता के कारण के सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति के समान जीवन-निर्वाह नहीं कर सकते हैं।

मानसिक रूप से अक्षम बच्चों या व्यक्तियों की चार श्रेणियां होती हैं -

- मन्दबुद्धि
- क्षीणबुद्धि
- मूढ़
- पागल

बुद्धि लब्धि के आधार पर ऐसे बच्चों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है –

- सीखने योग्य बच्चे
- सीखने में अक्षम बच्चे

i. **'सीखने योग्य बच्चे'**- इन्हें सिखाया जा सकता है, साक्षर बनाया जा सकता है, कुछ कौशलों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। जीवन-निर्वाह तथा जीवन यापन करने योग्य बनाया जा सकता है।

ii. **'सीखने में पूर्ण रूपेण अक्षम बच्चे'** – इस वर्ग में अतिमूढ़ तथा पागल सम्मिलित रहते हैं । इन्हें न तो शिक्षित किया जा सकता है और न ही प्रशिक्षित । ये स्वयं जीवन-निर्वाह योग्य भी नहीं बनाए जा सकते हैं । इन्हें चिकित्सकीय देख रेख में पागलखाने (Mental Asylum) में रखना पड़ता है।

उपर्युक्त विवरण को पढ़ने के उपरान्त आप यह समझ चुके होंगे कि 'रोजगार परिवेशों के प्रकारों' की बात हम उन बच्चों/व्यस्कों के सन्दर्भ में ही कर सकते हैं जिन्हें इस योग्य बनाने की सम्भावनाएं हों कि वे शिक्षण तथा/अथवा प्रशिक्षण से स्वयं के जीवनयापन के लिए किसी रोजगार में संलग्न हो सकें। आइए अब हम यह विचार करें कि इस प्रकार के 'रोजगार' क्या क्या हो सकते हैं जिससे कि उन 'रोजगार परिवेशों के प्रकारों' पर बातचीत की जा सके । इस संदर्भ में व्यक्तियों के तीन भिन्न-भिन्न समूहों को ध्यान में रखना होगा –

- केवल शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति
- केवल मानसिक अक्षमता वाले व्यक्ति
- शारीरिक अक्षमता तथा मानसिक अक्षमता वाले व्यक्ति

7.3.1 केवल शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों हेतु रोजगार परिवेशों के प्रकार

इस वर्ग के अन्तर्गत भी दो उपवर्ग सम्मिलित हैं – प्रथम जन्मजात अक्षमता युक्त व्यक्ति (जन्मजात अक्षमतायुक्त व्यक्ति में मानसिक रूप से अक्षम होने की आशंका अधिक होगी। अत: ऐसे व्यक्तियों की चर्चा शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार से अक्षम व्यक्तियों के अन्तर्गत की जाएगी) तथा द्वितीय दुर्घटना या गम्भीर बिमारी के कारण उत्पन्न अक्षमता वाले व्यक्ति । इस द्वितीय उपवर्ग में दुर्घटना या बिमारी किस आयु में हुई – इस आधार पर भी व्यक्तियों में अन्तर होता है।

प्रथम उपवर्ग के व्यक्ति

इस उपवर्ग में जन्मजात गूंगे, बहरे, अंधे तथा लूले-लंगड़े सम्मिलित हैं । जीवन निर्वाह हेतु जीविकोपार्जन करने की योग्यता प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्तियों के लिए रोजगार परिवेशों के विभिन्न प्रकारों का निर्माण किया जाना आवश्यक है। इन परिवेशों को इनके निवास में ही या निवास स्थान के यथासम्भव निकट ही निर्मित किया जाना आवश्यक है । शारीरिक क्षमताओं में वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए इन परिवेशों को निर्मित किया जाना सुनिश्चित करना होगा । इसके साथ ही जिस स्थान में ऐसे व्यक्ति निवास कर रहे होंगे उस स्थान में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के सम्यक उपयोग पर भी ध्यान देना होगा। भौगोलिक दृष्टिकोण से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों यथा

पर्वतीय क्षेत्र,मैदीनी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, समद्र तटीय क्षेत्र तथा आदिवासियों के वन्य क्षेत्रों के अनुरूप रोजगार हेतु उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का यथोचित उपयोग किए जाने के प्रयास करने होंगे। इस प्रकार के विभिन्न कार्यों की सूची में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है –

- विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के रेशों का उपयोग कर रस्सियां बनाना।
- टोकरियां तथा विभिन्न प्रकार की काष्ठ निर्मित सामग्रियां बनाना।
- चारपाई, कुर्सी बुनना।
- बच्चों के खिलौने, घर की सजावट हेतु कागज आदि से निर्मित सजावट की सामग्री बनाना।
- मिट्टी, लकड़ी, संगमरमर आदि के उपयोग से घरेलू जरूरतों की विभिन्न सामग्रियां बनाना, सजावट की सामग्रियां बनाना।
- दैनिक जीवन में भोजन सामग्री के लिए चावल, दाल, मसाले, मिर्च, नमक, हल्दी आदि के पैकेट बनाना।
- कागज, बांस तथा रस्सियों की थेलियां आदि बनाना।
- लिफाफा, मोमबत्ती, फ्लॉवर पॉट पर पेंट करने, बगीचा लगाने का काम करने, जरूरी दस्तावेजों की फाइलिंग करना।

द्वितीय उपवर्ग के व्यक्ति – इस उपवर्ग में जीवन की विभिन्न अवस्थाओं यथा बाल्यकाल, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था में दुर्घटना या गम्भरी बिमारी के कारण शारीरिक रूप से अक्षम हुए व्यक्ति सम्मिलित हैं। इस प्रकार की शारीरिक अक्षमता के कुप्रभाव से होनी वाली हानि की मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि दुर्घटना या गम्भीर बिमारी जीवन की किस अवस्था में हुई है। ऐसे व्यक्तियों के इस दुर्घटना या बिमारी से पूर्व मानसिक रूप से सक्षम होने की दशा में उनके वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिकतथा व्यावसायिक जीवन पर कुप्रभाव किंचित अलग-अलग प्रकार के होंगे। निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़कर आप इस स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे –

- 45 वर्ष के माध्यमिक स्तर के एक अध्यापक के सड़क दुर्घटना में बायें पैर में गम्भीर चोट के कारण इस पांव से रहित हो जाने के कारण उसे अत्यधिक कठिनाई अवश्य होगी परन्तु कृत्रिम पांव या बैसाखी का उपयोग कर वह अध्यापन कार्य जारी रख सकता है।
- तीस वर्ष की बैंक में कार्यरत एक महिला कर्मी की दुर्घटना वश एक आंख की रोशनी चली जाने से उसे अत्यधिक परेशानी अवश्य होगी परन्तु वह बैंक में अपना कार्य जारी रख सकती है।

- विद्युत विभाग में विद्युत बिलों का भुगतान प्राप्त करने वाला चालीस साल का व्यक्ति यदि गम्भीर बिमारी के कारण बोलने की क्षमता से वंचित हो जाता है तो इस गम्भीर कठिनाई के बावजूद भी वह अपना व्यावसायिक कार्य जारी रख सकता है।
- स्वरोजगार से जुड़ा एक पचास वर्ष का बढ़ई बिमारी के कारण 'सुनने' की क्षमता से वंचित हो जाने के बाद भी कठिनाई से ही सही परन्तु अपना कार्य जारी रख सकता है।
- स्वरोजगार से जुड़ी एक पैंतीस वर्ष की कपड़े सिलने के कार्य में संलग्न महिला 'सुनने'की क्षमता से वंचित हो जाने के बाद भी कठिनाई से ही सही परन्तु अपना व्यावसायिक जीवन प्रभावित अवश्य होगा परन्तु वह अपनी इस शारीरिक अक्षमता के बावजूद बैठकर किए जाने वाले बौद्धिक या शारीरिक कार्यों को करने में दक्षता प्राप्त कर जीविकोपार्जन में सक्षम हो सकता है।

7.3.2 केवल मानसिक अक्षमता वाले व्यक्तियों हेतु रोजगार परिवेशों के प्रकार -

इस वर्ग में सम्मिलित व्यक्तियों के शारीरिक रूप से सक्षम होने के कारण 1.3.1 में उद्धृत कार्यों को करने में उन्हें कुशल बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

शारीरिक अक्षमता तथा मानसिक अक्षमता वाले व्यक्ति

इस वर्ग के अर्न्तगत आने वाले व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जीविकोपार्जन कर सकने के सन्दर्भ में सब से निम्न स्तर पर हैं। इनके लिए परिवार के सदस्यों को विशेष रूप से कार्य करना होता है। शारीरिक अक्षमता तथा मानसिक अक्षमता के स्तर को ध्यान में रखते हुए इन्हें किसी समूह में सहायक-भागीदार के रूप में संलग्न करने की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़ने के बाद आप इस सन्दर्भ में उपयुक्त धारणा निर्मित कर सकते हैं –

- कृषि कार्यों में संलग्न परिवार इन्हें तत्सम्बन्धित कुछ सामान्य प्रकार के छोटे-छोटे कार्यों में लगा सकते हैं। धूप में सुखाए जा रहे अनाज के पास बैठकर ये बच्चे चिड़ियों तथा छोटे जानवरों को इसे नुकसान पहुंचाने से रोक सकने के लिए प्रशिक्षित किए जा सकते हैं।
- पशुपालन से सम्बन्धित कार्यों में संलग्न परिवार इन्हें छोटे पशुओं यथा मुर्गी, बकरी, बत्तख आदि का ध्यान रखने हेतु प्रशिक्षित किए सकते हैं।
- 1.3.1 में उद्धृत कुछ कार्यों को करने में उन्हें सक्षम बनाने के प्रयास किए जा सकते हैं।

7.4 समान अवसर तथा दिव्यांगों के प्रति अभिवृत्तियां (Equal opportunities and attitudes towards person with disabilities)

दिव्यांग बच्चे समान्य बच्चों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील होते हैं। बस इन्हें जरूरत होती है प्यार की, देख भाल की, उनकी संवेदनाओं को समझने की । दरअसल आज के परिवेश में लोग स्व केंद्रित हो गए हैं। वे अपने से ज्यादा किसी के बारे में नहीं सोच पाते हैं। यहां तक की माता पिता को भी ऐसे बच्चे बोझ लगते हैं, क्योंकि वे उच्च पदों में पहुंचकर उनका नाम रौशन नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि आजीवन उनकी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, माता पिता और अपने ही भाई बहनों से मिलने वाली उपेक्षा के कारण कई बार उनकी स्थिति और गंभीर होती चली जाती है। दिव्यांगों के प्रति पारिवारिक तथा सामाजिक अभिवृत्तियों के कारण इनकी स्तिथि ओर भी भायावह हो जाती है। ऐसे में हमें आवश्यकता है बच्चों को सीधे-सीधे रोजगार से जोड़ने तथा प्रशिक्षण दिए जाने की और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने हेतु जीवनयापन हेतु समान अवसर प्रदान किए जाने की।

7.4.1 दिव्यांगों के लिए समान अवसर

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा नागरिकों को समता का अधिकार प्रदान किया गया है। विधि के समक्ष समता में स्पष्ट किया जाता है कि 'राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा' । इस मूलअधिकार से दिव्यांगों को भी अन्य नागरिकों समान ही समता का अधिकार प्राप्त है। डार्विन के विकासवाद की समीक्षा से कुछ इस प्रकार की धारणा उत्पन्न हुई कि प्रकृति में सक्षम ही अस्तित्व में रहता है। इसे 'Survival of the fittest' के रूप में डार्विन के मत से जोड़ा गया। यद्यपि डार्विन द्वारा स्पष्ट रूप से ऐसा कोई कथन कियाजाता प्रमाणित नहीं है तथापि इस प्रकार की अभ्युक्ति 'जंगलका कानून' (Law of the Jungle) है। एक सभ्य तथा सुसंस्कृत समाज में इसके विपरीत 'Survival of the weakest' है। निर्बलतम् का अस्तित्व में बने रहना इस बात का प्रमाण है कि यह निर्बलतम् व्यक्ति सभ्य तथा सुसंस्कृत परिवार/समाज में पल-बढ़ रहा है । भारतीय समाज की परम्परागत 'परिवार' की इकाइयों में 'निर्बलतम का अस्तित्व' स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में, जहां 1-2 लीटर दूध ही क्रयकिया जाना सम्भव होता है, यह दूध छोटे बच्चे या वृद्धतम् बीमार बुजुर्ग के लिए ही उपयोगमेंलाया जाताहै। यह 'Survival of the weakest' का स्पष्ट उदाहरण है । परिवार के 'दिव्यांग व्यक्ति' (person with disabilities) को भी इसी सन्दर्भ में देखा जा सकता है।

इसी क्रम में निम्नलिखित दो सर्वमान्य अवधारणाओं पर विचार कीजिए –

- प्रत्येक मानव प्राणी जीना चाहता है।

- प्रत्येक मानव प्राणी प्रसन्न (सुखी, खुश) (Happy) रहना चाहता है।

एक या एक से अधिक अक्षमताओं (Disabilities) के होते हुए भी ऐसे व्यक्ति जीना चाहते हैं , वे खुश-प्रसन्न रहना चाहते हैं। उनकी इन इच्छाओं की यथासम्भव पूर्ति करना परिवार के प्रत्येक सदस्य तथा बृहत् दृष्टिकोण से उस परिवार के सामाजिक समूह (Social Group) से जुड़े सभी व्यक्तियों का दायित्व है। इस दृष्टिकोण से 'दिव्यांगों ' की जीने तथा प्रसन्न रहने का वातावरण उपलब्ध कराने के यथासम्भव प्रयास किए जाने 'दिव्यांगों के लिए समान अवसर' के अन्तर्गत सन्निहित हैं।

विभिन्न प्रकार की शारीरिक तथा (या) मानसिक अक्षमताओं से युक्त व्यक्तियों को अक्षम (Handicapped), विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे (Children with special Needs), भिन्न प्रकार से योग्य (Differently abled) आदि शब्दों से सम्बोधित किया जाता रहा है।

इस प्रकार के बच्चों के लिए उपयुक्त देखभाल, शिक्षण-प्रशिक्षण तथा सम्यक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों बनाई गई हैं। इन नीतियों के सफल कार्यान्वयन हेतु कानून, नियम तथा अधिनियम बनाए गए हैं। इनका विस्तारपूर्वक वर्णन आप पूर्व में उपलब्ध कराई गई स्व निर्देशित अधिगम सामग्री (Self-Instructional Learning Material – SILM) पढ़ चुके हैं। वर्तमान केन्द्र सरकार के प्रधानमन्त्री जी द्वारा इस प्रकार के बच्चों/व्यक्तियों के लिए 'दिव्यांग' शब्द का उपोग कर इन्हें समानता – बराबरी के साथ साथ 'सम्मान' दिए जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यह एक सभ्य-सुसंस्कृत समाज का प्रभावी लक्षण है। यह राजनैतिक परिवक्वता, प्रशासनिक प्रतिबद्धता, सामाजिक उन्नयन तथा सांस्कृतिक जागरूकता का स्पष्ट द्योतक है। इसी क्रम में यथोचित नीतियों, प्रभावी कानूनों/नियमों/अधिनियमों, देखभाल-शिक्षण-प्रशिक्षण तथा रोजगार प्रदान करने के सन्दर्भ में विशेष प्रयासों द्वारा शासन-तन्त्र तथा बृहत समाज ने अपनी मंशा स्पष्ट की है।

7.4.2 दिव्यांगों के प्रति अभिवृत्तियां

'अभिवृत्ति' शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा में 'Attitude' शब्द का उपयोग किया जाता है।

Microsoft Encarta Thesaurus (2002:32) के अनुसार इस शब्द के समानार्थी शब्द View, opinion, viewpoint, point of view तथा Feeling है।

'Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary' (2001:134) के अनुसार 'Attitude' शब्द का अर्थ निम्नवत् है –

"Manner, disposition, feeling, position, etc. with regard to a person or thing; tendency or orientation, esp. of the mind: a negative attitude; group attitudes"

उपर्युक्त के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारी धारणा, हमारा विचार, हमारा दृष्टिकोण तथा हमारी भावना हमारी 'अभिवृत्ति' होती है । यह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, यह सामूहिक हो सकती है – वैयक्तिक हो सकती है। यह अनुकूल हो सकती है – प्रतिकूल हो सकती है । सामाजिक विज्ञानों यथा शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान में जो 'अभिवृत्ति मापनियां' (Attitude Scales) निर्मित की जाती हैं वे Attitude को 'Expressed Opinion' – 'व्यक्तकिया गया विचार या अभिमत' के रूप में परिभाषित करते हैं। अत: यह स्पष्ट होता है कि दिव्यांगों के प्रति हमारे विचार या अभिमत उनके प्रति हमारी अभिृत्तियां होती हैं। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के प्रति हमारे 'विचार' किस प्रकार बनते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर आपको निम्नलिखित विवरण को पढ़ने से मिलेगा –

किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के एक समूह 'विचार' बनते हैं –

- उसके परिवार तथा समूह में व्याप्त 'विचार'के आधार पर
- परिवार या समूह में प्रचलित रीति-रिवाजों, रूढ़ियों तथा परम्पराओं के आधार पर
- लघु समाज या बृहत समाज के अंधविश्वासों तथा लोकाचार के आधार पर
- शिक्षा व्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई पाठ्यसामग्री तथा शैक्षणिक क्रिया कलापों में सन्निहित तथा सर्वमान्य धारणायों के आधार पर
- शैक्षिक, सामाजिक तथा राजनैतिक के चिंतन तथा इन चिंतकों द्वारा प्रदर्शित वैयक्तिक तथा सामूहिक व्यवहारों के आधार पर
- समाज द्वारा स्वीकृत मान्यताओं तथा त्याज्य अवधारणाओं के आधार पर
- व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता, बौद्धिक क्षमता, वैज्ञानिक स्वभाव (Scientific Temper), सही निर्णयले सकने की क्षमता, व्यवसाय की प्रकृति,पूर्वाग्रहरहित होकर स्वतंत्र रूप से चिंतन कर सकने की क्षमता तथा मनोवृत्ति
- वैयक्तिक, पारिवारिक तथा सामूहिक अनुभव
- जिस व्यक्ति के सन्दर्भमें 'विचार'बनने है उससे वैयक्तिक तथा संवेगात्मक सम्बन्ध, समीपता, तथा उसके प्रति दायित्व तथा कर्तव्य

उपर्युक्त विवरण से आप समझ गए होंगे कि दिव्यांगों के प्रति अभिवृत्ति के बनने में अनेक कारकों की भूमिका है। अभिवृत्तियां व्यक्ति के पालन-पोषण, समाजीकरण, शिक्षण-प्रशिक्षण, व्यवसाय, जीवनके अनेकानेक अनुभव, मनोवृत्ति तथा व्यक्तित्व आदि के आधार पर बनती हैं।

उपर्युक्त विवरण के उपरान्त यह समझना आवश्यक है कि समसामयिक राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक-राजनैतिक परिवेश की विशेषताएं क्या हैं । वैश्विक आधुनिकीकरण के दौर में तथा संचार तकनीकी का व्यापक उपयोग करते हुए भी भारतीय समाज

का एक बहुत बड़ा भाग परम्परागत विचारों, मान्यताओं, रीति-रिवाजों, रूढ़ियों तथा लोकाचार से मुक्त नहींहो पाया है। व्यावसायिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक जीवन में अलग-अलग या नितान्त विपरीत आचरण भारतीय परिवेश में सामान्य रूप से दृष्टिगोचर होता है। भाग्यवाद, प्रारब्ध सम्बन्धी धारणाओं, जन्म से पूर्व-जीवन, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म, पूर्वजन्मकृत कर्मफल, जादू-टोना, तन्त्र- मन्त्र आदि कतिपयमान्यताओंतथा अंधविश्वासों से जुड़े लोकाचारोंके कारणबहुसंख्य भारतीय अभी भी जन्मजात शारीरिक अक्षमता तथा जन्मजात मानसिक अक्षमता के प्रति वैज्ञानिकदृष्टिकोण स्वीकार नहीं करते हैं। इन अनेकानेक कारणों से 'अक्षमता' के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति दृष्टिगोचर होती है

पिछले कुछ दशकों से राजनैतिक पहल, प्रशासनिक प्रतिबद्धता तथा संवैधानिक प्रयासों से शैक्षिक, चिकित्सकीय, स्वयंसेवी संगठनों के संयुक्त कार्यों से इस नकारात्मक अभिवृत्ति को बदलने में आशातीत सफलता प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम में बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा), एम0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) तथा कुछ डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों का प्रारम्भ होना इसके प्रबल संकेत हैं। प्राथमिक स्तर से ही सार्थक एवं प्रभावी शैक्षिक पहल से इस प्रकार की नकारात्मक अभिवृत्तियों को परिवर्तित किया जा सकना सम्भव है। इस दिशा में प्रभावी नीतियों के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए यथा सम्भव प्रयास तीव्र गति से किए जाने आवश्यक हैं।

7.5 सारांश

भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय व गरिमा सुनिश्चित करता है और स्पष्ट रूप से यह दिव्यांग व्यक्तियों को मुख्यधारा से जोड़ते हुए एक संयुक्त समाज बनाने पर बल देने के साथ साथ शिक्षा, रोजगार, अवरोधमुक्त वातावरण का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि प्रदान करने पर भी जोर देता है। परम्परागत रूप से समाज में अनेक भ्रामक धारणाएं एवं मान्यताएं प्रचलित रही हैं , इस कारण से जन्मजात शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं को प्रारब्ध, भाग्य तथा दैवीय अभिशापों के रूप में लिया जाता था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकसित होने तथा शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति ने इस प्रकार की धारणाओं को परिवर्तित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया है। सभ्यता तथा संस्कृति के विकास के साथ साथ जीवन यापन के लिए रोजगारों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई है। कृषि तथा पशुपालन आधारित ग्राम्य संस्कृति से प्रारम्भ हुई सभ्यता की विकास यात्रा के नगरीय रूप लेने तक अनेकानेक नए रोजगार सृजित होते रहे हैं। सामान्य धारणा यही है कि शारीरिक रूप से सक्षम एवं उपयुक्त मानसिक योग्यता से सम्पन्न व्यक्ति जीवनयापन के लिए उपलब्ध विभिन्न कार्यों में से किसी एक या एक से अधिक कार्यों में संलग्न हो सकता है। यह धारणा निर्विवाद है तथापि यह भी सत्य है कि शारीरिक रूप से भिन्न-भिन्न प्रकार से सक्षम होने वाले व्यक्ति भी विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न होने में सफल हो सकते हैं।

'रोजगार परिवेशों के प्रकारों' के संदर्भ में व्यक्तियों के तीन भिन्न-भिन्न समूहों को ध्यान में रखना होगा –

- केवल शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति
- केवल मानसिक अक्षमता वाले व्यक्ति
- शारीरिक अक्षमता तथा मानसिक अक्षमता वाले व्यक्ति

एक या एक से अधिक अक्षमताओं के होते हुए भी ऐसे व्यक्ति जीना चाहते हैं , वे खुश-प्रसन्न रहना चाहते हैं। उनकी इन इच्छाओं की यथासम्भव पूर्ति करना परिवार के प्रत्येक सदस्य तथा बृहत् दृष्टिकोण से उस परिवार के सामाजिक समूह से जुड़े सभी व्यक्तियों का दायित्व है। इस दृष्टिकोण से 'दिव्यांगों ' की जीने तथा प्रसन्न रहने का वातावरण उपलब्ध कराने के यथासम्भव प्रयास किए जाने 'दिव्यांगों के लिए समान अवसर' के अर्न्तगत सन्निहित हैं।

इस प्रकार के बच्चों के लिए उपयुक्त देखभाल, शिक्षण-प्रशिक्षण तथा सम्यक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों बनाई गई हैं। इन नीतियों के सफल कार्यान्वयन हेतु कानून, नियम तथा अधिनियम बनाए गए हैं। वर्तमान केन्द्र सरकार के प्रधानमन्त्री जी द्वारा इस प्रकार के बच्चों/व्यक्तियों के लिए 'दिव्यांग' शब्द का उपोग कर इन्हें समानता – बराबरी के साथ साथ 'सम्मान' दिए जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यह एक सभ्य-सुसंस्कृत समाज का प्रभावी लक्षण है।

7.6 निबंधात्मक प्रश्न

1. केवल शारीरिक अक्षमता वाले विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध रोजगार के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
2. केवल मानसिक अक्षमता वाले विद्यार्थियों हेतु रोजगार परिवेशों का वर्णन कीजिए।
3. दिव्यांगों के लिए समान अवसरों के प्रति शिक्षित एवं अशिक्षित व्यक्तियों की अभिवृत्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए।
4. दिव्यांगों के प्रति परम्परागत अभिवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए तथा इन अभिवृत्तियों में आए बदलावों से जुड़े कारकों को लिखिए।

इकाई 8 – व्यवसाय स्थानन की प्रक्रिया तथा आवश्यकता आधारित रोजगार परिस्थितियों का सृजन

Process of Job Placement & Creation of Need based Employment Settings

8.1 प्रस्तावना

8.2 उद्देश्य

8.3 रोजगार के प्रकारों की अनेक कारकों पर निर्भरता

8.4 शारीरिक रूप से आंशिक रूप से अक्षम परन्तु मानसिक रूप से सामान्य बच्चों के सन्दर्भ में व्यवसाय स्थानन की प्रक्रिया के विभिन्न पद

8.5 शारीरिक रूप से सक्षम परन्तु मानसिक रूप से किंचित निम्न स्तर के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कार्य

8.6 शारीरिक रूप से सक्षम परन्तु मानसिक रूप से किंचित निम्न स्तर के विद्यार्थियों के लिए कस्बों , शहरों तथा महानगरों में उपलब्ध कार्य

8.7 सारांश

8.8 निबंधात्मक प्रश्न

8.1 प्रस्तावना

प्रत्येक मानव को प्रसन्न होकर जीवन जीने का अधिकार है और एक प्रसन्न जीवन जीने हेतु उन्हें जीविकोपार्जन के कार्यों में संलग्न होना आवश्यक है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों /व्यक्तियों के संदर्भ में भी यह उतना ही महत्त्वपूर्ण है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों /व्यक्तियोंको मुख्यधारा से जोड़ने हेतु तथा उन्हें सार्थक सामुदायिक गतिविधियों में संलग्न करने हेतु ऐसे रोजगारों या व्यवसायों को चिन्हित करने की आवश्यकता है जहाँ उनको उनकी क्षमता के अनुसार कार्य करने का अवसर प्रदान किया जा सके ।पाँच दशाब्दियों से पूर्व की अवस्था में तथा पिछली दो तीन दशाब्दियों की तुलना में आज के परिदृश्य में रोजगार के अनेकानेक नए अवसर अब उपलब्ध हैं। अक्षम विद्यार्थियों, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों तथा भिन्न भिन्न प्रकार से सक्षम बच्चों के लिए अब रोजगार के अनेक नए प्रकार उपलब्ध हैं।इस इकाई में आप उन सभी रोजगार व व्यवसायों के विषय में अध्ययन करेंगे।

8.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

1. रोजगार के प्रकारों की अनेक कारकों पर निर्भरता के विषय में जान सकेंगे।
2. शारीरिक रूप से आंशिक रूप से अक्षम परन्तु मानसिक रूप से सामान्य बच्चों के सन्दर्भ में व्यवसाय स्थानन की प्रक्रिया के विभिन्न पदों से परिचित हो सकंगे।
3. शारीरिक रूप से सक्षम परन्तु मानसिक रूप से किंचित निम्न स्तर के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कार्यों को जान सकेंगे।
4. शारीरिक रूप से सक्षम परन्तु मानसिक रूप से किंचित निम्न स्तर के विद्यार्थियों के लिए कस्बों , शहरों तथा महानगरों में उपलब्ध कार्यों से परिचित हो सकेंगे।

8.3 रोजगार के प्रकारों की अनेक कारकों पर निर्भरता

मानव जीवन के सम्बन्ध में निम्नलिखित दो अवधारणाएँ सर्वमान्य तथा सर्वस्वीकृत हैं –

i. प्रत्येक मानव प्राणी जीना चाहता है
ii. प्रत्येक मानव प्राणी प्रसन्न रहना चाहता है

उपर्युक्त दो इच्छाओं की पूर्ति हेतु प्रत्येक मानव को जीविकोपार्जन के किसी एक या एक से अधिक के कार्यों में संलग्न होना पड़ता है। कृषि आधारित कार्यों तथा पशुपालन संबंधी ग्रामीण सभ्यता के विकास के प्रारम्भिक चरणों से लेकर वर्तमान तक की मानव संस्कृति की विकास की यात्रा में धनोपार्जन के लिए किए जाने वाले कार्यों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि अनवरत रूप से हो रही है। इसके साथ ही इन अनेकानेक कार्यों की प्रकृति भी विकसित, परिवर्तित तथा परिवर्धित होती जा रही है। एक स्थान विशेष में उपलब्ध रोजगार के विभिन्न प्रकार अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं। ये कारक निम्नलिखित हैं –

i. उस स्थान की जलवायु, वातावरण तथा वहाँ उपलब्ध प्राकृतिक, भौतिक तथा मानव संसाधन।
ii. ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उस स्थान के वासियों के परम्परागत व्यवसाय तथा अन्य कार्य।
iii. वैश्वीकरण, औद्योगीकरण तथा आधुनिकीकरण के वर्तमान परिदृश्य में उस स्थान का विकसित, विकासशील अथवा अविकसित क्षेत्र होना।

स्थान विशेष की जलवायु, वातावरण तथा वहाँ उपलब्ध प्राकृतिक, भौतिक तथा मानव संसाधनों के आधार पर स्थान विशेष निम्न में से एक प्रकार का हो सकता है –

- पर्वतीय क्षेत्र
- मैदानी क्षेत्र
- रेगिस्तानी क्षेत्र
- समुद्र तटीय क्षेत्र
- आदिवासियों के परम्परागत निवास का वनाच्छादित क्षेत्र

उपर्युक्त क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संपदा, भौतिक सुविधाओं तथा वहाँ के निवासियों के बुद्धि, कौशल, शिक्षण -प्रशिक्षण तथा परम्परागत अनुभवों का वहाँ पूर्व से उपलब्ध या विकसित किए जा सकने योग्य रोजागार के अवसरों से प्रत्यक्ष व सीधा सम्बन्ध होता है। निम्नलिखित उदाहरणों से यह वर्णन स्पष्ट होता है –

- हिमाच्छादित पर्वतीय उपत्यकाओं तथा ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की औषधीय वनस्पतियाँ प्रचुर मात्रा में होती हैं।
  पेड़ पौधों, नदी नालों, जंगलों तथा जमीन के अंदर पाए जाने वाले कन्द मूल, खनिज- पदार्थों के परम्परागत उपयोग में ऐसे क्षेत्र के निवासी पारंगत होते हैं। धनार्जन तथा जीविकोपार्जन के लिए यहाँ के निवासी इनका उपयोग सदियों से करते आए हैं। उनकी इस विरासत का सम्यक उपयोग रोजगार परिस्थितियों के सृजन हेतु किया जा सकता है।
  हिमालय से निकलने वाले हिम-नदों से बनी नदियों के किनारे विकसित ग्रामों में सदियों से कृषि कार्य तथा पशुपालन का कार्य होता आया है ।कालान्तर में इन्हीं मैदानी क्षेत्रों में नगरीय सभ्यताएं विकसित हुई हैं तथा रोजगार के अनेक तौर तरीके विकसित हुए हैं ।बड़े कल कारखाने, विशाल औद्योगिक क्षेत्र, अनेक उच्च स्तरीय वाणिज्यिक संस्थान अथा बृहद होटलों की श्रृंखलाएं यहीं विकिसत हुई हैं।
  आवागमन के लिए अंतर-राज्यीय राष्ट्रीय सड़क मार्गों, रेल की लाईनों के विशाल तंत्र तथा वायुमार्ग से यात्राओं के लिए अत्याधुनिक विमान- पत्तनों (एयर पोर्ट्स)का निर्माण भी यहीं हुआ है।
- प्राथमिक, माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु लाखों पाठशालाओं, हजारों विद्यालयों -महाविद्यालयों तथा सैकड़ों विश्वविद्यालयों द्वारा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, वोकेशनल प्रशिक्षण , व्यावसायिक पाठ्यक्रम, कृषि , चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पशुचिकित्सा ,

शिक्षक शिक्षा आदि पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षण- प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु संस्थाएं विकसित की गई हैं।

- सूचना तकनीकी के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति ने 'ज्ञान युग' को जन्म दिया है। कम्प्यूटर तथा तत्संबंधी अनेक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर कहे जाने वाले उपकरणों के व्यापक उपयोग ने संचार क्रांति उत्पन्न कर रोजगार के अनेक तरीके विकसित करने में सफलता प्राप्त की है।

शारीरिक क्षमता का उपयोग कर श्रम साध्य कार्यों को मानव शक्ति से करने के स्थान पर तकनीकी तथा कम्प्यूटर आधारित उपकरणों को सफलता पूर्वक किए जाने में आशातीत सफलता मिली है।

पाँच दशाब्दियों से पूर्व की अवस्था में तथा पिछली दो तीन दशाब्दियों की तुलना में आज के परिदृश्य में रोजगार के अनेकानेक नए अवसर अब उपलब्ध हैं। अक्षम विद्यार्थियों , विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों तथा भिन्न भिन्न प्रकार से सक्षम बच्चों के लिए अब रोजगार के अनेक नए प्रकार उपलब्ध हैं। इस प्रकार के बच्चों तथा विद्यार्थियों के निम्नलिखित दो वर्गों के सन्दर्भ में व्यवसाय स्थानान की प्रक्रिया का वर्णन निम्नवत है-

8.4 शारीरिक रुप से आंशिक रुप से अक्षम परन्तु मानसिक रुप से सामान्य बच्चों के सन्दर्भ में व्यवसाय स्थानन की प्रक्रिया के विभिन्न पद

शारीरिक रूप से कतिपय कारणों से आंशिक रूप से अक्षम परन्तु मानसिक रूप से सामान्य – औसत से उच्च बच्चे (Above normal-average in mental ability children)।इस वर्ग के बच्चों के लिए सूचना एवं संचार तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इस प्रकार की व्यवसाय स्थानान प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न पद इस प्रकार हैं –

i. बच्चे या विद्यार्थी की शारीरिक अक्षमता की स्पष्ट जानकारी प्राप्त करना।
ii. उस विद्यार्थी के निवास स्थान के यथासंभव निकट सूचना एवं संचार तकनीकी से सम्बंधित रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को सूची बद्ध करना।
iii. विद्यार्थी की शारीरिक अक्षमता से बाधित न होने वाले रोजगार के अवसरों को चिन्हित करना।
iv. चिन्हित रोजगारों में संलग्न होने के लिए कंप्यूटर आधारित योग्यताओं को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को प्रशिक्षित करना।

v. उपयुक्त ढंग से प्रशिक्षित विद्यार्थ को सम्बंधित रोजगार में नियुक्ति प्रदान करने के लिए समसामयिक परिवेश में उपलब्ध सेवायोजन से जुड़ी सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संगठनों या वैयक्तिक संस्थानों से संपर्क करना।

निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़कर आप उपर्युक्त वर्णन को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे –

- सामान्य या औसत से अधिक मानसिक योग्यता युक्त बालक- बालिकाओं में यदि निम्नलिखित शारीरिक अक्षमताएं हैं, तो उसे कंप्यूटर संबंधी अनेक कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है-
    i. जन्मजात कारणों या गंभीर बिमारीके कारण चलने हेतु पांवों का उपयोग करने में असमर्थ विद्यार्थी
    ii. सामान्य रूप से दाहिने हाथ से काम करने वाले विद्यार्थी का दुर्घटना वश बाएं हाथ से रहित हो जाने की स्थिति
    iii. गंभीर बिमारी के कारण बोलने की क्षमता से वंचित विद्यार्थी

उपर्युक्त (i), (ii), (iii) में उल्लिखित बच्चों की अक्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्हें कंप्यूटर आधारित सामान्य कार्यों या यथास्थिति उच्च स्तरीय विशिष्ट कार्यों हेतु शिक्षित तथा प्रशिक्षित किया जा सकता है।

जन्मजात कारणों या गंभीर बिमारीके कारण चलने हेतु पांवों के उपयोग करने में असमर्थ बच्चों को कंप्यूटर विज्ञान में बी०टैक० तथा एम०टैक० या बी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० उपाधियों हेतु शिक्षित- प्रशिक्षत किया जा सकता है। इन उपाधियों से युक्त विद्यार्थियों के लिए रोजगार / स्वरोजगार की अनेक सम्भावानाएं हैं।

सामान्य रूप से दाहिने हाथ से काम करने वाले बच्चों का दुर्घटना वश बाएं हाथ से रहित हो जाने की स्थिति तथा गंभीर बिमारी के कारण बोलने की क्षमता से वंचित बच्चों का कम्प्यूटर के डिप्लोमा या प्रमाण पत्र आधारित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित कर उन्हें 'साईबर कैफे' में रोजगार / स्वरोजगार हेतु योग्यता प्रदान की जा सकती है। ऐसे विद्यार्थी कुछ कठिनाई से ही सही लेकिन धीमी गति से कंप्यूटर टाईपिंग, प्रिंटिंग फोटोकॉपी संबंधी काम, फैक्स मशीन ऑपरेटर , ट्रेवल एजेंसी में ऑन लाइन बुकिंग आदि कार्य कर सकते हैं।

जन्मजात कारणों या गंभीर बिमारीके कारण चलने हेतु पांवों के उपयोग करने में असमर्थ विद्यार्थी तथा सामान्य रूप से दाहिने हाथ से काम करने वाले विद्यार्थी का दुर्घटना वश बाएं हाथ से रहित हो जाने की स्थिति वाले विद्यार्थी रोजगार संबंधी अनेक और कार्य भी कर

सकते हैं। उन्हें शिक्षण , प्रशासन , सामाजिक कार्यों तथा स्वरोजगार हेतु भी शिक्षित प्रशिक्षित किया जा सकता है।

8.5 शारीरिक रुप से सक्षम परन्तु मानसिक रुप से किंचित निम्न स्तर के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कार्य

शारीरिक रूप से सक्षम परन्तु मानसिक रूप से किंचित निम्न स्तर के विद्यार्थी स्वरोजगार हेतु या तत्संबंधित रोजगार प्रदान करने वाली संस्थाओं , उपक्रमों तथा संगठनों में उनके लायक कार्यों को करने के लिए प्रशिक्षित किए जा सकते हैं। इस प्रकार के कार्य निम्नलिखित हो सकते हैं-

1. ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कार्य

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों तथा पशुपालन से सम्बंधित कार्य ही जीवनयापन के प्रमुख साधन होते हैं। इन कार्यों में परिवार के सभी सदस्य मिलजुलकर संलग्न रहते हैं। बच्चे, युवा, प्रौढ़ तथा बुजुर्ग अपनी- अपनी क्षमताओं के आधार पर भिन्न- भिन्न कार्यों को करते हैं। परिवार की बालिकाओं तथा महिलाओं की भी स्पष्ट भूमिका इन कार्यों को पूरा करने में होती है। कृषि से सम्बंधित कार्य निम्न प्रकार से होते हैं –

- भूमि को कृषि कार्य के योग्य बनाना।
- विभिन्न प्रकार के अनाजों , सब्जियों तथा फलों को उगाने या उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त ढंग से खेतों को बनाना।
- विभिन्न प्रकार के सजावटी फूलों, लताओं तथा बेलों की बागवानी हेतु खेत तैयार करना।
- अनाज की बुवाई से लेकर विभिन्न अवसरों पर खेतों की गुढ़ाई, खाद - सिंचाई की व्यवस्था से लेकर फसल के पकने- तैयार हो जाने तक खेतों की जंगली जानवरों , पशुओं , चिड़ियाओं , चूहों तथा फसल को नुकसान पहुँचाने वाले अन्य जीव – जंतुओं , कीटों- कीड़ों से रक्षा करना।
- अनाज की कटाई –बिनाई, भंडारण , विक्रय संबंधी विभिन्न कार्य

उपर्युक्त में से कई कार्य शारीरिक रूप से सक्षम परन्तु मानसिक रूप से किंचित निम्न स्तर से बच्चों , युवाओं, प्रौढों तथा बुजुर्गों द्वारा किए जा सकतें हैं। इन कार्यों में संलग्न होने से इन्हें सार्थक काम प्राप्त होगा तथा परिवार के जीविकोपार्जन में उनका सहयोग परिवार को मिलेगा।

पशुपालन से सम्बंधित कार्य

- दूध , दही, घी, मट्ठा, गोबर, मांस , अंडे आदि प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के पशुओं आदि को पालना तथा उनकी देखभाल करना।
- विभिन्न प्रकार के पशुओं आदि के लिए उपयुक्त खाद्य सामग्री की व्यवस्था करना।
- पशुओं की देखभाल तथा सुरक्षा की व्यवस्था करना।
- पशुओं की साफ़ सफाई , चिकित्सा तथा उनकी वंश वृद्धि के लिए यथोचित व्यवस्था करना।
- पशुओं से प्राप्त होने वाले विभिन्न पदार्थों से विक्रय योग्य खाद्य सामग्री बनाना तथा बेचने से सम्बंधित विभिन्न कार्यों को करना।

कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होने वाली विभिन्न प्राकृतिक पदार्थों को उपयोगी चीजों में परिवर्तित करना

- गोबर तथा अन्यान्य वनस्पतियों से जैविक खाद तैयार करना
- विभिन्न प्रकार के रेशों से रस्सियाँ बनाना
- बाँस तथा इससे मिलते जुलते प्राकृतिक पदार्थों से टोकरियाँ , घर में काम आने वाली विभिन्न चीजों जैसे चारपाई , कुर्सियां , लकड़ी की सीढ़ी, अनाज राखाने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ, खेत खलिहान में काम आने वाले सामान्य उपकरणों आदि को बनाना।
- पशुओं से प्राप्त दूध से दही, घी , मक्खन , मिठाई आदि बनाना।
- बकरियों , मुर्गियों, बत्तखों , मछलियोंआदि का धनार्जन के लिए उपयोग करना।
- वृक्षों से प्राप्त लकड़ी का अनेक प्रकार से उपयोग करने के लिए ‘बढ़ई ’ द्वारा किए जाने वाले कार्यों को करना।
- फलदार वृक्षों से प्राप्त फलों का प्रत्यक्ष उपयोग तथा उनसे विभिन्न प्रकार की चीजों जैसे पेय पदार्थ , मुरब्बा , अचार , जैम आदि बनाना।
- जमीन के ऊपर उगने वाले सब्जियों तथा जमीन के अंदर से प्राप्त होने वाले कंद-मूलों से धनार्जन करना।

गांवों के सामुदायिक कार्यों में संलग्न होना

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों , आंगनबाड़ी केन्द्रों, सामुदायिक कार्य करने वाली ग्राम सभाओं , ग्राम पंचायतों , प्राथमिक चिकित्सा कन्द्रों , सचल डाकखानों आदि में स्थित भवनों तथा जगहों की साफ़ सफाई तथा सुरक्षा देखभाल में संलग्न होकर भी शारीरिक रूप से सक्षम परन्तु मानसिक रूप से किंचित निम्न स्तर के व्यक्ति अपने जीवन यापन हेतु कुछ धन/ सामग्री अर्जित कर सकते हैं।

8.6 शारीरिक रुप से सक्षम परन्तु मानसिक रुप से किंचित निम्न स्तर के विद्यार्थियों के लिए कस्बों, शहरों तथा महानगरों में उपलब्ध कार्य

ग्रामीण क्षेत्रों से कस्बों , शहरों तथा महानगरों की ओर हो रहे पलायन से इन स्थानों में अनेकानेक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। इन समस्याओं के होते हुए भी इन जगहों में छोटे मोटे कार्यों में संलग्न होकर जीविकोपार्जन के अनेक अवसर शारीरिक रूप से सक्षम परन्तु मानसिक रूप से किंचित निम्न स्तर के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध रहते हैं। ये अनेक अवसर निम्नलिखित के रूप में विद्यमान रहते हैं –

- घरेलु कार्य
- ढाबों तथा छोटे –छोटे होटल के कार्य
- सार्वजनिक उपक्रमों में सफाई आदि के कार्य
- निजी उपक्रमों यथा दुकानों, मोटर मैकेनिक संबंधी वर्कशॉपों , धोबीखानों , सब्जी अनाज की मंडियों , मोटर टैक्सी स्टेंडों , सिनेमाघरों , टेंट हाउसों , बरात घरों , बेकरी में, मिठाई नमकीन बिस्कुट बनाने के छोटे कारखानों में आदि में सफाई कार्य तथा सहायक के रुप में कार्य।
- छापेखानों, समाचार पत्र वितरण, इस्त्री करने, ईंट , बजरी, रोड़ी , सीमेंट को छोटे छोटे ट्रकों में चढ़ाना तथा उतारना, सड़क निर्माण, भवन निर्माण में सहायक के रूप में कार्य।
- कुली , मजदूर, रेहड़ी चलाने वालों के रूप में कार्य
- शिक्षण संस्थाओं , अस्पतालों , होटलों तथा अन्य व्यावसायिक संस्थानों में सहायक, सफाई तथा सुरक्षा संबंधी कार्य।

मानसिक रूप से सामान्य परन्तु शारीरिक रूप सेकिंचित अक्षम व्यक्तियों के लिए निम्न प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध रहते हैं –बैठकर किए जासकने वाले अनेक कार्य इस प्रकार के व्यक्ति कर सकते हैं। इन कार्यों की संख्या में कंप्यूटर के उपयोग के कारण अत्यधिक वृद्धि हुई है।संचार तथा तकनीकी के युग में रोजगार के अनेक नए अवसर विकसित हुए हैं। इनमें निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं –

- साइबर कैफे में किए जा सकने वाले समस्त कार्य-कंप्यूटर टाइपिंग , प्रिंटिंग, फैक्स मशीन ऑपरेटर जिरोक्स , ऑन लाइन टिकट बुकिंग सहित ट्रैवल एजेंसी संबंधी कार्य □दि।
- उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर वेब डिजाइनिंग ,सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जुड़े कार्य , नेटवर्किंग , सिस्टम मैनिजिंग, डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी कार्य।
- विभिन्न प्रकार के जीवनोपयोगी वस्तुओं के क्रय विक्रय में संलग्न उपक्रमों में बिल बनाने , भुगतान प्राप्त कर रसीद बनाने, ऑन लाइन भुगतान प्राप्त / प्रदान करने संबंधी कार्य।
- सरकारी कार्यालयों , सार्वजनिक उपक्रमों , निजी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं, होटलों, टिकट बुकिंग घरों तथा अन्य प्रकार के कार्यालयों में 'बैठकर' किए जा सकने वाले लिखने –पढ़ने , बिल बनाने, पत्र प्राप्त करने , पत्र प्रदान करने , टेलीफोन सुनने / वांछित सूचना देने वाले □दि कार्य
- प्राथमिक विद्यालयों, □गनबाड़ी कन्द्रों, सामाजिक कार्य करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं, सरकारी तथा निजी अस्पतालों , बैंकों तथा वित्तीय उपक्रमों यथा जीवन-बीमा , अन्य प्रकार की बीमा करने वाली संस्थाओं में भी ऐसे व्यक्तिओं के लिए रोजगार उपलब्ध रहते हैं।
- कोर्ट कचहरियों में, ड्राफ्टमैन द्वारा किए जाने वाले कार्य (भवन का नक्शा बनाना), अनाज तथा सब्जी मंडियों में , □ड़तियों की दुकानों में , छोटे बड़े कारखानों , फैक्टरियों □दि में भी लिखने पढ़ने तथा लेखा जोखा रखने के कार्य भी ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं।

8.7 सारांश

प्रत्येक मानव को प्रसन्न होकर जीवन जीने का अधिकार है और एक प्रसन्न जीवन जीने हेतु उन्हें जीविकोपार्जन के कार्यों में संलग्न होना आवश्यक है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों /व्यक्तियों के संदर्भ में भी यह उतना ही महत्त्वपूर्ण है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों /व्यक्तियोंको मुख्यधारा से जोड़ने हेतु तथा उन्हें सार्थक सामुदायिक गतिविधियों में संलग्न करने हेतु ऐसे रोजगारों या व्यवसायों को चिन्हित करने की आवश्यकता है जहाँ उनको उनकी क्षमता के अनुसार कार्य करने का अवसर प्रदान किया जा सके ।पाँच दशाब्दियों से पूर्व की अवस्था में तथा पिछली दो तीन दशाब्दियों की तुलना में आज के परिदृश्य में रोजगार के अनेकानेक नए अवसर अब उपलब्ध हैं। अक्षम विद्यार्थियों , विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों तथा भिन्न भिन्न प्रकार से सक्षम बच्चों के लिए अब रोजगार के अनेक नए प्रकार उपलब्ध हैं।

एक स्थान विशेष में उपलब्ध रोजगार के विभिन्न प्रकार अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं। ये कारक निम्नलिखित हैं –

i. उस स्थान की जलवायु, वातावरण तथा वहाँ उपलब्ध प्राकृतिक, भौतिक तथा मानव संसाधन।
ii. ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उस स्थान के वासियों के परम्परागत व्यवसाय तथा अन्य कार्य।
iii. वैश्वीकरण, औद्योगीकरण तथा आधुनिकीकरण के वर्तमान परिदृश्य में उस स्थान का विकसित, विकासशील या अविकसित क्षेत्र होना।

शारीरिक रूप से कतिपय कारणों से आंशिक रूप से अक्षम परन्तु मानसिक रूप से सामान्य – औसत से उच्च बच्चे वर्ग के बच्चों के लिए सूचना एवं संचार तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों तथा पशुपालन से सम्बंधित कार्य ही जीवनयापन के प्रमुख साधन होते हैं। इन कार्यों में परिवार के सभी सदस्य मिलजुलकर संलग्न रहते हैं। बच्चे, युवा, प्रौढ़ तथा बुजुर्ग अपनी- अपनी क्षमताओं के आधार पर भिन्न – भिन्न कार्यों को करते हैं। पारिवार की बालिकाओं तथा महिलाओं की भी स्पष्ट भूमिका इन कार्यों को पूरा करने में होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों , आंगनबाड़ी केन्द्रों, सामुदायिक कार्य करने वाली ग्राम सभाओं , ग्राम पंचायतों, प्राथमिक चिकित्सा कन्द्रों , सचल डाकखानों आदि में स्थित भवनों तथा जगहों की साफ़ सफाई तथा सुरक्षा देखभाल में संलग्न होकर भी शारीरिक रूप से सक्षम परन्तु मानसिक रूप से किंचित निम्न स्तर के व्यक्ति अपने जीवन यापन हेतु कुछ धन/ सामग्री अर्जित कर सकते हैं।

मानसिक रूप से सामान्य परन्तु शारीरिक रूप सए किंचित अक्षम व्यक्तियों के लिए निम्न प्रकाआर के रोजगार के अवसर उपलब्ध रहते हैं –बैठकर किए जा सकने वाले अनेक कार्य इस प्रकार के व्यक्ति कर सकते हैं। इन कार्यों की संख्या में कंप्यूटर के उपयोग के कारण अत्यधिक वृद्धि हुई है।संचार तथाअ तकनीकी के युग में रोजगार के अनेक नए अवसर विकसित हुए हैं।

8.8 निबंधात्मक पश्न

1. रोजगार के प्रकारों की अनेक कारकों पर निर्भरता पर एक टिप्पणी लिखिए।
2. शारीरिक रूप से आंशिक रूप से अक्षम परन्तु मानसिक रूप से सामान्य बच्चों के सन्दर्भ में व्यवसाय स्थानन की प्रक्रिया के विभिन्न पदों की व्याख्या कीजिए।
3. शारीरिक रूप से सक्षम परन्तु मानसिक रूप से किंचित निम्न स्तर के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कार्यों का वर्णन कीजिए।
4. शारीरिक रूप से सक्षम परन्तु मानसिक रूप से किंचित निम्न स्तर के विद्यार्थियों के लिए कस्बों , शहरों तथा महानगरों में उपलब्ध कार्यों का वर्णन कीजिए।

इकाई 9- अनुकूलन , समाविष्टिकरण, सुरक्षा कौशल तथा प्राथमिक सहायता , आत्म समर्थन तथा आत्म निर्णय कौशल प्रशिक्षण

9.1 प्रस्तावना
9.2 उद्देश्य
9.3 अनुकूलन तथा समाविष्टिकरण
9.4 सुरक्षा कौशल तथा प्राथमिक सहायता
9.5 आत्म समर्थन तथा आत्म निर्णय कौशल प्रशिक्षण
9.5.1 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों / व्यक्तियों के लिए आत्म निर्णय क्यों महत्वपूर्ण ह
9.5.2 आत्म निर्णय को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका
9.6 सारांश
9.7 निबंधात्मक प्रश्न

9.1 प्रस्तावना

जब भी हम विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से संदर्भ में बात करते हैं तो तो हमें चाहिए कि हम और अधिक सजगता,सतर्कता और सावधानी से काम लें। इस इकाई में हम उन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो कि महत्त्वपूर्ण तो हैं ही लेकिन विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से संदर्भ में ये सभी बिंदु और भी महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार सीखने के ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं कि वे शिक्षण-अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और उनको अपनी अक्षमता से लड़ने में सहायता मिल सके। साथ ही साथ हम इस इकाई में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों हेतु प्राथमिक सहायता के विषय में अध्ययन करेंगे और ये जानेगें की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किस प्रकार की विशेष प्राथमिक सहायता / चिकित्सा क्यों आवश्यक ह,तांकि जो लोग ऐसे बच्चों की देखभाल कर रहे हैं वे उनकी सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित कर लें। इस इकाई में आप आत्म समर्थन तथा आत्म निर्णय जसे संप्रत्ययों से परिचत होंगे तथा तथा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को आत्म समर्थन तथा आत्म निर्णय लेने योग्य बनाना क्यों आवश्यक ह यह समझ सकेंगे। आईए अब हम इन सभी बिंदुओं का अध्ययन करते हैं -

9.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

1. अनुकूलन तथा समाविष्टिकरण का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे।
2. अनुकूलन तथा समाविष्टिकरण का विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों / व्यक्तियों के लिए महत्त्व को समझ सकेंगे।
3. यह जान सकेंगे कि सुरक्षा कौशल तथा प्राथमिक सहायता क्या है।
4. विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों / व्यक्तियों के लिए सुरक्षा कौशल तथा प्राथमिक सहायता के महत्व से परिचित हो सकेंगे।
5. आत्म समर्थन तथा आत्म निर्णय का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे।
6. यह जान सकेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों / व्यक्तियों के लिए आत्म निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है।
7. आत्म निर्णय को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका के विषय में जान सकेंगे।

9.3 अनुकूलन तथा समाविष्टीकरण (Adaptation and Accommodation)

अनुकूलन क्या है ?

अनुकूलन का अर्थ है – आँकलन की प्रक्रिया, सामग्री, पाठ्यक्रम या कक्षा के परिवेश को एक छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजित करना , ताकि वह शिक्षण-अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त कर सके तथा इस प्रक्रिया में भागीदारी कर सके ।

उदाहरण के लिए :

- ऑडियो टेप, इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथों का उपयोग करना (जहाँ उपलब्ध हो सके या जहाँ संभव हो), कक्षा की गतिविधियों में दोस्तों व सहपाठियों को सहायता करने के लिए कहना, ऐसे बच्चे जो कि बहुत देर ध्यानपूर्वक कक्षा में बैठने में असमर्थ हों या फिर जो आसानी से विचलित हो जाते हों , या कक्षा में दूसरों को विचलित कर सकते हों उनके बैठने की व्यवस्था को फिर से संगठित करना, ऐसे बच्चे जिन्हें लिखित रूप में अपने ज्ञान या समझे हुए पाठ को प्रस्तुत करने में कठिनाई महसूस होती हो उनको मौखिक प्रस्तुतियों, ड्राइंग या अन्य कलात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करना।

- सत्रीय कार्य या परीक्षण आदि पूरा करने के लिए अधिक समय देना ;
- भिन्न भिन्न आवश्यकताओं वाले छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सीखने के लिए विभिन्न अवसर व अनुभव प्रदान करना , विभिन्न अधिगम अनुभवों हेतु विभिन्न सामग्रियों को उपलब्ध करना जैसे- पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से, खुद करके सीखने के अनुभव के माध्यम से, किसी वस्तु या प्रकिया कर उसका अवलोकन रिकॉर्ड तैयार करना , समूह के माध्यम से सीखना या पूरी कक्षा द्वारा चर्चा करना आदि ।

समाविष्टीकरण क्या है ?

समाविष्टीकरण ऐसे बदलाव / परिवर्तन हैं जो बाधाओं को दूर करते हैं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सीखने के समान अवसर प्रदान करते हैं। समाविष्टीकरण ***'क्या सीखना है'*** को नहीं अपितु **'कैसे सीखना है'** को बदलता है । विशिष्ट बच्चे को वही पाठ्य सामग्री पढ़नी है जो कि कक्षा के अन्य बच्चों को पढ़नी है परन्तु उस सामग्री को पढ़ने व प्रस्तुत करने हेतु जो बदलाव किए जाएंगे वह उस बच्चे की अक्षमता को ध्यान में रखते हुए उसकी सहायता हेतु किए जाएंगे ।

समाविष्टीकरण एक ऐसा परिवर्तन है जो कि एक छात्र की अपनी अक्षमता से लड़ने में उसकी सहायता करता है । एक छात्र जिसको कि लिखित में अपने उत्तर देने में कठिनाई होती है , उसको अपने उत्तर मौखिक रूप से देने की अनुमति देना समाविष्टीकरण का उदाहरण है। इस छात्र को अभी भी उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अन्य विद्यार्थियों के बराबर ही मेहनत व ज्ञान की आवश्यकता है लेकिन बस उसे अपने उत्तरों को लिखने के बजाय मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का विकल्प दिया जाएगा । समाविष्टीकरण बच्चे के जानने या सीखने की अपेक्षाओं को कम नहीं करना बल्कि समाविष्टीकरण उसकी चुनौतियों के अनुरूप उसको काम करने में मदद करता है ।

विभिन्न आवश्यकताओं के लिए समाविष्टीकरण की चार श्रेणियां निम्नवत हैं -

- **प्रस्तुतीकरण (Presentation):** जानकारी को प्रस्तुत करने में किया गया परिवर्तन । उदाहरण: डिस्लेक्सिया वाले बच्चे को मुद्रित पाठ पढ़ने के बजाय ऑडियॊबूक को सुनना।
- **प्रतिक्रिया (Response)**: बच्चे द्वारा सत्रीय कार्य या परीक्षण पूरा किए जाने में बदलाव। उदाहरण: एक ऐसा बच्चा जो लिखावट (handwriting) में संघर्ष करता है ऐसे बच्चे को निबंध लिखने के लिए एक कुंजीपटल (keyboard) प्रदान करना।

- **सेटिंग (Setting)**: बच्चे के सीखने के पर्यावरण में बदलाव करना । उदाहरण: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) ध्यान आभाव सक्रियता विकार वाले एक बच्चे को कम व्यवधान वाली एक अलग कमरे में एक परीक्षा लेने की अनुमति देना।
- **समय और निर्धारण (Timing and Scheduling)**: किसी बच्चे के कार्य करने के लिए समय में परिवर्तन। उदाहरण: एक ऐसा बच्चा जिसकी प्रोसेसिंग गति धीमी है उसको होमवर्क पर अतिरिक्त समय प्रदान करना ।

9.4 सुरक्षा कौशल तथा प्राथमिक सहायता

सुरक्षा कौशल (Safety Skills) और विशेष □वश्यकताओं वाले बच्चे / व्यक्ति

विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे जैसा की नाम से की पता चलता है कि ये अपने तरीके से विशेष होते हैं। एक विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे के माता-पिता को दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके बच्चे को सर्वोत्तम संभव जीवन शैली मिले। ऐसे बच्चों के माता पिता के तनाव का स्तर की मात्रा दोगुना होता है। पुराने समय में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को एक अभिशाप माना जाता था और तब बच्चे की मां को ही पूरी स्थिति का सामना करना पड़ता था परन्तु बदलते समय के साथ इन बच्चों के प्रति समाज में सजगता आई है , चिकित्सा के क्षेत्र में हुए अनुसंधानों और आविष्कारों ने विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों तथा उनके माता पिता का जीवन काफी आसान बना है। परन्तु इस सब के बावजूद विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के माता-पिता अपने बच्चे की सुरक्षा को प्रति अति सुरक्षात्मक और सतर्क रहते हैं। हालांकि, माता पिता के लिए हर वक्त अपने बच्चे के आसपास होना संभव नहीं है, इसलिए विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए बुनियादी सुरक्षा कौशल सीखना अति आवश्यक है। विशेष आवश्यकता वाले कई बच्चों को ये सुरक्षा कौशल स्वत: नहीं आते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि माता-पिता उन्हें इन कौशलों को सिखाएं , इससे वे अपने सुरक्षा के प्रति सजग भी रहेंगे तथा उन्हें आजादी की भावना और आत्म-सम्मान का निर्माण करने में मदद मिलेगी।

विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को सिखाने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है सुरक्षा कौशल सीखना। सुरक्षा कौशल महत्वपूर्ण है क्योंकि-

- यह शोषण के अवसरों को कम करता है
- यह चोट की संभावना को कम कर देता है

- यह मामूली क्षति को एक समस्या समस्या बनने की संभावना को कम कर देता है
- यह बच्चे / किशोरों को अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होने के अवसर देता है
- यह बच्चों और किशोरों को सशक्त बनाता है
- यह माता-पिता अभिभावकों और शिक्षकों के मानसिक दबाव को कम कर देता है

विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सुरक्षा कौशल कई कारणों से महत्त्वपूर्ण है। परन्तु हम यहाँ कुछ मुख्य बिंदुओं का अध्ययन करेंगे -

i. **यौन सुरक्षा-** यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे / व्यक्ति उस समूह शोषण के आसान शिकार होते हैं। हमें सबसे पहले बच्चे या किशोर के संज्ञानात्मक स्तर को जानना आवश्यक है कि बच्चे की समझ कितनी विकसित है। बच्चे को परिचित व अपरिचित व्यक्तियों के बारे में समझाएं, उन्हें अपरिचित लोगों से सावधान रहना सिखाएं। बच्चों या किशोरों को यह समझने में मदद करें कि यदि कोई उन्हें गलत तरीके से छू रहा है जिससे कि उन्हें असुविधाजनक महसूस होता है या किसी व्यक्ति के बर्ताव से उन्हें परेशानी होती है तो उन्हें ऐसी स्थति में किसी परचित व्यक्ति से सहायता मांगनी चाहिए या जोर जोर से शोर मचाना चाहिए जिससे कि आसपास के लोगों को संकेत मिल सके। बच्चों को कहानियों , रिमाइंडर कार्ड तथा वीडियो मॉडलिंग आदि उपकरणों के उपयोग से यह सब सिखाया जाना चाहिए है। इस सबंध में माता पिता की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, वे प्रयोगात्मक ढंग से अभिनय या भूमिका निर्वहन द्वारा बच्चों को इन परिस्थितयों के प्रति सजग कर सकते हैं या उनको जागरूक कर सकतें हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को यौन शोषण के प्रति जाररुक करें , यह मान लेना कि आपके बच्चे या किशोरों को इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि परिवार और सेवा प्रदाता हर समय उनके साथ हैं यह एक गलत अवधारणा है।

ii. **सामान्य सुरक्षा कौशल**
   - यातायात एवं पैदल यात्रा से समय सामान्य सुरक्षा नियमों का पालन।
   - विषम परिस्थितियों में आपातकालीन सेवाअ नंबरों का प्रयोग एवं अपने स्थिति का विवरण देना।
   - अपनी विषम परिस्थिति को फोन पर सरलतम ढंग से व्यक्त कर पाना।

- किसी लिखित माध्यम से हर वक्त बच्चे के पास अपना पता, अभिभावक का फोन नम्बर रखना सुनिश्चित करना अथवा किसी शुभचिन्तक का पता व फोन नम्बर होना।
- गहर के प्रवेश द्वार को खोलते समय सामान्य सुरक्षा का ख्याल रखना , अचानक किसी अपरिचित के लिए प्रवेश द्वारा न खोलने की आदत डालना।
- एकांत एवं अंधेरी अपरिचित जगह अपरिचित व्यक्ति से दूर रहना।
- पालतू एवं आवारा जानवरों के सीधे संपर्क से दूर रहना एवं संवेदना के साथ व्यवहार करते हुए सामान्य सुरक्षा नियमों का ध्यआं रखना। उदाहरण के लिए किसी भी जानवर को सीधे छूने , पुचकारने अथवा क्षति पहुँचाने से बचाना से बचना।
- गर्म चीजों , बिजली के उपकरणों, आग एवं नदी, तालाबों नहरों से उचित दूरी बनाएँ रखना एवं उनके उपयोग की सामान्य जानकारी रखना।

मौखिक, लिखित एवं वीडियो/ फिल्मों इत्यादि के माध्यम से अभिभावक एवं शिक्षक विशिष्ट बच्चों को उऊपर लिखे सुराक्षा कौशलों का ज्ञान करा सकते हैं।

iii. **प्राथमिक सहायता सुरक्षा** – चोट लगने , जलने अथवा कटने की सामान्य स्थिति में विशिष्ट बच्चों को सरलतम तरीके से स्वयं के बचाव की शिक्षा दी जा सकती है। अभिभावक एवं सहिक्षक बार बार ऐसी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगात्मक अभ्यास, वीडियो/ फिल्मों अथवा मौखिक लिखित ढंग से विशिष्ट बच्चों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। जैसे–

- कटने पर पट्टी अथवा बैंड एड का प्रयोग करना।
- जलने पआर पानी अथवा बर्फ का प्रयोग करना।
- अपनी विषम परिस्थिति को सरल धनग से फोन पर अथवा किसी परिचित शुभचिंतक तक पहुँचाना।

यह कहना महत्त्वपूर्ण है कि विशिष्ट बच्चों को विषम परिस्थितियों से सरल ढंग से निपटानए की शिक्षा देना किंचित कठिन कार्य है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों का पूर्वाभ्यास भी कठिन कार्य है। इस सब के बावजूद विशिष्ट बच्चों को विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से समर्थ बनाना अति आवश्यक है। इसके लिए अभिभावक को लगन, धर्य एवं निरंतर अभ्यास कराते रहने की आवश्यकता है। साथ ही

यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि बच्चे के सीखने के प्रति एवं सीख कर प्रयोग करने के प्रति कितनी जागरूकता , रूचि एवं सामर्थ्य है। इस सब कौशल शिक्षा के प्रति बच्चे के मानसिक स्तर को भी ध्यान में रखना अति आवश्यक है।

प्राथमिक सहायता (First Aid) और विशेष □वश्यकताओं वाले बच्चे / व्यक्ति

दुर्घटनाएं कहीं भी कभी भी हो सकती हैं और विशेषकर की जब बच्चे शामिल होते हैं। बच्चे अपने द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों से अवगत नहीं होते हैं और इसलिए वयस्कों की तुलना में उनके घायल होने की संभावना अधिक होती है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष रूप से आकस्मिक चोट की संभावना होती है क्योंकि उनका अपने शरीर पर सामान्य विकासशील बच्चों की तुलना में कम नियंत्रण होता है। ऐसे विशिष्ट बच्चों को चोट या बीमारी से सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व उनके माता पिता , देखभाल करने वाले- शिक्षक, कोच और अन्य वयस्कों का होता है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ की विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे अपने स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ होते हैं , उनके समर्थकों का कार्य भार एवं महत्त्व और बढ़ जाता है।

विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे कई प्रकार के होतें हैं , कुछ बच्चों को बहुत अधिक सहायता की आवश्यकता होती है, और कुछ बच्चों को बहुत कम सहायता की आवश्यकता होती है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे जैसे कि - ऑटिस्म, डाउस सिंड्रोम, और एडीएचडी (ADHD) वाले बच्चों को आपातकालीन चिकित्सा स्थिति में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन बच्चों के लिए रोजमर्रा के जीवन में सम्प्रेषण, खुद पर नियंत्रण रखना तथा बुनियादी देखभाल भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और थोड़ी सी भी परिस्थितियों खराब होने पर इनके शारीरिक स्वास्थ्य बहुत आसानी से बिगड़ सकता है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्राथमिक सहायता / चिकित्सा आवश्यक है, ताकि जो लोग ऐसे बच्चों की देखभाल कर रहे हैं वे उनकी सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित कर लें। किसी भी आपातकालीन स्थिति में, एक वयस्क देखभाल प्रदाता को स्थिति का तुरंत आकलन करने , एक बच्चे की विशेष जरूरतों को निर्धारित करने , उचित सहायता और चिकित्सीय देखभाल देने के लिए सक्षम होना चाहिए। यदि कोई विशिष्ट बच्चा गंभीर रूप सए घायल है और वह संवाद की स्थति में नहीं है या वह बच्चा बोलने में सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति में यह अति आवश्यक है कि बच्चे को अधिक हानि से बचाने व उसके जल्दी ठीक करने के लिए अन्य सशक्त व्यवस्था का होना जरूरी है।

किसी आपात स्थिति में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की देखभाल करने वालों या आसपास खड़े व्यक्तियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है शान्ति बनाए रखना। विशिष्ट बच्चों को प्राथमिक सहायता प्रदान करते समय तीन प्रमुख उद्देश्य हैं ध्यान में रखना चाहिए -

i. घायल बच्चे या व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित करने के लिए रक्तस्राव को तुरंत रोका जाए
ii. यदि कोई बच्चा या व्यक्ति गिर जाता या बेहोश हो जाता है तो उसको एकदम से हिलाया डुलाया नहीं जाए क्योंकि ऐसा करने से उसे अन्य किसी प्रकार की क्षति पहुँचने का ख़तरा रहता है।
iii. घायल व्यक्ति या बच्चे को सदमें से बाहर लाने के लिए उसके साथ आराम से बात चीत की जाए तथा उसे कम्बल आदि प्रदान करके आरामपुर्वक रखा जाए।

बच्चों में साथ होने वाली सबसे आम प्रकार घटनाएं या उनको लगने वाली चोटें हैं – जलना , हड्डियां टूटना, गिर जाने से सिर पर गंभीर की चोटें लगना, डूबना, सांस रुकना या दम घुटना और कार आदि से लगने वाली चोटें हैं। इन में किसी भी स्थिति में आपातकालीन चिकित्सा सहायता मिलने तक तक इन्हें प्राथमिक सहायता या सीपीआर (CPR- *Cardiopulmonary resuscitation*) दी जा सकती है। चोट की गंभीरता को निर्धारित करने के लिए हेल्थकेयर से जुड़े व्यक्तियों को शांतिपूर्वक उस स्थिति का आकलन करना चाहिए। देखभाल करने वालों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घायल बच्चे को चिकित्सीय देखरेख मिलने तक एक अधिक सुरक्षित वातावरण में ले जाया जाए जहाँ उसे प्राथमिक सहायता प्रदान की जाए और इस बीच आगे की चिकित्सा हेतु निकटतम आपातकालीन इकाई में से संपर्क किया जाए।

छोटी पट्टियों से रक्तस्राव को रोकना ,घावों की साफ़ सफाई करना, जहाँ संभव हो वहाँ अस्थायी रूप से टूटे हुए अंगों को स्थिर कर देना, थोड़ा जलने पर ठंडे पानी का उपयोग करना , यह सब मानक प्राथमिक सहायता के अंतर्गत आता है। व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने पर आपातकालीन चिकित्सा का प्रबंध किया जाए।

सी पी आर Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)

Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) की आवश्यकता तब होती है जब एक बच्चे का दिल बंद हो जाता है और / या जब वे बेहोश होते हैं और श्वास नहीं लेते हैं। हृदय गति अवरुद्ध (Cardiac Arrest) होने की स्थिति में जीवन को बचाने में सीपीआर महत्वपूर्ण है / जब दिल बंद हो जाता है, तो शरीर के प्रमुख अंगों को रक्त नहीं पहुंचता है। रक्त में ऑक्सीजन होती है, जो सभी

महत्त्वपूर्ण अंगों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के मस्तिष्क सहित शरीर के अन्य महत्त्वपूर्ण अंगों की कार्यक्षमता को गंभीर क्षति पहुँचती है और इस स्तिथि में 8 मिनट के भीतर मृत्यु हो सकती है, इसलिए ऐसी परिस्थति में आप पास खड़े व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक है कि वे जितनी जल्दी हो सके Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) का उपयोग करें।घुटन या पानी से संबंधित दुर्घटना जैसे चोटों के बाद, जब एक बच्चा श्वास बंद कर देता है, तो शरीर में कृत्रिम श्वास को पहुँचाने से मस्तिष्क और हृदय में महत्वपूर्ण ऑक्सीजन का प्रवाह हो जाता है।

विशिष्ट बच्चों की समुचित देखभाल कल इए आवश्यक है कि समाज उन बच्चों के लिए प्रमाणीकृत स्वास्थ्य सेवकों का प्रबंध करे या कम से कम बच्चों के अभिभावकों , शिक्षकों या प्रशिक्षकों को प्राथमिक , स्वास्थ्य सहायता का न्यूयाधिक ज्ञान हो , क्योंकि विशिष्ट बच्चे स्वयं की सहायता या निर्णय के प्रति सचेत नहीं होते हीं अत: आवश्यक है कि बच्चों के पास रहने वाला व्यक्ति प्राथमिक स्वास्थ सेवाओं से अनभिज्ञ न हों।

9.5 आत्म समर्थन तथा आत्म निर्णय कौशल प्रशिक्षण

आत्म समर्थन क्या है ?

विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के माता-पिता कई प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं जैसे - विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे की देखभाल करना , एक चिकित्सक के रूप में उसे चिकित्सा प्रदान करना, उसके भोजन आदि का प्रबंध करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना , उस बच्चे के लिए शिक्षक की भूमिका निभाना और ऐसे अनेक कार्य करना जो माता पिता के कर्त्तव्य हैं लेकिन विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के माता पिता का दायित्व कई गुना बढ़ जाता है। इन सभी भूमिकाओं के इतर एक महत्त्वपूर्ण भूमिका जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के माता पिता को निभानी होती है वह है एक समर्थक की, एक वकील की। वकील शब्द से आप सभी भली-भांति परिचित हैं -एक वकील, सार्वजनिक रूप से वह व्यक्ति है जो किसी कारण या किसी सकारात्मक कारण व्यक्ति के लिए सन्घर्ष करता है।

विशेष आवश्कताओं वाले बच्चों और व्यक्तियों के लिए समर्थन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। शिक्षकों , प्रशिक्षकों एवं अभिभावकों को बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहिए। वर्तमान सरकारी तंत्र तथा उस पर आधारित स्वास्थ्य नीति के उपेक्षापूर्ण नियमों से बच्चों को अवगत करना तथा उसके विरुद्ध आत्म संघर्ष के लिए प्रेरित करना भी आवश्यक है। विशेष आवश्कताओं वाले बच्चों और व्यक्तियों के लिए समर्थन ऐसे व्यक्तियों की सहायता कर सकता है को कि एक सिस्टम या तंत्र की मार झेल रहें हैं और उन विशेष संसाधनों तक पहुंच सकते हैं जिनकी कि इन व्यक्तियों को आवश्यकता है। यह समर्थन लोगों को सार्वजनिक कार्य के लिए एकजुट कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह समर्थन विशेष आवश्कताओं वाले बच्चों को उन

सेवाओं या लाभों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है जिनकी सहायता से वे अपनी क्षमताओं को जान सकें एवं उसका विकास कर सकें।

माता-पिता ही अपने बच्चे को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं और इसलिए वही अपने बच्चे के सबसे अच्छे संभव समर्थक या वकील होते हैं । जैसे जैसे एक बच्चा वयस्कता की ओर बढ़ता है वैसे ही यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है की इस '□त्म समर्थन कौशल' को बच्चे को सिखाया जाए । अपने बच्चे को यह सिखाने की बहुत □वश्कता है कि वह कैसे स्वयं अपने लिए समर्थन करना सीखे तथा सशक्त बने और उस ज्ञान को अर्जित करे जो उसके सफल जीवन जीने के लिए □वश्यक है । वह अपने जीवन के महत्त्वपूर्ण निर्णयों को लेने में अपनी भागीदारी दे पाए। इसे ही '□त्म समर्थन कौशल' कहा जाता है ।

□त्म समर्थन या स्व वकालत (Self-Advocacy) का अर्थ है "स्वयं के लिए बोलना सीखना" , अपने स्वयं के जीवन के बारे में अपने निर्णय लेना, अपनी रूचि अनुसार चीजों की जानकारी प्राप्त करने के तरीके सीखना जिससे की □प उन चीजों को समझ सकें जिनमें □पकी रुचि है। ऐसी जानकारियों के विषय में जानना जो बाहरी दुनिया में □पकी सहायता करें । अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों को जानना, अपनी समस्याओं का हल खोजना । कोई भी व्यक्ति किसई भी समस्या को अकेले हल करने की अपेक्षा अपने समर्थकों , शुभचिंतकों, मित्रों या अन्य सहायकों की सहायता से अधिक अच्छी तरह से हल कर सकता है । अत: यह □वश्यक है कि बालक के मन में अपने मित्रों के चुनाव, चयन के प्रति जागरूकता विकसित की जाए । साथ ही जरुरत के वक्त □त्म निर्णय जैसे महत्त्वपूर्ण मानवीय गुणों के विकास के प्रयत्न किए जाएं ।

□त्म समर्थन विभिन्न प्रकार से अलग अलग परिस्थितियों में □वश्यक एवं उपयोगी है । □त्म समर्थन कौशल को विकसित करना अति महत्वपूर्ण है, विशेषकर की ऐसी परिस्थितियों में जबकि विशेष □वश्कताओं वाले बच्चों की चिकित्सा से संबंधी ,देखभाल से संबंधी या उनके हितों से समबंधी योजनाओं की समीक्षा की जा रही है या मूल्यांकन किया जा रहा है, या जब भी कोई व्यक्ति यह महसूस करता है उसके साथ अनुचित किया जा रहा है । □त्म समर्थन सभी व्यक्तियों के लिए एक □वश्यक कौशल है और विशेष □वश्कताओं वाले बच्चों / व्यक्तियों को सफल, सुखी जीवन जीने में सहायता कर सकता है।

विशेष □वश्कताओं वाले बच्चों/व्यक्तियों को □त्म समर्थन सिखाने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण रणनीति यह है कि उन्हें अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों को समझने में मदद करना। यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने उपचार, पहुंच, सेवाओं □दि के विषय में यह अवश्य जाने कि क्या किया जाना हई अथवा क्या नहीं किया जाना है । ऐसे बच्चों/व्यक्तियों का यह सिखाना भी महत्वपूर्ण है कि कैसे उन्हें अपनी चिंताओं को स्पष्ट रूप से बताना □ना चाहिए तथा उनके साथ हो रहे किसी अनुचित व्यवहार या घटना या उनके मानवाधिकारों के अतिक्रमण / उल्लंघन किए जाने पर सहायता की मांग कैसे की जानी चाहिए ।

आत्म निर्णय क्या है? What is Self- determination?

यद्यपि आत्म निर्णय क उपयोग सदियों से मानव विभिन्न विषयों , परिस्थितियों अथवा समस्याओं को सुलझाने के लिए कर्ता आया है परन्तु विशिष्ट शिक्षा में इसका उपयोग अपेक्षाकृत नया है। फील्ड, मार्टिन, मिलर, वार्ड और वीमेयर (1998) आत्म निर्णय को अलग अलग तरह से परिभाषित करते हैं – कौशल, ज्ञान और धारणाओं का ऐसा संयोजन जो एक व्यक्ति को लक्ष्य-निर्देशित, स्व-नियमित, स्वायत्त व्यवहार करने के योग्य बनाता है 'आत्म निर्णय' कहलाता है। अपने सामर्थ्य और सीमाओं की समझ के साथ-साथ स्वयं की योग्यता एवं प्रभावशालीता पर विश्वास करना ही आत्म निर्णय हेतु आवश्यक तत्व हैं। इन कौशलों और मनोवृत्तियों के आधार पर कार्य करने से एक व्यक्ति अपने जीवन पर नियंत्रण रखने और समाज में सफल वयस्कों की भूमिका का निर्वहन करने में अधिक सफल होता है।

9.5.1 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों / व्यक्तियों के लिए आत्म निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

उन विशेष प्रवृत्तियों का विकास महत्त्वपूर्ण होता है जो वुक्ति विशेष के भीतर आत्म निर्णय के गुण को विकसित करती हों। प्रमुख रूप से ऐसी प्रवृत्तियां – लक्ष्य का निर्धारण करना , समस्या का समाधान करने की कोशिश करना , निर्णय लेने की प्रवृत्ति है। कहना न होगा कि ऊपर लिखित विशेष प्रवृत्तियां छात्रों / व्यक्तियों को अदहिक सजग , कुशल , जिम्मेदार और आत्म नियंत्रित होने में सहायता प्रदान करती हैं।

विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति/ छात्र जब नियोजन और निर्णय लेने की ज़िम्मेदारी लेते हैं, तो अन्य व्यक्तियों की उनके प्रति अपेक्षाएं और विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति / छात्र को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों/ छात्रों ने इस बात पर बल दिया है कि किसी और के द्वारा उनके बारे में निर्णय लेने के बजाय, उनके जीवन पर उनके स्वयं का नियंत्रण होना उनके आत्मसम्मान के लिए महत्वपूर्ण है।

9.5.2 आत्म निर्णय को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका

शिक्षकों को चाहिए कि वे एक आदर्श शैक्षिक नियोजन का विकास करें जिसके फलस्वरूप विशेष आवश्यकता वाले छात्र स्वयं इस स्थिति में आ सकें जिससे वो स्वयं अपने लक्ष्य की स्थापना कर सकें अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करें तथा अंतत:अपने लिए स्वयं निर्णय क विकास करने का प्रयत्न करें।

यह जरूरी है कि शिक्षक छात्रों को ऐसा कौशल और ज्ञान जो आत्म नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता हैं वो उन्हें सिखाने का प्रयत्न करें। शिक्षकों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए

कि शैक्षिक कार्यक्रमों का संयोजन इस प्रकार करें कि वे कार्यक्रम छात्रों के व्यक्तित्व में आवश्यक कौशल के गुणों को विकसित कर सके। छात्रों में ऐसे कौशलों का विकास किया जाए जिससे कि वे -

- निजी लक्ष्यों को निर्धारित करें
- इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधाओं के रूप में कार्य करने वाली समस्याओं का समाधान करें।
- व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और रुचियों के आधार पर उचित का चुनाव करें।
- उन निर्णयों में भाग लें जो उनके स्वयं के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
- स्वयं के लिए वकील बनने का प्रयत्न करें अर्थात स्वयं के लिए न्यायपूर्ण संघर्ष करें।
- लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य योजनाएं बनाएं।
- दैनिक क्रियाओं के स्वयं का नियमन करें तथा स्वयं के भीतर 'आत्म-प्रबंधन' के गुण का विकास करें।

शिक्षकों द्वारा प्रत्येक स्तर के बच्चों को क्रमश: निम्नलिखित तरीके से आत्म निर्धारण की शिक्षा प्रदान करना उपयोगी होगा-

- छात्रों को चुनाव करने के लिए उच्हित अवसर प्रदान करना एवं नियंत्रण के गुण को विकसित करने पर विशेष बल देना।
- समस्याओं से निपटने के क्रम में सर्वप्रथम छात्रों की भीतर सरल समस्याओं को पहचानने का गुण विकसित करना आवश्यक है । शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों के मध्य समस्याओं के निपटारे के लिए व्यवहारिक एवं प्रयोगात्मक शिक्षा का प्रबंध करें। छात्रों द्वारा चयनित हल एवं समस्याओं के प्रति छात्रों के दृष्टिकोण का विश्लेषण करें।
- छात्रों द्वारा किसी भी समस्या के निकले हुए हल का स्वयं छात्रों के द्वारा ही मूल्यांकन करवाने का प्रयत्न करें।
- शिक्षक इस बात का ध्यान रखें कि विद्यार्थियों किसी भी समस्या का निदान सरलतापूर्वाक करें तथा इस बात का ध्यान भी रखें की विद्यार्थी द्वारा निकाले गए हल के क्या लाभ एवं हानि हो सकती है। साथ ही पहले हल की गई समस्या का विश्लेषण भी करें।

- विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक लक्ष्यों के निर्धारण एवं प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करना तथा इस लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित मार्ग का चयन करना।
- विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपने प्रदर्शन क निर्धारण स्वयं करें तथा लक्ष्य की प्राप्ति के बाद अपनी सफलता अथवा असफलता का मूल्यांकन स्वयं कर सकें।
- छात्रों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करें , जो शैक्षणिक लक्ष्यों, स्कूल के बाद के परिणामों , कार्यक्रमों सहित अन्य दैनिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। छात्रों में इस गुण क विकास करें जिससे वो दैनिक लक्ष्यों के साथ साथ जीवन के बड़े लक्ष्यों एवं मानवीय गुणों का विकास करने में सक्षम हों।

9.6 सारांश

इस इकाई में हमने ये जाना -

अनुकूलन का अर्थ है – आँकलन की प्रक्रिया, सामग्री, पाठ्यक्रम या कक्षा के परिवेश को एक छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजित करना , ताकि वह शिक्षण-अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त कर सके तथा इस प्रक्रिया में भागीदारी कर सके ।

समाविष्टीकरण ऐसे बदलाव / परिवर्तन हैं जो बाधाओं को दूर करते हैं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सीखने के समान अवसर प्रदान करते हैं। समाविष्टीकरण 'क्या सीखना है' को नहीं अपितु 'कैसे सीखना है' को बदलता है। विशिष्ट बच्चे को वही पाठ्य सामग्री पढ़नी है जो कि कक्षा के अन्य बच्चों को पढ़नी है परन्तु उस सामग्री को पढ़ने व प्रस्तुत करने हेतु जो बदलाव किए जाएंगे वह उस बच्चे की अक्षमता को ध्यान में रखते हुए उसकी सहायता हेतु किए जाएंगे।

विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे / व्यक्ति हेतु प्राथमिक सहायता- दुर्घटनाएं कहीं भी कभी भी हो सकती हैं और विशेषकर की जब बच्चे शामिल होते हैं। बच्चे अपने द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों से अवगत नहीं होते हैं और इसलिए वयस्कों की तुलना में उनके घायल होने की संभावना अधिक होती है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष रूप से आकस्मिक चोट की संभावना होती है क्योंकि उनका अपने शरीर पर सामान्य विकासशील बच्चों की तुलना में कम नियंत्रण होता है। ऐसे विशिष्ट बच्चों को चोट या बीमारी से सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व उनके माता पिता , देखभाल करने वाले- शिक्षक, कोच और अन्य वयस्कों का होता है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ की विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे अपने स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ होते हैं , उनके समर्थकों का कार्य भार एवं महत्त्व और बढ़ जाता है। बच्चों में साथ होने वाली सबसे आम प्रकार घटनाएं या उनको लगने वाली चोटें हैं – जलना, हड्डियां टूटना, गिर जाने से सिर पर गंभीर

की चोटें लगना, डूबना, सांस रुकना या दम घुटना और कार आदि से लगने वाली चोटें हैं। इन में किसी भी स्थिति में आपातकालीन चिकित्सा सहायता मिलने तक तक इन्हें प्राथमिक सहायता या सीपीआर (CPR- Cardiopulmonary resuscitation) दी जा सकती है।

आत्म समर्थन या स्व वकालत (Self-Advocacy) का अर्थ है "स्वयं के लिए बोलना सीखना" , अपने स्वयं के जीवन के बारे में अपने निर्णय लेना, अपनी रूचि अनुसार चीजों की जानकारी प्राप्त करने के तरीके सीखना जिससे की आप उन चीजों को समझ सकें जिनमें आपकी रुचि है। ऐसी जानकारियों के विषय में जानना जो बाहरी दुनिया में आपकी सहायता करें । अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों को जानना, अपनी समस्याओं का हल खोजना । कोई भी व्यक्ति किसई भी समस्या को अकेले हल करने की अपेक्षा अपने समर्थकों , शुभचिंतकों, मित्रों या अन्य सहायकों की सहायता से अधिक अच्छी तरह से हल कर सकता है।

आत्म निर्णय– कौशल, ज्ञान और धारणाओं का ऐसा संयोजन जो एक व्यक्ति को लक्ष्य-निर्देशित, स्व-नियमित, स्वायत्त व्यवहार करने के योग्य बनाता है 'आत्म निर्णय' कहलाता है। अपने सामर्थ्य और सीमाओं की समझ के साथ-साथ स्वयं की योग्यता एवं प्रभावशालीता पर विश्वास करना ही आत्म निर्णय हेतु आवश्यक तत्व हैं। इन कौशलों और मनोवृत्तियों के आधार पर कार्य करने से एक व्यक्ति अपने जीवन पर नियंत्रण रखने और समाज में सफल वयस्कों की भूमिका का निर्वहन करने में अधिक सफल होता है।

शिक्षकों को चाहिए कि वे एक आदर्श शैक्षिक नियोजन का विकास करें जिसके फलस्वरूप विशेष आवश्यकता वाले छात्र स्वयं इस स्थिति में आ सके जिससे वे स्वयं अपने लक्ष्य की स्थापना कर सकें अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करें तथा अंतत:अपने लिए स्वयं निर्णय क विकास करने क प्रयत्न करें। यह जरूरी है कि शिक्षक छात्रों को ऐसा कौशल और ज्ञान जो आत्म नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता हैं वो उन्हें सिखाने का प्रयत्न करें । शिक्षकों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षिक कार्यक्रमों का संयोजन इस प्रकार करें कि वे कार्यक्रम छात्रों के व्यक्तित्व में आवश्यक कौशल के गुणों को विकसित कर सके ।

9.7 निबंधात्मक प्रश्न

1. अनुकूलन तथा समाविष्टीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए । विभिन्न आवश्यकताओं के लिए समाविष्टीकरण की श्रेणियों की व्याख्या कीजिए ।
2. विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों / व्यक्तियों हेतु प्राथमिक सहायता पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए ।
3. आत्म समर्थन से आप क्या समझते हैं? विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों हेतु आत्म समर्थन क्यों महत्त्वपूर्ण है?

4. आत्म निर्णय का अर्थ स्पष्ट कीजिए ? विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों हेतु आत्म निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है।
5. विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में आत्म निर्णय को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।